राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ५वां दिवस [संख्या ५

शुक्रवार, दिनांक ७ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक ८.०३ बजे म०पू० विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, खनिज, खाद्य, गृह, स्वायत्त शासन, सामान्य प्रशासन, राजस्व, सिंचाई, कृषि, अकाल सहायता, पशु-पालन, स्वास्थ्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीराभाई।

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर-कुशलगढ़

८६. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील कुशलगढ़ में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर की स्थापना कब हुई ?

(२) क्या इस केन्द्र पर डाक्टर, नर्सों, दवाइयों, एक्सरे मशीन व अन्य स्टाफ आदि की निर्णयानुसार व्यवस्था हो गई है ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जावेगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) दिनांक १. ६. ५६ को। (२) जी हां।

श्री हीराभाई : जी हां, कर लिया साहब। लेकिन १. ६. ५६ को एक्सरे मशीन लगाना था लेकिन न तो वहां अब तक ऐक्सरे मशीन लग पायी है और न हो वहां पर डाक्टर हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एक्सरे मशीन इसी फाइनेन्शियल ईयर में पहुँची है। बिजली नहीं है। पहुंचने पर कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

श्री हीराभाई : डाक्टरों का कितना स्टाफ है वहां ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितना होना चाहिये, पूरा का पूरा स्टाफ है।

Page No.2

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि पहले दो डाक्टर, डाक्टरनियां और नर्सेज के लिए वहां तय हुआ था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फिर से कहिये, समझ में नहीं आया।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि पहले तो कहा था कि डाक्टर डाक्टरनियों का पूरा का पूरा स्टाफ वहां लगेगा, प्राथमिक हैल्थ सेन्टर के अन्दर जितना स्टाफ चाहिये उतना का उतना दिया जायगा एक्सरे मशीन लगायी जायगी, चुनावों के पहले ही बात तय हो गई थी लेकिन इन जरूरतों की पूर्ति न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्राईमरी हैल्थ सेन्टर पर जितना स्टाफ होता है उतना वहां पूरा का पूरा स्टाफ है। एक भी जगह खाली नहीं है।

श्री हीराभाई : क्या वहां दो डाक्टर मौजूद हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एक का प्रावधान है, दो का नहीं।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि दो साल पहले दो डाक्टरों का प्रोविजन था ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू में यह हुआ था कि हर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर पर दो डाक्टर रहेंगे लेकिन डाक्टरों की कमी होने के कारण हर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर पर अब एक डाक्टर ही रहेगा और दो नहीं रहेंगे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या राजस्थान में जितने भी प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं उन प्रत्येक में एक डाक्टर मौजूद है ?

श्री बरकतुल्ला खां : बहुत सी जगह नहीं हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री हीराभाई : डाक्टरनी नहीं होने का क्या कारण है ? एक्सरे मशीन कब पहुंचेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री हीराभाई : एक्सरे मशीन कब पहुंचेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिल रहा है। एक्सरे मशीन पहुँची है। बिजली होगी तब लगेगी।

श्री हीराभाई : नहीं पहुँची है।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री हीराभाई : नहीं पहुँची है।

श्री अध्यक्ष : Order please !

(हीराभाई के पुनः खड़े होने पर)

Order please. माननीय सदस्य। हर एक प्रश्न आप इस तरह पूछते रहे तो कैसे काम चलेगा ? एक पूछें, दो पूछें, चार पूछें, आधे घंटे तक आप ही इस प्रकार पूछते रहेंगे तो कैसे आगे काम चलेगा। काफी प्रश्न बाकी रह जाते हैं।

Page No.3

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, एक्सरे मशीन नहीं भेजी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : Order please

(शोरगुल)

माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपका रवैया बहुत गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि जो हुक्म आपको मिला है प्रश्न पूछने के लिए वह पूछें और मना कर दिया जाय तो बैठ जांय।

श्री तेजाराम गहलोत।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : Order please ! एक छोटा सा प्रश्न है। इस पर इतनी बहस की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमेशा माननीय सदस्य शिकायत करते रहते हैं।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष : Order please. आप फिर बोले जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने दस बीस सप्लीमेन्टरी पूछ लिये हैं और उसमें कोई बात बाकी भी नहीं है फिर भी पूछते चले जा रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्यों के लिए फिर प्रश्नों के उत्तर के लिए समय नहीं रहता। कोई सिद्धान्त का भी तो यह प्रश्न नहीं है।

श्री हीराभाई : आश्वासन तो नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : Order please. आप माननीय सदस्य फिर बोले जा रहे हैं।

श्री तेजाराम गहलोत।

खनिज विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य–जोधपुर डिवीजन *

१०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जोधपुर डिवीजन में किन किन खनिजों का कार्य खनिज विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा भविष्य में किन किन खनिज का कार्य विभाग द्वारा किये जाने का विचार है ?

(२) जिन खनिजों का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है वह किस किस क्षेत्र में है व भविष्य में किये जाने वाला कार्य कब तक शुरू करने का विचार है ?

(३) जहां २ विभागीय तौर पर खनिजों का कार्य चालू है वहां सरकार को सन् १९५७ से ६३ तक सालवार क्या इन्वेस्ट करना पड़ा है व क्या आमदनी रही ?

(४) जो कार्य विभाग द्वारा किये जा रहे हैं तथा जो कार्य विभाग द्वारा किये जाने को है उनको विभाग द्वारा करवाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इनके राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय ले चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जोधपुर डिवीजन में खनिज जिप्सम का कार्य इस विभाग द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में निम्नलिखित खनिजों का कार्य विभाग द्वारा किये जाने का विचार है :

Page No.4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

१. टंगस्टन ।

२. खनिज जिप्सम का विभागीय कार्य नागौर जिले में तैगत और चोटीसरा में शुरू किया गया है। भविष्य में किये जाने वाले विभागीय कार्य के प्रारम्भ की तिथि निश्चित नहीं है परन्तु सन् १९६४–६५ में उनके शुरू किये जाने की सम्भावना है।

३. चूंकि जिप्सम का कार्य हाल ही में शुरू किया गया है अतः सन् ५७ से ६३ तक में वार्षिक इन्वेस्टमेन्ट तथा आमदनी के आंकड़ों के देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

४. क्षेत्र में दुर्भिक्ष की स्थिति ध्यान में रख कर खनिजों का विभागीय कार्य चालू किया गया है। इससे रॉयल्टी के अतिरिक्त आमदनी भी हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल "काला बादल"।

अनाज निकासी की रोक के आदेश की अवहेलना

९१. **श्री भैरवलाल "काला बादल"** (अकलेरा सु.) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में अनाज का निकास रोकने का आदेश कब जारी किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश हो जाने पर भी कोटा के कई व्यापारियों ने उसको न मानते हुए रेल द्वारा कितने ही वैगन अनाज बाहर भेजा ?

(३) ता० १८. ६. ६४ को कलेक्टर कोटा द्वारा कितने वैगन अनाज बाहर जाता हुआ रोका गया ? इस अनाज को भेजने वाला व्यापारी कौन था ?

(४) उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वाले अन्य कौन २ व्यापारी हैं और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(५) क्या यह सही है कि व्यापार संघ, राजस्थान के अध्यक्ष ने भी सरकारी आदेश को न मानते हुए कितना ही वैगन माल रेलवे से बाहर बिल्टी द्वारा भेजा है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) १८. ६. ६४

(२) जी हां।

(३) ५,६१९ बोरियां। व्यापारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। दो मामलों में पुलिस द्वारा चालान कोर्ट में पेश किये जा चुके हैं।

(५) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरवलाल "काला बादल" : १८ तारीख को कौन से अनाज को बाहर निकालने के आदेश दिये गये थे ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सारे ही कोर्स ग्रेन।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि कलेक्टर कोटा के आदेश को डिस्ट्रिक्ट जज कोटा ने इल्लीगल बताये हैं और यहां तक उनके लिए बताया है कि वे लॉ से इन्नोसेन्ट हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने जो फैसला दिया है वह आगे कानूनी कार्यवाही जो करना जरूरी है वह की जा रही है।

श्री भैरवलाल "काला बादल" : क्या यह सही है कि व्यापारी मंडल यह कहने लगा है कि यह कलेक्टर खतरनाक है और यह आदेश दिये जा रहे हैं कि इसको जल्दी ही वहां से हटा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना निराधार है।

श्री भैरवलाल "काला बादल" : क्या उनको वहां से हटाने की कार्यवाही चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना बिल्कुल निराधार है।

श्री भैरवलाल "काला बादल" : गरीब जनता पर व्यापारियों ने अत्याचार किये हैं, अच्छे कलेक्टर हैं, उनको क्यों हटा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल निराधार है।

श्री भैरवलाल "काला बादल" : क्या जनता को यह कह दिया जाय कि वे वहां ही रहेंगे, मैं घोषणा कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश को रद्द करते हुए वापिस ले रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री भैरवलाल "काला बादल" : विरोधी पक्ष आन्दोलन करता है। वे लोग उन व्यापारियों को बचाने के लिए पैरवी करते हैं। ऐसा भी चल रहा है आजकल।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जल प्रदाय विभाग के मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में नियुक्त लेखाधिकारी के विरुद्ध जांच

९२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया] क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जल प्रदाय विभाग के मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में नियुक्त लेखाधिकारी श्री घनश्यामलाल चौधरी के विरुद्ध जो जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है वह इस समय किस स्तर पर है ?

(२) उक्त श्री चौधरी के विरुद्ध मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं जिनकी जांच की जा रही है ?

(३) क्या अभी तक की जांच से प्राइमाफेसी केस उनके खिलाफ साबित हो चुका है ? यदि हां, तो अभी तक केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया गया ?

(४) अभी तक कुल कितने लोगों के बयानात कलमबन्द किये गये हैं ?

Page No.6

(श्री विजयसिंह झाला)

(५) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इससे पूर्व भी कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो किन आधारों पर और उस जांच का क्या हुआ ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) इस संबंध में मुकदमा नं० ११५ दिनांक ४-१२-६३ दफा ४२० जा० फौ० ता० हि० एवं ५(डी) (२) पी० सी० एक्ट में पन्जीबद्ध किया जाकर तफतीश हो रही है। जो लगभग समाप्त होने को है।

(२) अपने संबंधियों के नाम पर फर्म चलाना, उसमें से सरकारी महकमों को सामान देना, आमदनी के अनुपात से सम्पत्ति अधिक होना, सरकारी सामान का दुरुपयोग करना, गलत टी. ए. उठाना आदि हैं।

(३) जैसा कि ऊपर नं० (१) पर निवेदन किया गया है केस दर्ज होकर अनुसन्धान जारी है।

(४) लगभग ६० व्यक्तियों के बयानात लिये जा चुके हैं।

(५) यह सही नही है।

श्री विजयसिंह झाला : किस तारीख को इनके विरुद्ध जांच चालू हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह करीब मई सन् ६३ के आरम्भ में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चूरू के मास्टर प्लान के लिये स्वीकृत धनराशि

६३. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने चूरू में मास्टर प्लान बनाने की अनुमति दी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री जब चूरू पधारे थे उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि मास्टर प्लान के लिये पच्चास हजार रुपये मन्जूर कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन रुपयों का उपयोग किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। अनुमति जनवरी सन् १९६३ में दी गई थी।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रावतराम : जब मुख्य मन्त्री पधारे वहां तब उन्होंने कहा कि इसके लिये मन्जूरी दे दी गई है, तो मास्टर प्लान की क्या रूपरेखा बनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि रुपये देने के बारे में मैं प्रयत्न करूंगा। मास्टर प्लान के लिये मन्जूरी १९६३ में दी जा चुकी है लेकिन ब्ल्यूप्रिन्ट तैयार होने में देरी हुई। मास्टर प्लान के लिये अभी प्रिलिमिनरी वर्क शुरू कर दिया गया है नेसेसरी डेटा कलेक्ट कर लिया गया है

Page No.7

(श्री परसराम मदेरणा)

मास्टर प्लान ६ महिने के भीतर-भीतर तैयार कर दिया जायगा।

श्री रावतराम : मुख्य मन्त्री ने प्रयत्न करने का आश्वासन दिया तो किस स्टेज़ पर वह प्रिलिमिनरी कार्यवाही चल रही है डेटा इकट्ठा किया गया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें छः महीने का समय करीब-करीब लग जायगा जब मास्टर प्लान तैयार होगा। १९६० में कलेक्टर को इन्फोर्मेशन दे दी गई थी कि १२५ बीघा तक टाउन एक्सटेन्ड हो सकता है उसके अन्दर हिन्डरेन्स नहीं आयगा वह एरिया मार्क कर दिया गया है।

श्री रावतराम : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं उन सब का मास्टर प्लान बनाने का था उसका क्या हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): इस महकमें के अन्दर करीब-करीब आधे इन्जीनियरों की जगहें खाली हैं। इसलिये जब कभी पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवरटिजमेंट होता है उसमें इन्जीनियर्स नहीं आ रहे हैं। इनके न मिलने की वजह से काम वक्त पर नहीं होता। अलग-अलग शहरों के लिये टाउन डेवलपमेंट के लिये अलग-अलग रुपया खर्च होता है। जहां ज्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत होती है वहां ज्यादा किया जाता है, जहां कम खर्च की जरूरत होती है वहां कम होता है।

श्री रावतराम : क्या अगले छः महिने में मास्टर प्लान तैयार होकर काम शुरू हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विभागीय कार्यों में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन

६४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार के सचिवालय तथा विभिन्न विभागों का कार्य अभी भी ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में हो रहा है ?

(२) यदि हां, तो हिन्दी भाषा में कामकाज किये जाने को प्रोत्साहन के आदेश को वास्तव में लागू करने के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) राज्य सरकार प्रयत्नशील है कि सभी विभागों में राज-काज हिन्दी में प्रारम्भ हो जाय। इसके अतिरिक्त विभागों में उत्पन्न होने वाली प्राविधिक एवं अन्य सभी प्रकार की कठिनाइयों का यथा सम्भव निराकरण किया जा रहा है, जिससे शनैः शनैः सभी विभागों में काम काज हिन्दी में प्रारम्भ कर दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या आपने दूसरे विभागों को पूछा है कि आप अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में काम कर सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें पूछने का प्रश्न नहीं है राज्य सरकार ने आज्ञा प्रसारित कर दी है १७-५-६१ को कि १४ विभागों

(श्री परसराम मदेरणा)

में राज-काज हिन्दी में होगा और उसके लिये जो भी दूसरी आवश्यकतायें हैं जैसे हिन्दी के टाइप राइटर्स, हिन्दी स्टेनोज आदि को ट्रेनिंग देकर वे उपलब्ध कराये गये हैं। स्टेनोज़ के लिये हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखना अनिवार्य किया गया है इसके साथ साथ अहिन्दी भाषा भाषी हिन्दी शीघ्रलिपी की ट्रेनिंग लेकर पास हो जायेंगे तो उनको दो इन्क्रीमेंट दिये गये हैं। इस तरह से १५०० कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो हिन्दी में काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : काम तो अभी भी चल रहा है लेकिन सभी विभागों में पूर्ण रूप से हिन्दी में काम नहीं चल रहा है। हमने तो आदेश दे दिये हैं लेकिन हैड आफ दी डिपार्टमेंट में सभी प्रकार के नोटिंग पत्रावली आदि हिन्दी में नहीं हो रहे हैं। उसमें भी कन्डीशन यह रखी थी कि बैंक्स और टेक्निकल मामले हों, प्लानिंग कमीशन से पत्र व्यवहार की बात हो तो वहां हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में किया जा सकता है। बाकी राज-काज का काम हिन्दी में किया जाय इसको बहुत से डिपार्टमेंट फोलो कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कई बार मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी हिन्दी कार्य करने के आदेश जारी करेंगे लेकिन आज भी पंचायत लेवल पर जो ऑर्डर जाते हैं वे हिन्दी में न जाकर अंग्रेजी में जाते हैं। जो पंच सरपंच हिन्दी भी नहीं पढ सकते उनको आदेश अंग्रेजी में दिये जाते हैं। वे बेचारे इधर उधर बढाते हैं। सन् ६१ में आपने आदेश दे दिये कि हिन्दी में कार्य होगा लेकिन आज दिन तक ऑर्डर अंग्रेजी में आते हैं। जिन १४ विभागों में हिन्दी में कार्य करने का आदेश दिया है फिर भी ९० पर्सेंट काम अंग्रेजी में ही होता है। आज भी एस० डी० ओ० द्वारा जन सधारण की अर्जियों पर अंग्रेजी में आदेश दिये जाते है जिनको वह समझ नहीं पाता। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि पंचायतों, पंचायत समितियों आदि को जो भी आदेश दें वह हिन्दी में दें।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायतों सम्बन्धी और रेवेन्यू विभाग सम्बन्धी जितनी भी विज्ञप्तियां है, आदेश हैं, हिन्दी में जारी किये जांय इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश हैं। उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो उसके लिये डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। दूसरे हिन्दी भाषी राज्यों में जहां हिन्दी के लिये अलग विभाग है, राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन के उप सचिव को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि मध्यभारत में जहां हिन्दी के लिये अलग विभाग है वहां जाकर उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करें। वे वहां हिन्दी को राजकाज में चलाने के लिये किस तरह से फोलो अप करते हैं जाकर के उनकी टेक्निक देख लें, इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये हैं। इसके अलावा टाइप राईटर्स, हिन्दी स्टेनोज आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके इन्तजाम किया गया है। इसके अलावा उप सचिव मध्यभारत जाकर के आयेंगे उसके बाद जो वे रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार सरकार निर्णय लेगी।

Page No.9

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आश्चर्य तो इस बात का है जहां दो प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते वहां के प्रशासन का काम हिन्दी में चलाने के लिये दूसरे राज्यों में अधिकारियों को भेजकर सूचना चाही जाती है जब कि हिन्दी में कार्य करने का आदेश निकल चुका है उसको इम्पलीमेंट करवाने की जरूरत है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें टेक्निकल रूलों का सवाल नहीं है । वहां हिन्दी डिपार्टमेंट अलग से किस प्रकार से प्रोत्साहन देता है, उन्होंने कौनसे उपाय किये हैं इस बात की जानकारी करके आने को कहा गया है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सब से बड़ी कठिनाई तो यह है कि यहां अंग्रेजी लोग जानते नहीं, हिन्दी में कार्य होना चाहिये ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : १४ विभागों को हिन्दी में कार्य करने का आदेश दिया है लेकिन उनसे संबन्धित जो सचिवालय के विभाग हैं क्या वे भी उनसे हिन्दी में पत्र व्यवहार करते हैं । नोटिंग आदि वहां पर भी हिन्दी में किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार के अनुमान के मुताबिक १४ विभागों में पूर्ण रूपेण कब तक काम हिन्दी में शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने निवेदन किया धीरे-धीरे उनमें काम काज होना संभव होगा । पर बहुत से विभाग जैसे अपॉइन्टमेंट बी०, रेवेन्यू आदि हैं उनकी विज्ञप्तियां हिन्दी में निकलती हैं । दूसरे विभाग भी हिन्दी में काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं हो सका है, इसलिये दस दिन पहले सभी डिपार्टमेंटों के प्रमुखों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा गया था कि जल्दी से जल्दी हिन्दी लाने में उनकी क्या कठिनाइयां हैं उनसे हमें वे अवगत कराएं और हिन्दी में सारा काम काज करने का शीघ्र प्रयत्न करें ।

श्री सादूल टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन के मन्त्री के विरुद्ध मुकदमे

६५. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पिछले तीन सालों में श्री सादूल टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन के मन्त्री, श्री रामसिंह अटल पर कितने मुकद्दमे बने ? सन् १९६१-६२, ६२-६३ व ६३-६४ का अलग अलग ब्यौरा देने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : केवल सात । जिनमें १९६१ में तीन, १९६२ में कोई नहीं । १९६३ में दो तथा १९६४ में दो । इस प्रकार कुल सात मुकद्दमे बने । जिनका वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

सन् १९४१ : दिनांक ९-१-६१ को स्वरूपसिंह वल्द सुन्दरसिंह जाट सिख साकिन सादूल टैक्सटाइल मिल्स गंगानगर ने मुकद्मा नम्बर ६ दिनांक ९-१-६१ को धारा ३४२ ता० हि० दर्ज करवाया जिसका फैसला मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गंगानगर से दिनांक ६-४-६२ को हुआ । जिसमें रामसिंह अटल को ५०) रु० जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना, १५ दिन कैद हुई ।

Page No.10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) दिनांक २२-१-६१ को श्री लखासिंह वल्द ज्वालासिंह राजपूत साकिन सादूल टैक्सटाइल मिल, गंगानगर ने मुकद्दमा नम्बर १६ दिनांक २२-१-६१ धारा ३५७-१४७ ता० हि० खिलाफ रामसिंह व उसके साथी दायर करवाया जिनका चालान होकर अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट गंगानगर से दिनांक ३१-१-६२ को अदम सबूत में बरी हुआ ।

(३) दिनांक २५-६-६१ को श्री निरंजनसिंह वल्द केसरसिंह जाट साकिन शादूल टेक्सटाइल मिल, गंगानगर ने मुकद्दमा नम्बर १५० दिनांक २५-६-६१ दफा १४७ १४८-३२४-३०७ ता० हि० दर्ज करवाया जो चालान होने पर अदालात मुंसिफ मजिस्ट्रेट गंगानगर से दिनांक २८-१२-६३ को अदम सबूत में बरी हुआ ।

सन् १६६२

कोई मुकद्दमा दर्ज नहीं हुआ ।

सन् १६६३

दिनांक २. ४. ६३ को तत्कालीन थानेदार श्री रणसिंह ने धारा ११० जा. फो. का इस्तगासा रामसिंह के विरुद्ध दायर किया जो अदालत एस डी ओ. गंगानगर से दिनांक ३०. ११. ६३ को अदम सुबूत में खारिज हुआ । (२) दिनांक २५. ६. ६३ को जो शिम्भूसिंह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, गंगानगर ने श्री रामसिंह के विरुद्ध मुकद्दमा नम्बर १६६ दिनांक २५. ६. ६३ दफा ३०६ ता० हि० दर्ज करवाया जिसका चालान होकर अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट गंगानगर से दिनांक २०-७-६३ को अदम सुबूत में बरी हुआ ।

सन् १६६४

दिनांक ४. ३. ६४ को श्री ब्रह्मजीत पुत्र बायमिर साकिन गंगानगर ने रामसिंह के विरुद्ध मुकद्दमा नम्बर ६१ जुर्म जेर दफा ४५२।४४८।१५७ ता हि. दर्ज करवाया गया और पुलिस की तफतीश से यह मुकद्दमा अदम सुबूत पाये जाने पर इस मुकद्दमे में फाइनल रिपोर्ट दिनांक ३०. ४. ६४ को दे दी गई ।

उक्त मुकद्दमात के अलावा दिनांक ३१ ३. ६३ को श्री गुरुदत्तसिंह वल्द अमरसिंह राजपूत साकिन सादूल टैक्सटाइल मिल गंगानगर ने रामसिंह अटल के खिलाफ ३२३।५०४ ता० हि० की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी कोग्नीजेन्स न ली जाकर मुस्तगीस को अदालत में सीधी चाराजोई करने की हिदायत कर दी गई थी ।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि पुलिस ने मिल्स के अधिकारियों के कहने के मुताबिक किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I could not follow.

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि अधिकतर केसों के चालान पुलिस ने मिल मेनेजमेंट के कहने से किये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहने से नहीं, अपराधी होने की स्थिति में किये । यह जरूर है कि दर्खास्त देने वाले मिल के कर्मचारी हैं और रामसिंह वहां का लीडर है, राजनैतिक पार्टी का ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंहनगर) : जितने मुकद्दमे बनाये गये, उनमें कोर्ट से वह बरी हुआ। केवल एक केस में पचास रुपया उस पर जुर्माना हुआ क्योंकि वह मामला अपीलेबल नहीं था इसके बावजूद भी रामसिंह पर ११० का मुकद्दमा चालान किया गया जो एक राजनैतिक वर्कर है उसके खिलाफ। तो क्या यह निन्दनीय नहीं है इस सरकार के लिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कतई निन्दनीय नहीं है। रामसिंह का काम लेबर की जमात में काम करने वाले आदमियों के आगे धरना देना, भूख हड़ताल करना, ट्रेसपास करना, जहां जाने की मनाही है वहां जाने की कोशिश करना है। इस तरह से कई ऑफेन्स करता है पर अदम सुबूत में ये सारे मुकद्दमे खारिज हुए हैं क्योंकि वर्कर वहां का कोई उसकी धमकी के कारण शहादत देने को तैयार नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बहुत ओब्जेक्शनेबल है अध्यक्ष महोदय। इसका क्या सुबूत है जो माननीय उपमन्त्रीजी ने कहा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुबूत तो मौजूद है, पर धमकी के मारे सुबूत नहीं देते हैं लोग।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कहने का आपका क्या आधार है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अपना अपना ख्याल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तफतीश में तो वे गवाह आते हैं, पर कोर्ट में नहीं जाते धमकी के डर से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि जबरन मुकद्दमा बना कर पुलिस तफतीश में बयान तो ले लेती है पर अदालत जहां पर कोई भी आदमी निष्पक्ष होकर बयान बेखौफ दे सकता है वहां पर जाकर वे सही बात कह देते हैं। तो क्या आपको इससे यह अन्दाज नहीं लग सकता कि पुलिस झूठे केस रामसिंह के खिलाफ बनाती है, मिल मैनेजमेन्ट के इशारों पर। अब मन्त्री महोदय जो कहते हैं कि धमकी के डर से लोग आते हैं गवाही देने तो क्या इससे अदालत के अन्दर मिलने वाली इन्डिपेन्डेन्स पर हर्फ नहीं आता उस पर आघात नहीं पहुंचता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिसके खिलाफ ११० की कार्यवाही हो वे कैसे डाकूमेंट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में खतरनाक आदमियों के खिलाफ शहादत देने वाले विरले ही होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का एटीच्यूड इस आदमी के खिलाफ प्रीजूडिस है बावजूद इस बात के कि बार बार कोर्ट में चालान करने के बाद भी वह वहां से बरी होता रहा है, सरकार के लाख प्रयत्न करने पर भी कोर्ट में उसके खिलाफ केस साबित नहीं कर सकी। इससे साफ साबित होता है कि राजनैतिक कारणों से सरकार उसको प्रोसीक्यूट करने पर तुली हुई है। अदालत से बरी होने के बाद भी मन्त्री

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय जो एस्परशन उस पर कास्ट कर रहे हैं वह उचित नहीं है। यह एक जूरिसप्रूडेन्स का उसूल है कि जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट से कनविक्ट न हो जावे तब तक उसको बेकसूर माना जावे। इसके बावजूद मन्त्री महोदय उस पर चार्ज लगाते हैं। मैं इस पर कहूंगा कि सरकार उससे प्रीजूडिस है क्योंकि वह एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता है, सरकार के प्रतिद्वन्दी दल का है। सरकार का जो व्यू इसको कनविक्ट करने के पीछे है, उसके लिये मैं चाहूँगा कि इसकी जुडीसियल इन्क्वायरी कराई जावे। क्या सरकार इसके लिये तैयार है जांच कराने को कि सरकार ने राजनैतिक कारणों से अपने एक प्रतिद्वन्दी दल के कार्यकर्त्ता पर झूठे मुकद्दमे चलाये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस्परशन का सवाल नहीं है। सारे एन्टीसीडेन्ट्स हमारे सामने हैं। वह एक मिल का डिसमिस्ड हैंड है। दूसरों को धमकी देने से लेकर खुदकशी करने और तेज वेपन से इन्जरी पहुंचाने तक के आफेन्स इसने किये हैं। अब गवाही अगर डर के मारे न आए तो एन्टीसीडेन्ट्स से प्रमाणित है यह कि यह किस किस्म का व्यक्ति है।

राजनैतिक शत्रुता की बात भी गलत है। ऐसी स्थिति में जबकि वह सर्विस से निकाला गया है, सजायाफ्ता हो चुका है और बराबर गेट पर रहता है, अन्दर दाखिल होने का प्रयास करता है तो ऐसे आदमी के खिलाफ आर्डिनरी कोर्स में कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं रहता। मैं कह सकता हूँ कि आइन्दा स्थिति में भी गुनाह साबित करना कठिन है क्योंकि गवाही आती नहीं, और माननीय सदस्य और हम सब भी जानते हैं कि गवाही इस तरह से खतरा मोल नहीं लेती। इसलिये कार्यवाही चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मिल की तो स्थिति यह है कि माननीय सदस्य केदारनाथजी गंगानगर से आते हैं लेबर कालोनी में उनको घुसने नहीं दिया जाता। मिल मैनेजमेन्ट के आदमी धक्के देकर उनको निकाल सकते हैं यह तो मिल मालिकों का एटीच्यूड है जिसके लिये आपने एक भव्य भाषण यहां दे डाला। कहते हैं गवाही नहीं भुगताई जाती, वह डर जाती है। मुकद्दमे तो मन्त्रीजी पर भी चले होंगे, मुख्य मन्त्रीजी पर भी चले होंगे। आप (अध्यक्ष) पर भी चले होंगे, मुझ पर भी चले हैं राजनैतिक कार्यकर्त्ता होने के नाते। पर क्या कभी राजनैतिक कार्यकर्त्ता को ११० के अन्दर प्रोसीक्यूट किया जा सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. This is an aspersion on the Chair. The Hon. Member should withdraw his expression. The Chair has never faced all these ordeals.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, हम सब राजनीति में काम करते हैं। वक्तन फवक्तन आप हम सब पर भी केस चले हैं। पर क्या ११० में धरा किसी को। इसे ११० में धर दिया है मिल मैनेजमेन्ट से मिल कर। एक मजदूर कार्यकर्त्ता जो एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखता है, टैक्स-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

टाइल मिल लेबर यूनियन का सेक्रेटरी है। उसके खिलाफ ११० की कार्यवाही की जावे राजनैतिक कारणों से, तो क्या यह निन्दनीय नहीं है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मंत्री महोदय का कहना है कि गवाहों को धमकाने के कारण वह इससे इन्कार कर देते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी किसी मुकदमे में की गयी गवाही बिगाड़ी जा सकती है ? प्रासीक्यूशन का १६४ के तहत उनका स्टेटमेंट रेकर्ड करवायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे मामलों में आर्डिनरी हमले में कार्यवाही नहीं करते।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : जितने भी कम्पलेनेन्ट हैं जैसा आपने कहा कि केसेज़ विथड्रा हुए या अदम बकुआ में खारिज हो गए तो मेरा सवाल यह है कि कम्पलेनेन्ट....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह चाहूँगा कि एक नागरिक जिसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था और जो अदालत के अन्दर बरी हो चुका है उसको फन्डामेन्टल राइट्स और लिबर्टी आफ पर्सन है और अपनी राजनैतिक एक्टीविटी करने का अधिकार है उनके खिलाफ कोई केस नहीं होते हुए गवर्नमेंट यह स्टेन्ड ले कि जिससे कि गवर्नमेंट का इन्टेन्शन साफ जाहिर हो जिससे गवर्नमेंट उनके फन्डामेन्टल राइट्स और उनकी पर्सनल लिबर्टी को कर्ब करना चाहती है—मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का यह स्टेन्ड गलत है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्राटेक्शन चाहूँगा कि एक नागरिक के जो फन्डामेन्टल राइट्स हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को इस प्रकार से प्रिजुडिस होकर नहीं चलना चाहिये। इसमें उनको जबरदस्ती फंसाने की नीयत साफ जाहिर होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न यही बनता है कि उपमंत्री महोदय ने कह दिया कि गवाहों को तोड़ लेते हैं और अदालत से बरी हो जाते हैं। तो इसके विपरीत यह भी तो सोचा जा सकता है कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर उनके खिलाफ मुकद्दमे बना दिये जाते हैं और बाद में जब सच्चाई अदालत के सामने आती है तो वह बरी हो जाते हैं। तो मंत्री महोदय का यह कहना अनुचित मालूम होता है कि गवाहों को तोड़ लेते हैं। उप-मंत्री का यह स्टेटमेंट देना कि गवाहों को तोड़ लिया जाता है वर्ना केस तो सच्चा है और अदालत उन्हें बरी कर देती है यह तो एक प्रकार से अदालत के खिलाफ भी स्टेटमेन्ट कहा जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६६

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज

सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु ली गई भूमि का लगान

६७. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाली व देसूरी तहसीलों में सार्वजनिक कार्य निर्माण हेतु काश्तकारों से १० वर्ष पूर्व ली गई भूमि भी अभी तक उनके खातों में चली आ रही है और उनसे लगातार लगान वसूली की जा रही है ! इस प्रकार के कुल मामलों की संख्या क्या है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : तहसील बाली में दस साल पूर्व सार्वजनिक कार्य में ली गई भूमि का लगान वसूल नहीं किया जा रहा है। खातों में दुरस्ती कर दी गई है। तहसील देसूरी में इस प्रकार की भूमि खातों में है, लगान वसूली नहीं करने के आदेश जिलाधीश द्वारा तहसील में भेज दिये गये हैं।

श्री मोहनराज : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनका लगान वसूल नहीं होने की जो सूचना मिली है उसके मुतल्लिक जब आप स्वयं बाली पहुंचे थे तो आपके रूबरू इस तरह की शिकायत पेश हुई थी कि कुर्की के जरिये उनसे लगान वसूल किया गया है और आपकी सूचना का क्या आधार है जब कि आपको रूबरू इस तरह की शिकायतें पेश हुई थीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have already instituted an enquiry on this point and action will be taken against the defaulters and have also asked for the re-adjustment of rent which has been charged and which should not have been charged.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : जिस प्रकार किसानों से एक्सेस पेमेन्ट ले लिया और उसके बाद में रिफण्ड करने की बात आती है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लगान मय ब्याज के वसूल करते हैं क्या उनको भी जो रकम उनसे गैरकानूनन ले ली है उस पर ब्याज दिया जायेगा—जिनसे ऐसा लगान वसूल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ब्याज सरकार तो ले लेती है लेकिन किसानों से पैसे वसूल करके ब्याज नहीं देती है। यह ज्यादती है। यह माननीय श्री मोहनराजजी का ही प्रश्न नहीं है; राजस्थान में जहां जहा भी डवलपमेंट वर्क्स के लिए जमीन एक्वायर की गयी है वहां इसी तरह की परेशानी है। लाल फीताशाही फैली हुई है। मजदूर मारा जाता है किसान मारा जाता है और यह ध्यान नहीं देते हैं।

प्रश्न संख्या ६८

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल

जयपुर उद्योग से किराये की मांग

६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में खंडार डूंगर से फलोदी क्वेरी तक

Page No.15

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो रेलवे साइडिंग ३ मील तक बनी हुई वह कम्पनी ने जागीरदारों से जमीन किराये पर लेकर बनाई थी ?

(१) यदि हां, तो क्या जागीरें पुनर्ग्रहित हो जाने के बाद राज्य सरकार ने जयपुर उद्योग से इसका किराया मांगा है ?

(३) यदि हां, तो कितना कितना और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सवाई माधोपुर रवांजना में डूंगर से फलौदी क्वेरी तक जो रेलवे साइडिंग ३ मील लम्बी बनी हुई है वह खसरा नम्बर २-४ में बनी हुई है। इसे कम्पनी ने फलौदी के ठाकुर श्री दलेलसिंह से दिनांक २१-८-५१ को खरीदा था ! न कि किराये पर लिया था।

(२) चूंकि यह जमीन कम्पनी ने जागीर पुन र्ग्रहितहोने के पूर्व ही टिकाने से खरीद कर ली थी अत: किराये का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(३) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उस जागीरदार को इस जमीन को इस तरह से बेचने के अधिकार प्राप्त थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आपने इस बात की जानकारी की है कि लीगेली वह कम्पनी के पास है या गवर्नमेंट के राइट्स अभी उसके अन्दर सबसिस्ट करते हैं, हम आपके नोटिस में ऐसी बातें लाते हैं। जिसमें गवर्नमेंट के फाइनेन्सेस का सवाल है तो उसमें आप पूरी जानकारी करके कहते। कहते हैं कि अलग से प्रश्न है। इसके लिए आपको पूरी जानकारी करनी चाहिए थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I know the question involved in this and the enquiry is already pending.

श्री रामानन्द अग्रवाल : What type of enquiry please?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Whether it is legal or illegal ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इन्क्वायरी कब से जारी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I don't know the date but it is pending.

श्री रामानन्द अग्रवाल : For how long years ? कितने सालों से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is not a question of years.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या इस क्वेश्चन के जाने के बाद इन्क्वायरी जारी हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने पहले से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That is what I have already said.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री कृष्णकुमार गोयल ।

नगरपालिका तथा परिषदों के चुनाव

१००. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दिसम्बर. ६४ में कौन कौन सी नगरपालिका व परिषदों के चुनाव सरकार करवाने जा रही है ?

(२) इससे से कौन कौनसी पालिका अथवा परिषदों की अवधि समाप्त हो चुकी है ?

(३) कहां कहां पर सरकार ने अवधि बढ़ा दी है व कहां एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये हैं व क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।। अवधि बढ़ोत्तरी व प्रशासक की नियुक्ति, प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि जितनी नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हुई है और एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये गये हैं वह वहीं हैं जो कि केवल विरोधी दल की थीं ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं, यह सही नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिन नगरपालिकाओं की अवधि बढ़ाई है या जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये गये हैं इसमें सरकार ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है जिसको आधार मानकर यह कार्यवाही की है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड्स के टर्म्स को बढ़ाने का प्रश्न है गवर्नमेंट के खिलाफ वाली म्युनिसिपैलिटीज़ की भी टर्म्स बढ़ाई गई हैं । जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने का ताल्लुक है उसमें कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटीज़ में भी किये गये हैं । जहां तक टर्म्स बढ़ाने का सवाल है उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि किसी म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की, अनियमिताओं की शिकायत तो नहीं की गई है । जिन के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें नहीं होती हैं उनका टर्म्स बढ़ाया जाता है । जिनके खिलाफ शिकायतें होती हैं. चाहे वे किसी भी पार्टी की हों, उनका टर्म नहीं बढ़ाया जाता है । ऐसा भी होता है कि किसी के खिलाफ थोड़ी बहुत शिकायत होती है तो थोड़ा समय बढ़ा दिया जाता है । अगर वह शिकायतें सही नहीं होती हैं तो बढ़ाया जाता है और सही होती हैं तो नहीं बढ़ाया जाता है ।

Page No.17

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा नगर-पालिका की टर्म आरम्भ के अन्दर एक्सटेन्ड कर दी गयी थी लेकिन बाद में पोलिटिकल प्रैशर के कारण वापिस वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है क्या यह सत्य है ?

श्री बरकतुल्ला खां : उसका तो टर्म बढ़ाने का सवाल नहीं था बल्कि यह था कि उसको सुपरसीड किया जाये। जब उसका टाइम खत्म होने लगा तो उसको खत्म किया गया वर्ना उसके खिलाफ शिकायतें ऐसी थीं कि सुपरसीड हो सकती थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार इस प्रकार की महरबानी आरोप होते हुए भी करती आई है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार यह मानकर चलती है कि उसके अन्दर विरोधीदल की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि सरकार न्याय करती है। मैं बल्कि आपको उदाहरण देता हूं कि ब्यावर के अन्दर म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस की नहीं है लेकिन फिर भी उसका टर्म बढ़ाया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि अलवर की म्युनिसिपल कौंसिल के विरुद्ध भी इस तरह की इल्लीगल इर्रेग्युलेरिटी की कार्यवाही के आरोप थे और गवर्नमेंट ने पहले उसका टर्म एक्सटेन्ड नहीं करने का फैसला लिया, लेकिन बाद में वहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेशर डालने पर गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन बदल लिया और फिर डेट एक्सटेन्ड की।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न जनरल नेचर का है आप पर्टीक्यूलर्ली पूछ रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सूची पूछी है।

श्री अध्यक्ष : सूची पूछने का मतलब यह नहीं है कि हरेक की जानकारी उनके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय यह पॉलिसी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पॉलिसी का सवाल नहीं उठना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ६७ नगर-पालिकाओं को .. ....

श्री अध्यक्ष : Order please ! पहले आपने क्यों नहीं पूछा ? पहले तो जनरल सवाल करते हैं और फिर बाद में पर्टीक्यूलर पर आते हैं। जो खास सवाल पूछना चाहिए वह तो पहले नहीं पूछते हैं।

(श्री कृष्णकुमार गोयल के खड़े होने पर) Order please ! श्री अमरसिंह।

श्री विजयसिंह झाला : बड़े शर्म की बात है !........

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य ! यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि बाधा नहीं डालें सदन की कार्यवाही में।

श्री विजयसिंह झाला : पूरी जानकारी तो आनी चाहिए।

Page No.18

श्री अध्यक्ष : पूरी जानकारी आई है जो मांगी गई थी । व्यक्तिगत तौर से कोई पूछना है तो वह पहले पूछना चाहिए ।

श्री विजयसिंह झाला : फिर प्रश्न पूछने का क्या मकसद है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से १०० दफा निवेदन कर चुका हूँ कि जनरल क्वेश्चन करके पर्टीक्यूलर पर नहीं आवें । आपको अगर कोटा की शिकायत है या अलवर की शिकायत है तो उसी तरह से पूछिये कि क्या चार्जेज़ हैं, क्यों किया, क्यों नहीं किया । इतनी बड़ी लिस्ट तो पूछ ली और फिर हरेक का चुन-चुन कर पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्वेश्चन नं० ३ में जिसको कि आपने एडमिट किया है तो यह उसमें निहित है ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह । इसमें निहित नहीं है । जनरल प्रश्न पूछा था वह उन्होंने बता दिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): यह उसमें है ।

श्री अध्यक्ष : यह मुझ पर छोड़िये कि है या नहीं ।

बन्ध हिंगोनिया सागर

१०१. **श्री अमरसिंह (दूदू)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि बंध हिंगोनिया सागर की एक नहर गांव खटवाड़ व भागु तहसील दूदू तक जाती है ?

(२) अगर हां, तो क्या इस नहर का रास्ता इस साल बदला गया है ?

(३) अगर हां, तो जिन लोगों की खेत की जमीनें इसमें आयेंगी उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखें ।

(४) यदि नहीं, तो खटवाड़ ग्राम के हनुमान खाती, गोपी बागड़ा, रामनाथ बागड़ा, बलूता मीणा वगैरा के खेतों को खोद कर फसल का नुकसान क्यों किया गया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) बुकनी नहर के बढ़ाने से जिनकी जमीनें उसमें आयेंगी उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(४) किसी की फसल को नुकसान नहीं हुआ है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अमरसिंह : प्रश्न के भाग (४) में जिन लोगों के नाम दिये गये हैं उनके खेत की कटवाई करवाई गई है या नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : वैसे यह नहर बढ़ाई गई है और इसको बढाते समय जो खेत बीच में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक दिया गया था क्योंकि उनमें फसल बोई हुई थी । उसके कटने के बाद में काम शुरू किया गया है ।

श्री अमरसिंह : आपने भाग (४) का जवाब दिया है कि कोई नुकसान फसलों का नहीं हुआ है और आप अब कह रहे हैं कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो नुकसान तो इसमें जरूर हुआ है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने निवेदन किया कि जब कोई नहर खोदते हैं तो अगर जमीन पर फसलें बोई हुई होती हैं तो काम रोक देते हैं और जब फसलें पक जाती हैं तो काम वापिस शुरू करते हैं। तो नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री अमरसिंह : गेहूं के खेत खड़े हुए थे और खड्डे खोद दिए तो नुकसान तो हुआ ही होगा। यह आपने भी माना है कि रुकवाया है। इसका कोई जवाब, अध्यक्ष महोदय, नहीं आया है कि नुकसान का मुआवजा देंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मुआवजा तो अवश्य देंगे।

श्री अमरसिंह : लैण्ड एक्वीजिशन के तहत जिनकी जमीनें ली गई हैं उनका ही मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : आप जो परिवर्तन कर रहे हैं.... ...

(अश्रव्य)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : प्रश्न संख्या (३) में यह कहा गया है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तो क्या इस नहर का रास्ता बदला गया है और उस रास्ते में जो जमीनें आई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखी है लेकिन आपने रास्ता बदला ही नहीं है तो कौनसी जमीनों की आपने सूची रखी हैं? यह दो विरोधी बातें हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : रास्ता बदला नहीं गया है लेकिन नहर को बढ़ाया गया है। जब नहर बढ़ाई जाती है तो उसके अन्दर जो जमीनें आती हैं और उन पर किसी की फसल खड़ी रहती है तो उनको नुकसान नहीं पहुँचे तो वह फसल जब तक नहीं कटती है तब तक काम रोक दिया जाता है लेकिन डिमार्केशन जरूर कर देते हैं। उसको नुकसान नहीं समझें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रास्ता बदलने से जो जमीनें उसके नीचे आई हैं उसकी सूची आपने सदन में रखी है।

श्री दिनेशराय डांगी : रास्ता बदला नहीं गया है यह मैंने जवाब में निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय संस्था को अनुदान

१०२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के किसी फण्ड में से कुछ रकम ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था को दी गई है? यदि हां, तो किस फण्ड में से किस नियम के अन्तर्गत कितनी रकम दी गई है और क्यों?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जोधसिंह चौहान : उनको रकम मिल गई क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं कोई रकम नहीं दी गई ।

श्री जोधसिंह चौहान : अखबारों में यह खबर आई है कि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय को पैसा दिया गया है तो सरकार इस पोजीशन को क्लियर करने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : अखबारों में क्या आता है और क्या नहीं आता है उसका इस डिपार्टमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रह्मकुमारी संस्था को कोई अनुदान या किसी प्रकार की रकम नहीं दी गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या बेनिवोलेन्ट फण्ड से इनको एक लाख रुपया नहीं दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से पूछें । बेनिवोलेन्ट फण्ड जो इस डिपार्टमेंट में है उससे नहीं दिया गया । दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेंट से यह पूछा जाता है और अगर हमको डिपार्टमेंट नहीं मालूम है और जनता को यह पता है कि पैसा दिया गया है तो गवर्नमेंट हमें बताये कि किसी डिपार्टमेंट से पैसा दिया गया या नहीं । It is a matter of public importance.

श्री परसराम मदेरणा : पहले हमारा यह विचार था कि दूसरे डिपार्टमेंट्स को परिपत्र भेजकर मालूम करें कि दूसरे किसी डिपार्टमेंट ने दिया कि नहीं, लेकिन समय बहुत कम था और आपका प्रश्न स्पेसिफिकली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से था तो मैंने जवाब दे दिया कि इस डिपार्टमेंट से उनको कोई रकम नहीं दी गई है । अगर आप यह चाहते हों कि सभी डिपार्टमेंट से पूछ लें तो उससे पहले प्रश्नकर्ता को एसर्टेन कर लेना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट ने दिया है । इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्फार्मेशन होती तो पूछते ही क्यों ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सरकार यह इन्क्वायरी करवायेगी कि यह संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप दूसरा प्रश्न पूछ लें तो बता दूं । एब्रप्टली खड़े होकर २० प्रश्न पूछें तो यह रेलेवेन्ट नहीं है ।

श्री दलपतसिंह : आपने आश्वासन दिया है कि दूसरे डिपार्टमेंट ने कोई फण्ड दिया होगा इस संस्था को तो इन्क्वायरी करायेंगे इसलिए मैंने कहा कि किस डिपार्टमेंट से दिया गया है यह इन्क्वायरी भी करायेंगे तो यह भी इन्क्वायरी करालें कि

(श्री दलपतसिंह)

ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है या नहीं, इसको मान्यता प्राप्त है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर अध्यक्ष महोदय ऐसी आज्ञा नियमों में दे सकते हैं तो हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्वयं की संस्था चालू कर लें ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मतलब है कि सब डिपार्टमेंट को कोआर्डीनेट करता है । मैं भी पहले गलत फहमी में था, लेकिन अब नहीं हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब कि किसी पर्टीक्यूलर डिपार्टमेंट का पता नहीं हो तो प्रश्न कैसे करेंगे । यही तो कहेंगे कि क्या राज्य सरकार ने पैसा दिया है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : प्रश्न माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछा गया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आशा की जाती है कि जो राज्य के द्वारा अनुदान दिया गया है उसकी सूचना रखें । क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): राजस्थान में ऐसी हजारों संस्थाएं हैं । किसी को एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से एड मिलती है, किसी को सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और किसी को सी०एण्डी० से । सारी चीजों के बारे में जानकारी मैं रख कर चल नहीं सकता, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है इस संस्था को किसी से एड नहीं मिली है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या कोई संस्था इस प्रकार की मांग करे तो सरकार को देने में ऐतराज है, उसको नहीं दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): माननीय मुरलीधरजी इस संस्था को पैसा दिलाना चाहते हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १०३ ।

फुटपाथ पर लकड़ी की केबिनें, जयपुर

१०३. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया व कुछ अन्य स्थानों पर फुटपाथ पर लकड़ी की केबिनें बनी हुई हैं ?

(२) क्या यह केबिनें कुछ दुकानों के सामने हैं जिसकी वजह से पर्मानेन्ट दुकानदारों को बहुत नुकसान होता है ?

(३) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ की गली के पास और किशनपोल बाजार की फुटपाथ पर जो केबिनें लगी हैं वो मालिकों

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ने किन्हीं दूसरों को किराये दे रखी हैं और उन केबिनों में गैर कानूनी सट्टे होते हैं ?

(४) क्या सरकार इन केबिनों को जल्दी हटाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ताकि पर्मानेन्ट दुकानदारों को सहूलियत मिल सके ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) केबिनें कुछ दुकानों के सामने है।

(३) इस प्रकार की कोई सूचना इस विभाग को नहीं है।

(४) उपर्युक्त स्थान का प्रबन्ध होने पर ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो केबिनें हैं और जिन मालिकों की है उन्होंने दूसरों को किराये दे रखी हैं। मैंने जो स्पष्ट प्रश्न पूछा है वह यह है कि इन केबिनों में अनियमित तौर से सट्टे का काम होता है जिनको सरकार नहीं हटा सकी।

श्री दौलतराम सारण : अगर वहां पर अनियमित सट्टे का काम होता है तो पुलिस को सूचना दे दीजिये वह कार्य करेगी। इस विभाग से उसका सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह विभाग इस बात में इन्ट्रेस्टेड नहीं है कि वहां पर इस तरह से इल्लीगल कार्यवाही न हो और ये सट्टे के कार्य के लिये इस्तेमाल न हो ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

तहसील पिड़ावा में मालगुजारी की दरें

१०४. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील पिड़ावा का सैटलमेंट कब-कब हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि पहले (६-७ साल पूर्व) सैटलमेंट हुआ था उसके अनुसार पिड़ावा तहसील की मालगुजारी की दरों में कमी होने की सिफारिश की गई थी ?

(३) तहसील पिड़ावा में नई मालगुजारी की दरें कब तक लागू करदी जावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) इस तहसील के २१८ ग्राम हैं, १७८ ग्राम सुनेल टप्पा साबिक रियासत इन्दौर के थे, १४० ग्राम साबिक रियासत टौंक के थे।

सुनेल टप्पा में नियमानुसार पहला बन्दोबस्त सन् १९०६ में लागू हुआ इसके बाद संशोधन बन्दोबस्त सन् १९३७-३८ में किया गया। अब दूसरा संशोधन बन्दोबस्त हो रहा है।

रियासत टौंक के देहात में इब्तदाई बन्दोबस्त सं० १९४९ में किया गया फिर सं० १९५५ में और फिर सं० १९६६ में।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) राज्य सरकार के पास छं-सात साल पूर्व कोई लगान में कमी करने की सिफारिश नहीं आई।

(३) बन्दोबस्त की आवश्यक कार्यवाही के बाद नई रेन्ट रेट्स सेटिलमेंट कमिश्नर के कार्यालय में विचाराधीन है, वहां से राज्य सरकार के पास प्रस्तुत होने पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री गोविन्दसिंह : साधारणतः सैटलमेंट होने के कितने दिन बाद रेवेन्यू की रेन्ट रेट्स अनाउन्स करदी जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके कोई हार्ड एड फास्ट रूल्स नहीं हैं जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह : क्या चिड़ावा का प्रश्न जटिल है ? क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि जल्दी ही अनाउन्स कर देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: प्रयत्न करेंगे कि सैटलमेन्ट कमिश्नर द्वारा रेन्ट रेट्स की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद जल्दी ही राज्य सरकार के पास आवे।

श्री गोविन्दसिंह : प्रश्न आपको मैंने पूछा था रेट्स कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे पास सैटलमेंट कमिश्नर से प्रस्ताव आयेगा तब पता चलेगा कि रेट्स ज्यादा हुई या कम हुई। उस वक्त ही सरकार अपना निर्णय दे सकेगी।

श्री गोविन्दसिंह : एक साल बाद, दो साल बाद या कब तक घोषणा हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

घोड़े और खच्चर प्रजनन को प्रोत्साहन

१०५. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Agriculture Minister please reply :

1. Is it a fact that the Defence Ministry, Government of India is keen to give encouragement to Horse breeding and Mule breeding for Defence purposes and that they are prepared to supply stallions to the prospective horse breeders in Rajasthan ?

2. If so, what steps the Government of Rajasthan has taken to take advantage of this scheme and how many horse and Mule breeders have been registered in this State so far ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) भारत सरकार ने अश्व प्रजनन तथा खच्चर प्रजनन के राजस्थान में कुछ सेन्टर्स (centres) खोलने के लिये राज्य सरकार को सन् १९५१ में एक स्कीम भेजी थी, किन्तु राज्य सरकार के पूर्ण रूप से सहयोग देने के उपरान्त भी भारत सरकार ने उक्त स्कीम वापिस ले ली।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : भारत सरकार ने स्कीम भेजी थी वह उसने वापिस कैसे ले ली, क्या राजस्थान सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ ? आप फरमाते हैं कि राजस्थान सरकार

Page No.24

(श्री जुझारसिंह)

ने पूर्ण सहयोग दिया उसके बावजूद भी भारत सरकार ने वापिस ले ली। मेरी इन्फरमेशन यह है कि भारत सरकार राजस्थान में जो इन्डिविज्युअल संस्थाएं या लोग होर्स ब्रीडिंग या म्यूल ब्रीडिंग फार्म्स चलाते हैं उनको उन्होंने इन्सेन्टिव दिया है, उनको हेल्प दी है। जब वे प्राइवेट पार्टीज को हेल्प देने को तैयार हैं तो सरकार को नहीं देंगे यह समझ में नहीं आता।

श्री भीमसिंह : अपने यहां ४-५ हजार एकड़ जमीन देने को हम तैयार थे लेकिन वे ३० हजार एकड़ जमीन चाहते थे जो हम नहीं दे सकते थे। ब्रिटिश सरकार के जमाने से सहारनपुर और बाबूगढ़ में जो आर्मी ब्रीडिंग सेन्टर्स थे वहीं पर उन्होंने अपनी स्कीम चालू कर दी।

श्री जुझारसिंह : आर्मी के जो ब्रीडिंग सेन्टर्स चल रहे हैं वे कितने एकड़ के हैं इसका कुछ अन्दाज है क्या आपको ?

श्री भीमसिंह : डेफिनेट इन्फरमेशन नहीं है कि सारनपुर और बाबूगढ़ के फार्म्स कितने बड़े हैं।

श्री जुझारसिंह : सारनपुर और बाबूगढ़ के होर्स ब्रीडिंग फार्म ४ हजार एकड़ से कम हैं सारनपुर का चार हजार एकड़ का है उसको सहायता देने को तैयार हैं और बाबूगढ़ का भी करीब ३ हजार एकड़ का है उनको भी सहायता देने के तैयार हैं। सन् ६२ के बाद इमरजेन्सी के बाद मेरी इन्फरमेशन है कि २७ लाख की एड गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया देने को तैयार है क्योंकि इमरजेन्सी के बाद उनको ज्यादा होर्सेज और म्यूल्स की आवश्यकता है। तो क्या राजस्थान सरकार गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के पास एप्रोच करेगी कि वे यहां पर होर्स ब्रीडिंग सेन्टर्स स्टार्ट करें ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के बारे में काफी लंबी कोरेस्पोन्डेन्स राजस्थान सरकार की तरफ से डिफेन्स मिनिस्ट्री से हो रही है। यहां तक कि मुख्य मंत्रीजी ने दो सेपरेट डी. ओज़ डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिखे। वे राजस्थान केनाल एरिया में २० हजार एकड़ जमीन मांगते थे, इतनी जमीन हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारे पुराने कमिटमेन्ट्स है खास तौर से लैंड लेस लोगों के लिये जमीन देनी है, जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करने के लिए भी जमीन देनी है और दूसरे लोगों को भी बसाने के लिये जमीन चाहिये इसलिये इतने बड़े पैमाने पर हम उनको जमीन नहीं दे सकते। ३० हजार एकड़ जमीन सूरतगढ़ फार्म की भारत सरकार को हम पहले ही दे चुके हैं इसलिये अब फिर इतनी जमीन हम नहीं दे सकते। फिर हमने उनसे कहा कि सूरतगढ़ में ५ हजार एकड़ जमीन होर्स ब्रीडिंग और म्युल ब्रीडिंग के लिये देने को तैयार हैं। ५ हजार एकड़ से ज्यादा जमीन हमारे पास है नहीं। स्पेसिफिकली हमने उनसे यह कहा और २ डी. ओज़ सी एम. ने लिखे। इस पर भी राजस्थान सरकार को यह कहा जाय कि हम कोओपरेशन देने को तैयार नहीं है, यह उचित नहीं है। हमारे कोओपरेशन के बावजूद भी भारत सरकार ने यह कहा कि हम नयी स्कीम नहीं शुरू करेंगे। एग्जिस्टिंग फार्म्स हैं उनकी ताकत बढ़ायेंगे।

श्री जुझारसिंह : राजस्थान सरकार की कोरेस्पोन्डेन्स सन् ५१ में शुरू हुई थी और फिर खत्म हो गई। सन् ६२ में इमरजेन्सी का टाइम आया। इसके बाद डिफेन्स मिनिस्ट्री को भी होरसेज और म्यूल ब्रीडिंग की ज्यादा जरूरत है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा।

In the present circumstances whether the Government of Rajasthan is prepared to approach the Defence Ministry and take interest in giving encouragement to set up Mule breeding centres in Rajasthan now ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९५१ की बात आप कहते हैं तब तो स्कीम की शुरूआत थी। अब मैं लेटेस्ट बात कह रहा हूँ, ६१. ६२ की बात कर रहा हूँ।

श्री जुझारसिंह : इमरजेन्सी चीन के आक्रमण के बाद की बात मैं कर रहा हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भी चीन के आक्रमण के बाद की बात कह रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी की चिट्ठी इमरजेन्सी स्कीम के बाद गई है। लेकिन वे अब स्कीम चालू नहीं करना चाहते। पहले के जो सेन्टर्स उनके चल रहे हैं उनमें होर्स ब्रीडिंग और खच्चरों के ब्रीडिंग और कुछ स्टेलियन्स को ब्रीड करने का कार्य बढ़ा रहे हैं। नये सेन्टर्स खोलने का उनका विचार नहीं है बावजूद चीन की लड़ाई के बाद को इमरजेन्सी के।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड) : जैसे भेड़ बकरी के लिये एक्सटेन्शन ओफिसर्स रखे जाते हैं और सेन्टर्स खोले हैं उसी तरह राजस्थान गवर्नमेन्ट अपने तौर से इन्डिपेन्डेन्ट स्कीम चलाना चाहती है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि अभी ६ सेन्टर्स होर्स और म्यूल ब्रीडिंग का काम इस समय कर रहे हैं और जितनी गुंजायश अभी है उसको एक्सटेन्ड करने के बाद यदि महसूस करेंगे और आवश्यकता होगी तो विचार किया जा सकता है।

श्री दलपतसिंह : जोधपुर डिविजन में ५.६ इन्डिविज्युअल सेन्टर्स चल रहे हैं और म्यूल्स या गाएं खरीदने के लिये सबसिडि देते हैं उसी तरह घोड़ियें खरीदने के लिये सबसिडी दी जाय और सेन्टर की स्कीम की तरह राजस्थान में भी स्कीम चालू करें तो अच्छा रहे इसलिये आप इसको एग्जामिन करें और पोसिबल हो तो इन्डिविज्युअल सेन्टर्स की तरह चलाने का विचार करें।

(६-०० म० पू०)

श्री नाथूराम मिर्धा : हर स्कीम में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धि हो मगर चौथी योजना में हमारे पास क्या गुंजायश रहती है उसको देखना है कि किस स्कीम में कितनी इकोनोमी होती है और किस स्कीम को प्रायोरिटी दें।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या सरकार जिस प्रकार से मुर्गा मुर्गी और भेड़ आदि पालने वालों को जो रियायतें देती है क्या उसी तरह से घोड़ा घोड़ियें पालने वालों को भी लैंड व रियायतें देने का विचार रखती है ?

Page No.26

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : प्रश्न संख्या १०६।

(श्रीमती कमला बेनीवाल प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी हुईं)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह कहूँगा कि राजस्थान सरकार शीप्स एन्ड काउज के लिये जिस तरह से लेन्ड आदि व अन्य रियायतें देती है उसी तरह से घोड़ा, घोड़ियों के लिये भी रखें तो मैं समझता हूँ कि डिफेन्स के समय में ज्यादा फायदा हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

पानी की समस्या और जन सहयोग की रकम ग्राम मुंजासर

१०६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हाल ही में ग्राम मुंजासर, पंचायत समिति फलोदी, जिला जोधपुर में, बोरिंग विभाग द्वारा ब्लास्टिंग मशीन से कठोर पत्थर तोड़ कर मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में गहराई से निकाला गया था और ग्रामवासियों की पीने के पानी की विकट समस्या हल हो गई? अगर हां, तो उक्त गांव अकाल ग्रस्त क्षेत्र में होते हुए भी जन सहयोग के हिस्से की रकम अकाल सहायता विभाग द्वारा क्यों नहीं दी गई?

(२) क्या सरकार अब जन सहयोग के हिस्से की रकम उपरोक्त कार्य के लिए अकाल सहायता फंड से दिलाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त बेरा अभी बंधना बाकी है और उस पर अन्दाजन १०,००० रुपया की रकम की आवश्यकता होगी? अगर हां, तो उसमें से जन सहयोग के हिस्से की रकम अकाल सहायता विभाग द्वारा सरकार मंजूर करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल):

(१) जी हां यह सच है। स्थानीय विकास कार्यों के जो प्रस्ताव पंचायत समिति ने जिलाधीश जोधपुर को भेजे थे, जिसमें जन सहयोग का हिस्सा अकाल सहायता बजट से दिया जाना था, उसमें मुंजासर का प्रस्ताव नहीं था।

(२) जी हां। अगर पंचायत समिति फलौदी इसके लिए प्रस्ताव भेजे तो स्थानीय विकास कार्यान्तर्गत २५ प्रतिशत तक सहयोग के रूप में अकाल सहायता के मद से देने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

(३) बेरा बांधने के लिए भी कोई प्रस्ताव पंचायत समिति फलोदी से जिलाधीश जोधपुर को नहीं भेजा गया। अगर प्रस्ताव भेजा जायगा तो उस पर विचार किया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसका प्रस्ताव काफी अर्से पहले भेज दिया गया है और उसके बाद २॥ महीने पहले मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र दिया था और उन्होंने भी पत्र जारी किया। इतना बड़ा वर्क है। २५० फुट नीचे मीठा पानी

Page No.27

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

निकला है जहां पर पानी की बहुत कमी थी और जनता को मीठा पानी मिला है। ऐसी समस्या को देखते हुए अगर इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाय तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पहले भी इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया था पता नहीं कहां रह गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। प्रस्ताव मंगाकर कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ७१५ बहुत महत्वपूर्ण है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

होली के त्योहार पर चीनी का बंटवारा तहसील नदबई

९६. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नदबई तहसील में होली के त्योहार की चीनी का बंटवारा पंचायतवार किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि त्योहार की चीनी जनता को नहीं दी गई ? यदि हां तो क्यों और यदि नहीं, तो कितनी कितनी चीनी प्रत्येक पंचायत में लोगों को दी गई ?

(३) जितनी चीनी लोगों को नहीं दी जा सकी थी, क्या वह भविष्य मे दे दी गई थी ?

उत्तर

(१) जी हां

(२) जी नहीं, यह सच नहीं है। हां यह अवश्य है कि चीनी का वितरण मार्केटिंग सोसाइटी, नदबई द्वारा समय पर कोटा न उठाने के कारण त्योहार के अवसर पर न हो सका जो बाद में आबादी के आधार पर नदबई तहसील को १२ बोरी का वितरण निम्न प्रकार से किया गया :—

कस्बा नदबई	४ बोरी	५० ग्राम प्रति यूनिट
देहात	८ बोरी	१० ग्राम प्रति यूनिट

(३) इस प्रकार होली के त्योहार की चीनी माह मार्च के कोटे के साथ वितरण की गई।

ग्राम पिलाव के बांध के मैंटीनेन्स पर व्यय

९८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील कोलायत, ग्राम पिलाव में बने हुए बांध की मैन्टीनेन्स के लिए सरकार द्वारा पिछले ५ वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(२) प्रत्येक वर्ष में खर्च की गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No.28

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(३) क्या यह सही है कि पिलाव बांध की चैनल्स में मिट्टी भरी हुई है और गत तीन वर्षों में चैनल्स की मिट्टी नहीं निकलवाई गई और इस कारण वर्षा का पानी बांध में नहीं आ सका ?

(४) क्या सरकार इस बात की जांच करने का विचार रखती है कि जो धनराशि पिछले ५ वर्षों में पिलाव बांध पर व्यय हुई दिखाई गई है उसमें भारी अपव्यय और भ्रष्टाचार किया गया है या नहीं ?

(५) पिलाव बांध गत वर्षों में से किस वर्ष में पानी से पूरा भरा ?

उत्तर

(१) २६४६२)

(२)

वर्ष	खर्च की गई धन राशि
१६५६–६०	४०३०.०० रु०
१६६०–६१	३४२१.०० रु०
१६६१–६२	३६३६.०० रु०
१६६२–६३	७७६८.०० रु०
१६६३–६४	७३०७.०० रु०

(३) जी नहीं यह सही नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) सिर्फ सन् १६३३ में।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चोरियां बरामद करने के लिये कैम्प–तिजारा

१६. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तिजारा थाने में पुलिस विभाग की ओर से चोरियां बरामद करने के लिए एक कैम्प लगाया गया था ?

(२) यदि हां, तो उस अवसर पर कुल कितने लोगों को पूछताछ के लिए तिजारा थाने में बुलाया गया और कितने लोगों की पिटाई की गई और कितनों का चालान किया गया ?

(३) यह कैम्प किसके आदेश पर लगाया गया था और कितने दिनों तक लगाया गया ?

(४) इस कैम्प द्वारा तफतीश (जांच) के दौरान कितनी चोरियां बरामद की गईं और कुल माल कितनी रकम का बरामद किया गया ? कितने लोगों को उनका माल वापिस दिलाया गया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) केवल १६ व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पिटाई किसी की नहीं की गई। १२ का चालान किया गया।

(३) यह कैम्प श्री ए० सी० चौपड़ा, सी० ओ० तिजारा ने अपने हलके की चोरियों की रोकथाम एवं पतारसी के लिए कायम किया था। जो २२ दिन तक रहा।

(४) इस दौरान में कुल ७ नकबजनियों बरामद हुईं एवं अपहृत सम्पत्ति रु० १६८५) के मूल्य की बरामद हुई। बरामद शुदा सम्पत्ति से सम्बन्धी ५ मुकदमात अदालत में विचाराधीन हैं अतः अदालत में पेश की जा चुकी

(श्री गृह मन्त्री)

है। मुकदमात का फैसला होने के पश्चात् सम्पत्ति को अदालत के आदेशानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटाई जावेगी।

जयपुर नगर परिषद् द्वारा पास किए गये प्रस्ताव

२०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर परिषद् ने दिनांक २२-११-६१ और २५-४-६२ के मध्य क्या क्या प्रस्ताव पास किए और उनमें से कौन कौन से राज्य सरकार ने स्वीकार किए? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) २६-४-६२ से लेकर नगर परिषद् भंग होने के बीच कौन कौन से प्रस्ताव पारित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों में से किन किन को स्वीकार किया और नहीं, तो क्यों?

(४) जनवरी, १९६४ से लेकर अब तक कौन कौन से प्रस्ताव जयपुर नगर परिषद् ने स्वीकार किये उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में बैड्स की व्यवस्था

२१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा कब से आरम्भ हुआ? उस समय इसमें कुल कितने बैड्स की व्यवस्था थी तथा औसतन इन-डोर मरीजों की संख्या कितनी थी?

(२) आजकल उक्त अस्पताल में औसतन मरीज (इन-डोर) की क्या संख्या है और कुल कितने बैड्स की व्यवस्था है?

उत्तर

(१) इस नाम से अस्पताल, दिनांक २७-१-१९५८ से आरम्भ हुआ है। उस समय १५० रोग शैय्याओं की व्यवस्था की गई थी। इन-डोर मरीजों को औसत प्रति दिन संख्या १०८.४ थी।

(२) आजकल अस्पताल में औसतन रोगियों (इन-डोर) की संख्या २१६.२ है और २०० बैड्स की व्यवस्था है।

गांधी मजदूर सेवालय-भीलवाड़ा

२२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भीलवाड़े में गांधी मजदूर सेवालय के नाम से नगरपालिका ने कोई जमीन शहर के मध्य में बहुत कम रेट पर दी है? अगर हां, तो कितनी व किस रेट पर?

(२) क्या इस गांधी मजदूर सेवालय का कोई ट्रस्ट या संस्था है? अगर हां, तो इसका

Page No.30

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रजिस्ट्रेशन किस कानून की तहत कब और कहां से हुआ तथा इसके कौन २ सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) नगरपालिका, भीलवाड़ा द्वारा ऐसी कोई जमीन नहीं दी गई है।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है

बांध योजनाओं का सर्वे-गिरवा क्षेत्र

२३. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गिरवा क्षेत्र, उदयपुर डिविजन में :—

(१) क्या जितने बांध बनाये जाने की योजना है उन सबका सर्वे करा लिया गया है ?

(२) ऐसे कितने बांध हैं जिनकी पाल के नीचे से पानी जाता है और उसकी दुरुस्ती कब तक हो जावेगी ?

(२) कितने बांध अभी अधूरे हैं और वे कब पूरे हो जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां अभी केवल टिडी नदी पर एक बान्ध योजना है। जिसका सर्वे किया जा चुका है ?

(२) वागोलियां व उन्ठाला ऐसे दो बांध हैं इनसे सीपेज की समस्या का निराकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

(३) अन्य कोई नहीं।

बांध व नहरों का निर्माण और सिंचाई

२४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बेडसु नदी पर कितने बांध बांधे जा रहे हैं ?

(२) बडगांव बांध वल्लभनगर बांध की दूरी आपस में कितनी है ?

(३) इन दोनों बांधों की लागत क्या है और इनसे कितनी जमीन में सिंचाई होगी ?

(४) उक्त दोनों बांधों में कितनी जमीन पानी में डूबेगी ?

(५) क्या इसी बेडसु नदी पर उदयसागर बांध बना है ?

(६) क्या इस उदयसागर बांध की नहरों से कृषि भूमि को सिंचाई करना बंद कर दिया गया है ?

(७) उदयसागर से वल्लभनगर व बड़गांव बांध तक क्या कोई सहायक नदी इस मुख्य नदी में आकर गिरती है ?

(८) पिछले पांच वर्षों में उदय सागर बांध कितनी बार ओवर फ्लो हुआ ? यदि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं हुआ, तो वल्लभनगर व बड़गांव बांध में पानी कहां से आयेगा ?

(६) क्या गांव डबोक की कृषि भूमि में उदय सागर बांध से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो गत वर्ष कितनी बीघा भूमि में सिंचाई की गई ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने काश्तकारों को नोटिस दे दिये हैं कि वे कृषि भूमि में सिंचाई के लिये पानी नहीं दे सकेंगे ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

(६. ०३ म० पू०)

बहरोड़ (अलवर) में तथा कथित भ्रष्टाचार सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव पर उप-मन्त्री, गृह द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव है।

एक स्थगन प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने बहरोड तहसील जिला अलवर की कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में भेजा है। सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य दिया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री, गृह) : दिनांक १६-६-६४ को बहरोड़ जिला अलवर में एक ग्राम सभा हुई जिसमें शक्कर एवं अन्य नियन्त्रित (कन्ट्रोल) सामग्रियों के वितरण की अव्यवस्था के बारे में प्रधान श्री रामसिंह के विरुद्ध आरोप लगाये गये और यह भी कहा गया कि जनता के निमित्त प्राप्त हुई शक्कर चोर बाजार में बेची जाती है।

दिनांक २०-६-६४ को एक जीप में ६० किलो शक्कर बरामद हुई जिसे श्री जैन नामक चाय वाले को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। श्री मोहनसिंह वकील ने इस सम्बन्ध में पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर थाना बहरोड़ में मु० नं० ३० डी० आई. आर० की धारा १२५ (२) के अन्तर्गत अंकित किया गया।

दिनांक-२२- को विरोधी दल ने इस घटना का विरोध करते हुए एक जलूस निकाला जिसमें प्रधान पर काला बाजार करने के आरोप लगाये क्योंकि संयोगवश जिस व्यक्ति के पास शक्कर बरामद हुई वह व्यक्ति प्रधान की ही जाति का था।

इस जलूस पर जिसमें कुछ विद्यार्थी भी थे तहसील पर पहुंचने के पूर्व ही कुछ व्यक्तियों ने आक्रमण किया और इसके फलस्वरूप यह जलूस तितर बितर हो गया। प्रथम सूचना में अंकित बारह व्यक्ति जिनमें श्री रामसिंह प्रधान भी सम्मिलित है, के विरुद्ध मु० नं० ३१ दफा १४३।१४७ के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया।

इसके पश्चात् कुछ प्रदर्शनकारियों ने श्री रामसिंह प्रधान को एक दुकान में देखा और उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। जिस पर प्रधान एक कमरे में छुप गये। प्रदर्शनकारियों ने दरवाजे को तोड़कर उनको चोट पहुंचाने का प्रयास किया किन्तु पुलिस के प्रयासों के एवं प्रधान के साथियों के फलस्वरूप उसके कोई चोट नहीं आई। इस

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

घटना के सम्बन्ध में भी ६ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम व ३२ धारा १४३।१४७ ता० हिन्द में दर्ज हुआ।

इन दोनों मुकदमों की घटना के २४ घन्टे के अन्दर ही सभी अभियुक्तों के विरुद्ध (१२ एवं ६) चालान प्रस्तुत कर दिये गये।

जलूस निकलने के समय सभी दुकानें बन्द कर दी गई थी; किन्तु श्री मन्शी अहीर ने अपनी दुकान बन्द नहीं की अतएव उस पर आक्रमण किया गया जिससे उसके चोट आई। इस सम्बन्ध में मु०नं० ३३ दफा १४३। १४७ ता० हि० दर्ज किया गया।

इस घटना के पश्चात् बहरोड़ से श्री रामेश्वरलाल शर्मा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डा० भागमल वर्मा, मैडिकल ऑफिसर बहरोड, श्री प्रतापसिंह सर्किल ऑफिसर पुलिस बहरोड़ एवं जगदीशप्रसाद जैन एस. एच. ओ. बहरोड का स्थानान्तरण किया गया। दोनों पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। दोनों ही दल सही तथ्यों को मोड़ तोड़ कर अपना प्रचार कर रहे हैं।

बहरोड में कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर नहीं है। वहां जन साधारण में किसी प्रकार का आंतक व उत्तेजना नहीं दिखाई देती।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है, उसमें बहुत कुछ तथ्यों का प्रश्न है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत कुछ बातें और तथ्य सही हों, लेकिन आपने यह फरमाया कि ६ व्यक्तियों पर मुकदमा दायर हुआ है उसके अलावा जो व्यक्ति खुले आम बाजार में "ब्लेक" शक्कर का कर रहा था और जीप में ४ बोरी थी उसको आपने कुछ कम बताया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास स्पष्ट रिपोर्ट है कि आपने किस प्रकार से इनकी जांच की है, सरकार ने इस बारे में जांच की है क्या कि लगतार अलॉटमेंट पंचायतों के लिये हो रहा है मगर उसका बहुत सारा माल वहां के लोगों को नहीं मिलता और ब्लेक में बेचा जा रहा था। मैं यह कहूंगा कि यह सही है और आप इसकी इन्क्वायरी करा लीजिये। लोगों को बहुत असंतोष इसलिये होता है कि जो चीज आप लोगों को देने के लिये देते हैं वह उन लोगों को नहीं मिलती है। एस. डी. एम. के पास बहरोड में प्रदर्शन किया गया वह इसलिये किया गया कि वह ब्लेक में मिलती है और गेहूं आदि इम्पोर्टेड वीट है वह भी ३२) रु० मन के भाव बिकता था बल्कि वह इम्पोर्टेड वीट भी मिल नहीं रहा था। लोग इससे ज्यादा परेशान थे। इसके अतिरिक्त आपने कहा कि चारों व्यक्तियों का ट्रान्सफर कर दिया है। वह चाहे मजिस्ट्रेट हो या और कोई हो लेकिन आपको चाहिये कि उसकी ठीक तरह से इन्क्वायरी कराते। आपने वहां से एस. डी. एम. का ट्रान्सफर किया, डाक्टर का ट्रान्सफर किया। आप यह कहते हैं कि यह राजनैतिक मामला था मगर वास्तव में यह छात्रों का जलूस था। आप बतादें कि यह राजनैतिक जलूस था। प्रधान और उसके मिलने वाले लोगों ने ही हमला किया और

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसके कारण से उसके चोटें आई डाक्टर ने चोटें आई थी उनको लिखा इसलिये उसका ट्रान्सफर किया गया और आपने हैड मास्टर का ट्रान्सफर किया है और वहां के थानेदार का ट्रान्सफर किया है। आपने ये चारों ट्रांसफर इस मुद्दे को ले कर किये हैं। इससे स्वाभाविक है कि जब एक ओर ब्लेक के खिलाफ कोई आवाज उठाई जाय। जो ब्लेक मार्केटिंग करता है उसको दर्ज किया जाय और उसके बाद ट्रान्सफर हों और यह कह दें कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रान्सफर किये हैं—मैं समझता हूं कि इससे बहुत बुरा असर होता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और इससे आम लोगों में असंतोष पैदा होता है। आपकी मान्यता है कि ये ट्रान्सफर किये हैं यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये हैं तो आप इसकी किसी तरह जांच करवा लीजिये, जुडिशियल इन्क्वायरी करवा लीजिये कि जो कुछ हुआ है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से आपने किया है या राजनैतिक दृष्टिकोण से लोगों ने प्रदर्शन किया है, बच्चों ने राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रर्शन किया था ? आप इसकी इन्क्वायरी करवा लीजिये। आपके यहां के लोगों ने आपको यहां तक बात कही, यहां तक कह दिया कि यह प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर यह नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नहीं करेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे, सदस्यता छोड़ देंगे। यह बात सुनने में आई है। अब यह कहां तक सत्य है या नहीं है—यह मैं नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रान्सफर हुए हैं इनसे भ्रष्टाचार को बड़ा भारी प्रोत्साहन मिलता है और आम लोगों का मोरेल गिरता है, प्रशासनिक कर्मचारियों का मोरेल गिरता है और इससे नतीजा बुरा ही निकलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब मैंने गये समय कहा था तो एक मन्त्रीजी बोले कि कोई ट्रान्सफर नहीं किया, यह बात गलत है—तो मैंने चैलेंज किया था। अब आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रान्सफर करने की बात कहते हैं। मैं समझता हूं इसके बाद, दो चार दिन के बाद, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और जुडिशियरी के—चाहे हैड मास्टर हों, चाहे डाक्टर-इन सबके तबादले एक साथ होना स्पष्ट जाहिर करता है कि सरकार ने कदम उठाया है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से उठाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं दो बातें जानना चाहता हूं....

श्री घासीराम यादव (बहरोड) : मैं साफ कहना चाहता हूं जो मुझ पर आक्षेप किये हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जिस जीप में सुगर का ब्लेक मार्केट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या उस व्यक्ति और उस जीप को हिरासत में ले लिया है या नहीं ? दूसरा यह कि जिन ऑफिसर्स का ट्रान्सफर किया गया है वह इन घटनाओं के बाद ट्रान्सफर किये गये हैं या इन घटनाओं के पहले ट्रान्सफर किये गये ? तीसरा यह कि इस प्रकार की घटना होने के बाद इस तरीके के तमाम ऑफिसर्स के ट्रान्सफर्स कर देना यह तमाम एक्ज़ीक्यूटिव को डिमारेलाइज करना है या नहीं ? इसको सरकार क्या मानती है ?

Page No.34

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सफाई देना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि विधान सभाई ने प्रतिष्टा का सवाल बनाया। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो ट्रान्सफर्स की बात कही है–वह गलत है। एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर इस घटना से पहले हुआ था। और वह दिल्ली गया हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Wel, it is for the Govt. to reply Sir.

श्री घासीराम यादव : चाहे गवर्नमेंट रिप्लाई दे या नहीं लेकिन मेरे को जो मालूम है वह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य के पास जानकारी है वह कह सकते हैं।

श्री घासीराम यादव : जो डाक्टर के ट्रान्सफर के लिए कहते हैं कि उसने ठीक रिपोर्ट नहीं दी इसलिए उसका ट्रान्सफर कर दिया। वह वहीं है बहरोड में, उसको हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में नहीं लगाया क्योंकि वह वहां पर तीन चार साल से था। इसलिए उसे अपने आप डिपार्टमेंट ने ट्रान्सफर किया है, वह निमाड़ में गया है। वह हमारा ही इलाका है, बहरोड तहसील में है। इसी तरह से हैड मास्टर भी हमारे यहां पर तीन चार साल से था और उसे भी उसी इलाके में लगाया गया है। उसके ट्रान्सफर का इससे ताल्लुक नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सवाल उठाया है और विधान सभा के अन्दर कहा है कि विधान सभाई की प्रतिष्ठा का सवाल था, वे लोग नन्दाजी के पास गये। उन्होंने लोगों को कहा कि इन लोगों का ट्रान्सफर करायेंगे और अगर नहीं करा सके तो विधान सभा के अन्दर एड्जोर्नमेंट मोशन लायेंगे। इनके लीडर हैं मोहनसिंह वकील–उन्होंने भाषण दिये हैं–वह आपके नोटिस में नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधान को मार दो, जीप को जला दो और चीनी को लूट लो। वह डी. आई. आर. का मुल्जिम है लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह भैरोंसिंह का बहनोई है...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भैरोंसिंहजी कौन ? जरा इसको स्पष्ट कीजिये।

श्री घासीराम यादव : भैरोंसिंह, जो सदस्य हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह आप किस आधार पर कह सकते हैं कि भैरोंसिंह के बहनोई हैं इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस आरोप को तो मानते हैं कि सरकार पक्षपात करती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : भैरोंसिंह मन्त्री है क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : यह शर्म की बात है....

श्री घासीराम यादव : उन्होंने मंत्रीजी....

श्री विजयसिंह झाला : हम चाहेंगे कि जो लांछन भैरोंसिंहजी पर लगाया है कि उनके बहनोई होने की वजह से ट्रान्सफर नहीं किया जाता है–इसको आप अच्छी तरह से स्पष्ट कीजिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उन्होंने कहा है कि मिल कर किया है ।

श्री विजयसिंह झाला : वे स्पष्ट करें । नहीं तो हम नहीं सुनेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सुनना पड़ेगा ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपके मंत्री और सरकारी कर्मचारी जनसंघ से मिल कर काम करते है ।

श्री घासीराम यादव : मैं कहना चाहता हूं कि वह चीनी राजस्थान की नहीं थी । वह गलत है । पंजाब की चीनी थी, पंजाब के आदमी उस इलाके में लाकर बेचते थे । उसमें प्रधान का कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रांसफर का इससे ताल्लुक नहीं है । जबरदस्ती उसको बदनाम करने के लिए झूंठी बात कहते हैं । पंजाब की चार बोरी थीं । इस तरह प्रधान को इसमें घसीट कर झूंठी बात कहते हैं । वह आदमी, मोहन सिंह वकील, जो टेंशन पैदा करना चाहता था, उसने वहां मजिस्ट्रेट से, जिसके ट्रांसफर की बात कहते हैं, साठ, सत्तर बीघा जमीन अटेच कराई है किसानों की और उनको जमीन से बेदखल कराके उनकी जमीन को अपने पास में रखना चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि वहां की बार एसोसियेशन ने इस बात की जानकारी की है और इसका विरोध किया है और गवर्नमेंट को मेमोरेन्डम दिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य बोल चुके हैं । दूसरी बार बोलने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए ।

श्री घासीराम यादव : सबने नहीं किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सबने नहीं किया है– यह गलत है । दो चार आप जैसे अलग थे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

(श्री विजयसिंह झाला बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बैठिये ।

अध्यक्ष महोदय के कहने से मैं बोल रहा था इसलिए आप बैठ जाइये ।

श्री विजयसिंह झाला : अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने लांछन लगाया था कि भैरोंसिंह जी का बहनोई होने की वजह से उनको गिरफ्तार वहां के अधिकारी नहीं कर रहे हैं । इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाय कि जो कुछ कार्यवाही वहां पर हो रही है वह वहां के अधिकारी किसी के पक्षपात को लेकर के कर रहे हैं । वैसे यह आपके शब्दों से स्पष्ट हो जाता है । इसके साथ–साथ मैं यह भी स्पष्टीकरण चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी के बहनोई होने की वजह से

(श्री विजयसिंह झाला)

उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो क्या वहां के अधिकारी पक्षपात के दृष्टिकोण से अपने अधिकार काम में ले रहे हैं ? इसको अधिक स्पष्ट करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : घासीरामजी स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : वह स्पष्ट कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भैरोंसिंहजी का असर पड़ता है तो घासीरामजी का भी पड़ सकता है।

एक माननीय सदस्य : प्रधान का पड़ता है। उनकी वजह से किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भैरोंसिंहजी का पड़ता है तो घासीरामजी का भी असर पड़ सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक बात जानना चाहता हूं.......

श्री विजयसिंह झाला : आपकी वजह से ट्रांसफर किये हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जन-हित की दृष्टि से एक बात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कई बार पूछ लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बात।

श्री अध्यक्ष : एक बार आप बोलें। Order please ! माननीय सदस्य दो बार बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : भैरोंसिंहजी के बहनोई कांग्रेसी हैं ?

श्री घासीराम यादव : आपकी पार्टी के हैं।

श्री मानसिंह महार : कांग्रेसी हैं, इस बात को नहीं छुपाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वह आपके युवक कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट नहीं हैं ?

श्री घासीराम यादव : अलवर के जिले में ब्लेक मार्केटिंग और ब्लेक मेलिंग करते हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह जो कांग्रेसी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। चुन कर ब्लेक करते हैं और जब आदमी लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो गरीब लोगों को पकड़ा जाता है। ये बुरी तरह चीनी का ब्लेक करते हैं। तब इनको कुछ मुलाहिजा होता है और भैरोंसिंह का बहनोई बताते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके मुख्य मंत्री इस बात को डिनाई करें कि यही मोहनसिंह साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, मलाया-प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल की तरफ से टूर पर गये थे। यह युवक कांग्रेस के नेता थे।

(शेम शेम की आवाज)

Page No.37

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिन अधिकारियों ने वहां पर स्वतंत्र रूप से काम किया उन अधिकारियों को ज्यादातर ट्रांसफर किया गया है। और इस बात के लिए सरकार को....

श्री अध्यक्ष : Order please ! मन्त्री महोदय।

श्री घासीराम यादव : वह आपके गांव का आदमी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांव का है तो क्या हुआ ?

श्री हरिराम चौहान : मेरे गांव का है तो इसका मतलब यह नहीं है। उसके खिलाफ कार्यवाही करें उसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सवाल पैदा होता है...

श्री अध्यक्ष: सवाल काफी पैदा हो गये। अब आप जवाब सुन लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, इस सारे प्रश्न के बारे में वक्तव्य दिया गया। उस सम्बन्ध में मुरलीधर जी ने कहा कि जहां तक तथ्यों का सवाल है, जो कुछ स्टेटमेंट में कहा है वह ठीक है। मैं समझता हूं कि यहां स्टेटमेंट देने का मतलब यह होता है कि जो फैक्ट्स हैं वे गवर्नमेंट सदन के सामने रखे। इसलिए जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है उसने स्टेटमेंट रख दिया है।

और मैं समझता हूं जो शक्कर लाया उसके खिलाफ डी०आई०आर० में कार्यवाही हो रही है. शक्कर जब्त कर ली है, जीप भी जहां तक मैं समझता हूँ ....

श्री घासीराम यादव : जीप भी जब्त करली है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसको गिरफ्तार किया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसे गिरफ्तार किया, शक्कर जब्त की, जीप भी जब्त की। आगे कार्यवाही की जा रही है। जहां तक शक्कर लाने वाले का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही की गई। जो आपस में झगड़ा हुआ, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ने चालान पुट अप कर दिया है। ट्रांसफर्स का जहां तक सम्बन्ध है, ट्रांसफर्स के सम्बन्ध में मैं नहीं समझ पाया कि एक हैड मास्टर का रुटिन में ट्रांसफर हुआ है तो उसका इससे क्या सम्बन्ध है........

श्री मुरलीधर व्यास : उसको कहा गया कि लड़कों को दबाओ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कह लेने दीजिये। हैड मास्टर के ट्रांसफर के संबंध में आप यह कहना चाहते हैं, क्या आपका यह तात्पर्य है कि वह आन्दोलन में भाग लेता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आप कह दीजिये कि इस कारण उसका ट्रान्सफर नहीं किया गया........

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी तो जानकारी में भी नहीं है। जहां तक ट्रांसफर्स का सवाल है, जितने ट्रांसफर्स किये गये हैं, एस०डी०ओ० का ट्रांसफर इस घटना से पहले कर दिया। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर किये हैं। जो केस चालान किये गये हैं, वे चलाये जा रहे हैं और चलाये जायेंगे। मोहनसिंहजी का सवाल है कि वे क्या हैं, क्या नहीं हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, यह रिलेवेन्ट क्वेश्चन नहीं है। वे कांग्रेस में थे, और बद्रीप्रसादजी का उप-चुनाव होने वाला था तो वे स्वतंत्र पार्टी का समर्थन कर रहे थे।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि ट्रांसफर पहले किया गया है पर मैं कहता हूँ कि जिस दिन इस प्रकार की कार्यवाही हुई थी, उस दिन वे वहां थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन इस प्रकार का वाका हुआ, स्टूडेन्ट्स के चोटें आई हैं उस दिन वे एस०डी०एम० वहां थे या नहीं?

सारे केसेज़ का चालान पुट अप कर दिया उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर ट्रांसफर किये गये हैं। केसेज़ का चालान हुआ है जिनको सजा मिलनी है मिलेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में आपसे विधान सभाई मिले हैं या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विधान सभाई भी मिले हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर प्रश्न नहीं करें तो उचित होगा। कुछ स्थगन प्रस्ताव और हैं जिनका उल्लेख मैं माननीय सदस्यों के समक्ष करूंगा।

कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं जो इन माननीय सदस्यों ने रखे हैं:—

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल, श्री रामकिशन, श्री हरिशंकर, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री हरिकृष्ण शर्मा और श्री विजयसिंह झाला।

इनका सम्बन्ध तहसील धौलपुर, जिला भरतपुर के ग्राम राजौरा में हुई डकैती से है। इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी सरकार की ओर से नहीं आई है इसलिये इनका निर्णय बाद में किया जायगा।

एक स्थगन प्रस्ताव श्री जौधसिंह चौहान का है जो करौली सब-डिविजन में एक डाके के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में भी सूचना सरकार की ओर से पूर्ण रूप से नहीं आई है अतः इसका निर्णय भी बाद में दिया जायगा।

कुछ स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री हरिप्रसाद, श्री रामानन्द अग्रवाल, और श्री हांडा, इनकी ओर से सवाई माधोपुर में कुछ घटित घटनाओं के सम्बन्ध में आये हैं, इस सम्बन्ध में भी निर्णय बाद में दिया जायगा।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना वैद्य श्री गोविन्द सहाय की ओर से आई है जो राजस्थान विश्व विद्यालय में छात्रों के प्रवेश के बारे में है। यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है, इस पर वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया ने सरकार की ओर से जो उच्चतम भाव निर्धारित किये गये हैं इसके सम्बन्ध में दी है। इस समस्या का उल्लेख जिस समय खाद्यानों की स्थिति के सम्बन्ध में विचार होगा, जिसके लिये कि तीन दिन निर्धारित किये गये हैं, उस समय किया जा सकता है। अतः इसे इस समय स्वीकार करना उचित नहीं।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री विजयसिंह झाला ने दी है जो भूखहड़ताल के सम्बन्ध में, अनाज की बढ़ती हुई कीमतें और अन्य सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में भी व्यवस्था यह है कि इस सब का उल्लेख भी खाद्यान्नों पर बहस के समय किया जा सकता है। अतः इसे भी अस्वीकार किया जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : On point of information Sir, अनाज की समस्या को ले कर जो प्रदर्शन और आन्दोलन सारे राजस्थान के अन्दर हुए हैं, उसको लेकर कल भाव निर्धारित किये...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन किससे चाहते है ?

श्री विजयसिंह झाला : स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण चाहते हैं या कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : एक मिनट में ही कहे देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट से ज्यादा न लें।

श्री विजयसिंह झाला : जो भाव निर्धारित किये हैं, ६४ नये पैसे किलो और ५३ नये पैसे प्रति किलो निर्धारित किये हैं जो २५ रुपये मन से भी ज्यादा होता है। इससे कोई बड़ी राहत मिली हो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती ? अध्यक्ष महोदय, हम मांग करते हैं कि कम से कम अनाज पर सेल्स टैक्स है वह गवर्नमेंट हटा लेती तो कुछ राहत जनता को मिल सकती थी। जब सारे राजस्थान में अशान्ति फैल रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं तो मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सदन के पटल पर ऐलान कर दें कि अनाज पर से सेल्स टैक्स हटा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेड़ा) : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर में नहीं आयेगा, वैसे ही थोड़ा बोल लें।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : इस प्रकार कीमतों को निर्धारित करने की घोषणा मुख्य मन्त्री ने की है, इस प्रकार की घोषणा से पहले सदन को कान्फिडेन्स में लेना चाहिये था। सदन जिस समय चल रहा है, उस समय सदन को कान्फिडेन्स में न लेकर सदन में घोषणा किये बिना पहले ही घोषणा कर दी क्या यह सदन का अपमान नहीं है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गला काम नहीं देता आपका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्वनि यन्त्र खराब हो गया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): बाहर इस प्रकार की घोषणा से पहले सदन में यह घोषणा होनी चाहिये थी। सदन को कान्फिडेन्स में न ले कर इस प्रकार की घोषणा की गई है, यह पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज है, यह सदन की मानहानि है। इस तरह से सरकार को पहले भी कई बार नोटिस दिये हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर भी आप सरकार को हिदायत देंगे।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हू इस प्रकार की कार्यवाही करने के मुख्य मन्त्री आदी हो गये हैं। उनको सदन से माफी चाहनी चाहिये कि यह उनसे गलती हुई है। यही पार्लियामेंटरी परम्परा के अनुकूल होगा और उनकी गिरती हुई प्रतिष्ठा कुछ ऊंची ही उठेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह मन का सवाल है। जहां तक परम्पराओं का सवाल है, वैसे लोक सभा के अन्दर भी हमारे देश में यह परम्परा बन रही है कि जब कोई महत्वपूर्ण घोषणा ऐसी की जाती है और सदन का सेशन चल रहा है तो सदन को पूरा कान्फिडेन्स में लिया जाना चाहिये। बहुत से कारण दिये जा सकते हैं, यह उनके मन का सवाल है यह इस सदन की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। ऐसे अहम मुद्दे पर इस सदन के अधिकारों की सुरक्षा का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसमें हमारा मार्ग दर्शन करें, सदन की उपेक्षा इस प्रकार की जाती है, सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक मानीनय सदस्य अखबार पढ रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह भी इसी से सम्बन्धित है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी जिस वक्त एक एडजोर्नमेंट मोशन पर बहस हो रही थी तो सबसे पहले इस सदन में सूचना दी जा चुकी है। क्या कीमतें होंगी यह गजट नोटिफिकेशन के जरिये लागू किया गया। पालिसी का जहां तक सवाल है, सदन को पहले जानकारी दे दी गई थी। उसी के अनुसार कार्यवाही की गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सदन में उस समय यह कहा गया था कि भारत सरकार से विचार कर के अनाज की उच्चतम कीमतें निश्चित कर दी जायेंगी।.... यह घोषणा अवश्य की गई थी कि कीमतें तय की जा रही हैं लेकिन जिस समय गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने गवर्नमेंट प्रेस में छपने को भेजा उससे पहले सदन में बता देते क्योंकि सदन इन दिनों मिल रहा है। हमें सिर्फ गजट नोटिफिकेशन के जरिए मालूम पड़ा। मैं समझता हूँ कि यह सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और वह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की जनता उत्सुकता से इन्तजार कर रही है कि अनाज के भाव क्या तय होते हैं। तो सरकार को सबसे पहले भावों की घोषणा सदन में करनी चाहिए थी सबसे पहले सदन में विस्तार से प्रकाशित

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करना चाहिए था। यह कदम उठाकर, राज्य सरकार ने निश्चित रूप से विधान सभा की प्रतिष्ठा को गिराया है और सदन का तिरस्कार किया है और यह रवैया राज्य सरकार का हमेशा रहा है कि वह महत्वपूर्ण घोषणाएं सदन के बाहर करती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मुख्यमन्त्रीजी ने यह जो महत्वपूर्ण घोषणा सदन के बाहर की है, उसके लिए वह इस सदन से क्षमा प्रार्थना करें और भविष्य के लिए इस बात का वचन दें कि महत्वपूर्ण घोषणाएं, जब सदन चल रहा है, सदन के अन्दर ही करेंगे।

रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी में इस प्रकार की परम्पराएं सभी जगह मौजूद हैं। हमारे देश में लोकसभा में भी इस परम्परा का ध्यान रखा जाता है और तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं, जब लोकसभा सेशन में होती है, तो वे लोक सभा में ही की जाती हैं। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि वह इस हाऊस में पहले इस बात को तय करें और डिस्कस करने के बाद घोषणा होनी चाहिए लेकिन हमारा यह कहना अवश्य है कि बाहर डिस्क्लोज होने से पहले इस हाऊस की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, कायम करने की दृष्टि से वह डिसक्लोजर इस हाऊस में किया जाना चाहिए और साइमलटेन्यसली गजट नोटिफिकेशन हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वास्तव में यह जाने या अनजाने इस प्रकार से सदन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात के लिए इस सदन की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सरकार को उचित सलाह दें।

श्री मानसिंह महार : मुख्यमन्त्री ने जिस प्रकार एक्स्प्लेनेशन दिया वह वाकई में खेदजनक है। उन्होंने पहले यह कहा था कि भावों के संबंध में सेंटर से बातचीत कर रहे हैं लेकिन यह घोषणा आपने अचानक सदन के बाहर कर दी और इस तरह सदन की अवहेलना की। हम तो यह सोचते थे कि आप माफी मांगेंगे लेकिन आज तो वह भी नहीं और टालमटोल हो रहा है। अगर मुख्य मन्त्री का सदन के प्रति इस प्रकार का विवेकहीन रवैया रहा तो हम लोग मजबूर होकर पहले मुख्यमन्त्री को जरूर सुनेंगे और अगर उन्होंने इस मसले को लेकर यह अवहेलना दिखाई तो हमको और कोई कदम उठाना पड़ेगा और उठाएंगे आपके रूलिंग देने के बाद क्योंकि हमको आपमें पूरी आस्था है। हम समझते हैं कि इस राजस्थान में अगर कोई स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने वाला है तो वह यह आसन ही है, हमारी आपमें पूरी आस्था है। लेकिन अगर मुख्यमन्त्री दुवारा भी इस प्रकार की अवहेलना का रुख अपनाएंगे तो हमें भी कोई न कोई इस प्रकार का हमारा प्रोटेस्ट यहां पर रखना पड़ेगा और मुख्यमन्त्री को हम बाध्य करने की कोशिश करेंगे कि वह आइंदा इस प्रकार से सदन की अवहेलना न करें, उन्हें सदन को सर्वोपरी मानना चाहिए। वह मुख्यमन्त्री हैं तो क्या हुआ, साथ ही वह सदन के लीडर भी हैं और लीडर होने के नाते, उनकी इस सदनके प्रति अनेक जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति भी उनको जगरूक होना चाहिए। यह खेद का विषय है कि वह अपने आपको मुख्यमंत्री पहले समझते हैं और इस सदन का लीडर बाद में, हालांकि होना यह चाहिए कि वह सदन के लीडर पहले हैं। इस सदन के इधर बैठनेवाले या

(श्री मानसिंह महार)

उधर बैठनेवाले सदस्यों ने उनको मुख्यमन्त्री बनाया है और अगर वह सदन की अवहेलना करते हैं और उधर बैठनेवाले सदस्य इस रवैये से रोषपूर्ण वातावरण बनाते हैं तो वह मुख्य मन्त्री नहीं रहेंगे । इसलिए सदन की इज्जत करना उनका परम कर्त्तव्य है । वह स्वस्थ परम्पराएं कायम करने के लिए हमें बहुत शिक्षा देते हैं कि मैं विरोधी पक्ष से यह उम्मीद करता हूं, वह उम्मीद करता हूँ । ऐसी हालत में मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वह नीचे नहीं होंगे, उनकी प्रतिष्ठा ऊंची होगी चाहे वह उसी मुस्कराहट के लहजे में ही सदन से माफी मांग लें कि गलती हो गई आइन्दा गलती नहीं होगी । और जो अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं वह भी बहुत ऊंचे हैं लेकिन उस पर न जाकर परम्पराओं के प्रश्न पर मुख्यमन्त्री से आशा करूंगा कि वह इस मामले को लेकर अपनी गलती स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : हम लोगों का कोई इरादा नहीं कि इस सदन की प्रतिष्ठाओं में कमी आए, ऐसा कदम उठाने का इरादा नहीं है । हम तो पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हम मैक्सीमम भाव निर्धारित करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन का यह पार्ट निकाला गया । सदन की अवहेलना की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टी से सोचकर यह कदम नहीं उठाया गया । मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर चलता हूँ और हमेशा चलना चाहिए कि सदन की प्रतिष्ठा हम सबसे ऊपर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय हम आपकी रूलिंग चाहते हैं इस मामले में क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय का यह कहना कि यह खयाल रखते हैं सदन की प्रतिष्ठा का, वह कहां तक सही है । हम रूलिंग चाहते हैं कि सरकार को इस सदन में घोषणा....

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप रूलिंग दे रहे हैं क्या ?

श्री हरिराम चौहान : जब यह सदन चल रहा हो...

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली और सिद्धांत के अनुसार विरोधी पक्ष की बात सरकार को कुछ हद तक माननी चाहिये । सत्तारूढ़ दल को केवल बहुमत के द्वारा, हठधर्मी के द्वारा अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिये । आपके द्वारा निर्णय हो चुका है कि खाद्य समस्या पर बहस होगी, किन्तु आज मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार के द्वारा टैक्स लगाकर किसान को भी परेशान कर दिया गया है, उसके साथ व्यापारी को भी टैक्स के द्वारा, उसके मुनाफे को भी हजम करके उसको भी परेशान कर दिया है । ऐसी हालत में खाद्य समस्या देश के अन्दर बहुत जटिल हो गई है । इस संबंध में भी हम बहुत निराश हैं । सरकार की नीति अस्पष्ट है ऐसी हालत में हम रोष और निराशा प्रकट किए बिना नहीं रह सकते । अगर इस सम्बन्ध में

(मरारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विरोधी पक्ष की सरकार कोई बात मानने को तैयार नहीं है तो हम विवश होकर रोष प्रकट करने के लिए बहिर्गमन करेंगे।

(स्वतन्त्र दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Chair is the custodian of the traditions of this House.

श्री हरिराम चौहान : मैं आपकी रूलिंग के पहले एक दो मिनट कुछ कहना चाहता हूं। मैं कई बार खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने विरोधी पक्ष की ओर से बार बार मांग की जाती रहे लेकिन फिर भी सरकार इस प्रकार की घोषणा कर देती है जबकि सदन चल रहा हो, रोज चल रहा हो, छुट्टी न हो, इस प्रकार से महत्वपूर्ण घोषणायें सरकार की ओर से कर देना यह सदन का अपमान तो है ही लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह विधान सभा है, जहां चुने हुए नुमाइन्दे आते हैं, जहां राजस्थान की सारी जनता का प्रतिनिधित्व होता है उसको मुख्य मंत्री एक वाद-विवाद का प्रश्न बनाना चाहते हैं या जो परम्परायें हैं, जो सम्मान है उसको रखना चाहते हैं? उन्होंने सदन की परम्पराओं को तोड़ा है इसलिए इस सम्बन्ध में आपकी ओर से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय का यह प्रयास पहला नहीं है। गत सत्र में भी ग्रेन कन्ट्रोल ऑर्डर लागू किया गया और हाउस की ओर से उसको प्रेक्टिकल बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये कि उनके अनुसार उस कानून में संशोधन किये जायं लेकिन उस वक्त मंत्री महोदय ने उनका विरोध किया और अपनी हठ पर अड़े रहे। लेकिन फिर उन्हीं संशोधनों को वे अपनी ओर से कानून में तीन तीन संशोधनों के जरिये से ले आये। जब इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रख दिये गये, उन पर बहस हुई और तीन दिन इस खाद्य समस्या पर बहस करने के लिए निर्धारित कर दिये गये उसके बावजूद भी, यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदन की प्रतिष्ठा की अवहेलना करके, सारी कार्यवाही जो अब तक इस सम्बन्ध में हुई उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की घोषणा की जाती है इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा अपने पाप को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उस पर डामर बिछाने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है और इस प्रकार सदन की अवहेलना करके यह किया जाय यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए स्वयं मुख्य मंत्री इसके लिए सदन से क्षमा मांगें और आसन इसके लिए व्यवस्था दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठायी है कि जो अधिकतम भाव निर्धारित किये गये हैं और इन भावों के बारे में जिस तरह से विज्ञप्ति जारी की गई है उससे सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है और जो परम्परा सदन की रहनी चाहिये उसके अनुरूप यह काम नहीं हुआ है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी जो उनके विचार थे वे उन्होंने सदन के समक्ष रखे।

Page No.44

(श्री अध्यक्ष)

पहली बात तो यह है कि परम्पराओं का पालन व्यवस्थाओं से ही नहीं हो सकता और सही और गलत मान कर चलें तो न व्यवस्था दी जा सकती है और न दी जानी चाहिये। व्यवस्था तो जो निश्चित वैधानिक स्थिति पैदा होती है उसका निराकरण और हल निकालने के लिए दी जाती है। फिर भी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि इस तरह की घोषणा पहले सदन में की जानी चाहिये थी। सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणायें समय समय पर करती है। कुछ घोषणायें नीतियों से सम्बन्ध रखती हैं और कुछ घोषणायें ऐसी होती हैं जो प्रशासनिक घोषणाओं की परिभाषा में आ सकती हैं।

इस समय प्रश्न यह है कि जो घोषणा भावों के सम्बन्ध में की गई क्या उसको सदन के समक्ष ही अनाउन्स करना आवश्यक था या इस परिभाषा में आती है जो प्रशासनिक मामलों से सम्बन्ध रखती है? जब पहले बहस हुई थी, मुख्य मंत्रीजी ने सरकार की ओर से कहा था कि भाव निर्धारित करने वाले हैं। वे भारत सरकार के सम्पर्क में हैं और सम्पर्क से जो निर्णय करेंगे वह तय करेंगे। इसलिए भाव क्या निर्धारित हों ६४, ७४ पैसे हों या ५५ पैसे हों, मैं समझता हूँ, वह उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जितना कि यह घोषणा कि हम भाव निर्धारित करेंगे और प्रयत्नशील हैं और भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करके घोषणा करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रशासनिक दुविधा उसमें नहीं होती और किसी तरह से सदन में उसको अनाउन्स करके ही यह किया जा सकता था तो वह भी उचित और स्वागतपूर्ण होता। कल जो ऑर्डर निकला है वह सदन के उठते....

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

उठते सरकार जारी कर सकती थी। ऐसी विज्ञप्ति सरकार सदन के उठते उठते

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

अनाउन्स करके जारी कर सकती थी और ऐसे तथ्य रखे जा सकते थे जो बाद में हो सकते थे। लेकिन इस भावना से सरकार ने न किया हो। इसको एक प्रशासनिक ऑर्डर समझ कर उन्होंने किया। सामान्य तौर पर सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि जब कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी हो तो जब सदन की कार्यवाही चल रही हो, सत्र चल रहा हो उसमें की जाय इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस बात को इतनी गम्भीरता से न देखें किन्तु इस दृष्टिकोण से देखें कि भाव निर्धारित करने की बात थी वह इतनी महत्वपूर्ण घोषणा थी कि जिसकी घोषणा सदन में की जाती? कितने हों, कितने न हों वह अपने आप में महत्व का विषय नहीं है कि जिसको इतना बढ़ाया जाय। इसलिए माननीय सदस्य इसे स्वीकार करें और सरकार भी अपने आपको प्रशासनिक दुविधा में न डालते हुए भविष्य में वह घोषणा सदन में कर सके तो करे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खाद्य समस्या को लेकर उपभोक्ता वस्तुओं को लेकर स्थान स्थान पर,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

शहर शहर में नगर नगर में, त्राहि त्राहि मच रही है और इस सारी समस्या का कारण सरकार की स्वयं की अपनी नीतियां हैं। सरकार ने जब कभी भी इस सम्बन्ध में नीतियां अपनायीं या कानून और नियम बनाये तो साथ साथ भावों में निरन्तर वृद्धि होती रही। गये सत्र में भी इसी प्रकार हुआ। फसल नजदीक थी। फसल के पूर्व जो भाव थे वे ही आज नजर आते हैं। सरकार ने जैसे ही ग्रेन लाईसेन्सिंग ऑर्डर की घोषणा की भाव बढ़ते गये और कानून में इतने संशोधन किये जिसके फलस्वरूप आज यह स्थिति देखने को मिल रही है। सरकार अस-फलता को छिपाने के लिए और बढ़ते हुए भावों को रोकने में असमर्थ होकर अपने दोष किसानों पर डालती है तो कभी व्योपा-रियों पर डालती है। वस्तु स्थिति यह है कि सरकार स्वयं अपनी दूषित नीतियों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आवश्यकता तो यह थी कि आज जिस प्रकार से उपभोक्ता वस्तुओं के बेतहाशा भाव बढ़ रहे हैं उनको रोकें। लेकिन सरकार यह नहीं कर पायी है। आज स्थान स्थान पर, शहर शहर में, मोहल्लों मोहल्लों में बढ़े हुए भावों के कारण भूख हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं। जलूस निकाले जा रहे हैं। जयपुर में भी इसी प्रकार का सिलसिला चल रहा है। कल से भारतीय जन संघ के १२१ भूख हड़ताली जिनमें ८ महिलायें भी हैं इसी विधान सभा भवन के नीचे भूखहड़ताल कर रहे हैं और आज भैरों-सिंहजी के नेतृत्व में लगभग ४५० भूख हड़ताली जिनमें ३६ महिलायें हैं भूख हड़ताल कर रहे हैं। यह भूख हड़ताल का सिलसिला सारे राजस्थान में चल रहा है। आज इस सरकार के लिए इससे बढ़कर और कोई अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती कि वह अपनी गलत नीतियों के कारण इन भावों को बढ़ाने में सहायक हुई है और आज वह इनको नीचे गिराने में असमर्थ है। चाहिये तो यह था कि सरकार अपनी इस असमर्थता के कारण स्तीफा दे देती। यदि चाहे तो सम्पूर्ण केबिनेट इसके लिए स्तीफा न दें लेकिन मैं समझता हूं कि यदि कोई नैतिकता है तो खाद्य मन्त्री को तो स्तीफा दे देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : आप दोहरायें नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महो-दय, इस सरकार के विरुद्ध, इसकी खाद्य नीतियों के विरुद्ध जो आज भूख हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता के अन्दर जिस प्रकार की एक स्थिति पैदा हुई है चाहिये तो यह था कि यह सरकार, इसके मंत्री और खुद मुख्य मंत्री उन लोगों के बीच में जाकर उनको सान्तवना देते, उनको एड्रेस करते। लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भूख हड़ताल हो रही है उनको सरकार के मंत्री, मुख्य मंत्री एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस याचिका को प्रस्तुत करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि शीघ्राति-शीघ्र कार्यवाही की जाय। सरकार स्वयं दोषी है। उसकी दूषित नीतियों के कारण ये भाव उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़े हैं। मैं निम्नांकित याचिका सदन में प्रस्तुत करता हूँ :

मैं राज्य में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए भावों से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री शिखरचन्द जैन, मंत्री भारतीय जन संघ जयपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य।

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरणा) विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, असहमति पत्रों सहित उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृषि मंत्री जी।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वास्थ्य मंत्रीजी!

राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान हेतु समय में वृद्धि

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को २१ अगस्त १९६४ तक बढाया जाय।

(विराम)

राजस्थान नगर सुधार संशोधन विधेयक १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान हेतु समय में वृद्धि की मांग

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को २१ अगस्त १९६४ तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को २१ अगस्त १९६४ तक बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार संशोधन विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान हेतु नियत समय को २१ अगस्त १९६४ तक बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढाया गया।

(९.५२ म. पू.)

राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १९६४

श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पेश करने के समय मैंने एक वैधानिक आपत्ति

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस बात की उठायी थी कि यह बिल इस विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता।

इस विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार जो कि भारतीय संविधान की तहत मिला हुआ है वह संविधान के सातवें शिड्यूल की जो सेकन्ड और थर्ड लिस्ट है उसके अन्तर्गत है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा, मैंने दूसरी और तीसरी लिस्ट को कई बार पढ़ा और पढ़ने के बावजूद मैं निर्णय नहीं कर पाया कि यह जो फेमीन रिलीफ वर्क्स एम्पलाइज़ (एग्ज़ेम्शन फ्रोम लेबर लॉज) ऑर्डिनेन्स १९६४ है, वह सेवन्थ शिड्यूल के किस आइटम में कन्सीडर किया जा सकता है। किस आइटम की खाना पूर्ति यह बिल कर सकता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि यह बिल जो इनेक्ट कर रहे हैं और जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है वह संविधान के सेवन्थ शिड्यूल के किस आइटम के तहत जारी किया गया है?

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा और कोई आपत्ति हो तो वह भी बता दीजिये ताकि साथ ही में जवाब आ जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस आइटम में यह आता है इसका स्पष्टीकरण कर दें उसके बाद....

श्री मुकुटबिहारी लाल (बयाना) : यह किसी भी शिड्यूल में आता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि यह किसी भी शिड्यूल में नहीं आता है। इसको किसी भी आइटम के तहत कवर नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार के पास विधि विभाग है जिसमें एडवोकेट जनरल हैं, लीगल रिमेम्बरेन्सर हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, विधि के जानकारों की लम्बी चौड़ी फौज है जिनके निर्णयों को कई बार चुनौती दी जा चुकी है उसकी हम आलोचना करते हैं तो हमारे विधि मंत्री नाराज होंगे। मैं उनसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यह आया नहीं इसको किस आइटम में कवर किया जा सकता है इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह किस आइटम के अन्तर्गत इनेक्ट किया गया है? यह स्पष्टीकरण हो जाय उसके बाद बहस निश्चित रूप से आगे चल सकती है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह क्वेश्चन उठाया कि संविधान के किस शिड्यूल के अन्तर्गत यह कानून बनाया जा रहा है; मैं उनका ध्यान शिड्यूल की धारा २४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ...."Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits".

श्री मानिकचन्द सुराणा : Which list ?

श्री मथुरादास माथुर : List third Concurrent List. This includes both granting of welfare and taking away certain welfare.

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रीजी ने बताया कि थर्ड

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

शिड्यूल के आइटम २४ के अन्तर्गत हम यह कानून ला रहे हैं। नम्बर २४ में कहा गया है 'वैल्फेअर लेबर' यानि 'श्रम कल्याण' के लिये कानून। जिसके अन्दर किन परिस्थितियों में मजदूर काम करे, उनका प्रोवीडेन्ट फन्ड निर्धारित किया जा सकता है, एम्प्लॉयर की लाईब्लिटी निर्धारित की जाय वर्क्समैन कम्पनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट आदि ऐसे काम जो मजदूरों के वेलफेअर के लिये हों वे इसके अन्तर्गत निर्धारित किये जा सकते हैं।

आज विधि मंत्रीजी ने महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने कहा है कि श्रम कल्याण कानून बनाना उनके लिये वेल्फेअर के लिये कानून बनाना जहां इसके अन्तर्गत है वहां नकारात्मक कानून बनाने का हक इस आइटम के तहत मिला हुआ है। मैं उनको इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं जहां इसके अन्तर्गत वेल्फेअर के काम किये जा सकते हैं वहां वे यह भी मानते हैं मजदूरों के वेल्फेअर के विपरीत भी इस आइटम के तहत कानून बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह सारी बहस तो आप बाद में भी कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I think I have answered the question under what para of Schedule this has to be done. If you want to discuss it, I am prepared to discuss it. I will reply how it is welfare.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके अन्तर्गत लेबर के वेलफेअर के लिये कानून बनाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो यह बतलाइये कि किस तरह से आपको आपत्ति है कि इसके लिये आगे कार्यवाही न की जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह इसमें कवर नहीं होता है क्योंकि यह लेबर के वेलफेअर के लिये कानून नहीं है। आर्डिनेन्स बनाने का उद्देश्य है और जो बिल बनाने का उद्देश्य है उन पर दृष्टिपात करना आवश्यक होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इस आर्डिनेन्स के लागू करने के कारणों को अगर देखा जाय तो आपको मालूम होगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी के लिये उसमें से चार लाइने पढ़कर सुनाना चाहता हूं उससे पहले कि मैं इस आर्डिनेन्स के मुतल्लिक कुछ निवेदन करूं। इसका उद्देश्य क्या है मुख्य मंत्री द्वारा जो आर्डिनेन्स सदन की मेज पर रखा गया है उसमें यह कहा गया है :—

"As the State Government was threatened with agitation by a certain section of the community for demanding benefits under the labour laws".

अध्यक्ष महोदय, चूंकि राज्य सरकार की दृष्टि फेमीन से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुँचाने की थी, वेलफेयर ऑफ लेबर का इसमें कहीं जिक्र नहीं है।

जिक्र इस बात का है कि श्रमिकों ने आन्दोलन चलाने की धमकी दी इसलिये उसको रोकने के लिये आर्डिनेन्स लागू किया गया। इसलिये मैं विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया नोट करें कि यह वेलफेयर ऑफ लेबर के लिये नहीं किया जा रहा है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में भी है :

"राज्य सरकार द्वारा फेमिन कोड के अधीन अनावृष्टि तथा दुष्काल से प्रभावित व्यक्तियों को ठीक समय पर सहायता देने की व्यवस्था करने के लिये, अकाल सहायता कार्य, यह विचार रखते हुए कि उनसे कोई उद्योग नहीं चलाये जाने चाहिये, प्रारम्भ किये गये थे।"

आपने कहा है इसमें कि आपका कोई इन्टेन्शन इन्डस्ट्री चलाने का नहीं था। पर फेमीन रिलीफ वर्क में लगे लोग हैं उनके लिये ला लाया जा रहा है। यह सही स्टेटमेंट नहीं है। इसलिये मेरा ऐतराज है।

अध्यक्ष महोदय, जरा आर्डिनेन्स के स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स का भी मुलाहिजा करें और बिल का भी मुलाहिजा करें आइटम नम्बर २४ में। इसलिये वित्त मंत्री ने तृतीय सूचि में से निकाल कर जो बताया वह विधान सभा की कम्पीटेन्सी से बियोण्ड होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है सरकार इसका सामना करने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि यह कानूनी मसला है तो व्यर्थ में सदन का समय क्यों नष्ट किया जावे। सरकार को इसके लिये समय ले लेना चाहिये और लॉ विभाग से एग्जामिन करा कर फिर लाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : Sir we have thought about it and the State Government is quite prepared for it.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एडवोकेट जनरल को भेज दो। उसकी सलाह लो। एडवोकेट जनरल खुद उचित समझे तो सदन में आकर भी अपने व्यूज़ रख सकते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट, इन्डस्ट्रियल एम्पलॉयमेंट एक्ट, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट में संशोधन लाना चाहिये था, अगर आप इनसे एग्जम्पशन चाहते थे तो। सही रास्ता तो यह था। पर इसके बजाय आप फेमीन रिलीफ कोड में अमेन्डमेन्ट लाये हैं यह सही नहीं है। इस अमेंडमेंट से भी, जो आप कम्पेन्सेशन से बचना चाहते हैं, तो बच नहीं सकेंगे। सड़क बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, पानी आ गया या कुछ हो गया, डूब जाते हैं या कुछ हो जाता है तो कानून के तहत आप बच नहीं सकते, कम्पेन्सेशन देना होगा। यह फंडामेन्टल राइट है जो विधान के नीचे सब को मिला हुआ है। तो जल्दबाजी में आप कोई कदम न उठावें। यह आपके जूरिस्डिक्शन से बाहर नजर आता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के चार मुख्य लेबर लॉज़ को खत्म करने के इरादे से यह बिल यहां लाया गया है।

पर यह सोचा जावे कि इसकी कम्पीटेन्सी है या नहीं। विधान की धारा २४ में यह बिल्कुल क्लीयर है कि यह बिल यहां नहीं लाया जा सकता यह इस सदन की कम्पीटेन्सी में नहीं है।

Page No.50

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इसके साथ-साथ हमें देखना होगा कि इसका इफेक्ट कितना वाइड है। जो एक वर्ष से भी अधिक अर्से से फेमीन वर्क में काम कर रहे हैं और जिनको सरकार के लेबर लॉज बहुत राहत देते, इन लॉज के तहत उसको करोड़ों रुपया मिलने वाला था, उन करोड़ों रुपयों को मारना इस बिल का मुख्य ऑब्जेक्ट है।

और जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स का स्टेटमेन्ट आपने टेबल पर ले किया है आपने एप्रीहेण्ड किया है और तीन लाख लेबरर्स को को इन चार लेबर लॉज से मिलने वाले लाभ से महरूम किया है। तो निश्चित रूप से महनतकश मजदूर इसके खिलाफ एक गम्भीर आन्दोलन उठावेंगे। यह एप्रीहेन्शन राजस्थान सरकार का सही है।

दी पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट, दी इन्डस्ट्रियल एम्पलॉयमेन्ट एक्ट, दी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, दी मिनिमम वेजेज़ एक्ट ये चार सेन्ट्रल एक्ट्स हैं। जिन एक्ट्स को क्रीएट कराने में देश के करोड़ों मजदूरों के आन्दोलन हुए, फेमीन कोड में रियायत प्राप्त करने के लिये आप इन लाभों से उनको वंचित करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आन्दोलन करेंगे वहां मजदूर।

श्री अध्यक्ष : यह बहस बाद में कर लें। अभी तो कानूनी पॉइन्ट तक ही सीमित रखें अपने को। कोई नई बात हो तो बतावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कानरेन्ट सबजेक्ट पर कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया है।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्रीजी।

श्री मुकुटबिहारीलाल : ये तीन लिस्टें हैं। २४६ से गवर्न होते हैं हम। इसमें यह प्रावधान है। बिजनैस की तीन लिस्टें होंगी। सेन्ट्रल लिस्ट जिस पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कानून बना सकती है। दूसरी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती हैं उसकी लिस्ट है। तीसरी लिस्ट है कान्करेन्ट सब्जेक्ट्स की। पर सूरत क्या है, अगर जिन मुद्दों पर केन्द्र के कानून बने हुए हैं और राज्य का भी है और उन दोनों में इनकन्सिस्टिन्सी क्रीएट होती है तो उस सूरत में यह व्यवस्था है कि सेन्टर का कानून प्रिवेल करेगा और स्टेट का छोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष : इसके आगे भी कुछ लिखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : तो मेरा निवेदन यह है कि जब हम यह कानून बनाने जा रहे हैं, जब इस कन्करेंट लिस्ट के अन्तर्गत बना रहे हैं, सेंटर के चार कानून पहले से मौजूद हैं, तो यह देखना पड़ेगा कि विधान सभा इस लिस्ट पर कानून बनाकर उन कानूनों के प्रावधानों में इन्कन्सिस्टेंसी क्रीएट करके उनके ओवर एण्ड एबव कोई ऐसा कानून बनाने में कॉम्पीटेंट है या नहीं। मेरी यह राय है इस संबंध में हम उन कानूनों के विरुद्ध, उनके असर को अन्डू करने का कोई भी कानून इस कन्करेंट लिस्ट के अन्तर्गत नहीं ला सकते।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है, उसके बारे में मुझे दो बातें निवेदन करनी हैं। सबसे पहले

(श्री मथुरादास माथुर)

यह है कि गोया यह कानून संविधान के अन्तर्गत जो शिड्यूल हैं, उसकी कन्करेंट लिस्ट है उसमें जो क्लॉज़ २४ है उसमें आता है। उसके बाद यह भी चर्चा की गई कि उसमें नहीं आता है इसलिए कि वेल्फेयर ऑफ लेबर, लेबर लॉज के अन्दर जो उनके राइट्स होते हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं मिनीमम वेजेज ऐक्ट १६४८, क्लॉज २६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और उसमें एग्जेम्पशन्स और एक्सेप्शन्स के बारे में कहा गया है :—

"(1) The appropriate Government may, subject to such conditions, if any, as it may think fit to impose, direct that the provisions of this Act shall not apply in relation to the wages payable to disabled employees.

(2) The appropriate Government may, if for special reasons it thinks so fit, by notification in the official Gazette, direct that, subject to such conditions and for such period as it may specify, the provisions of this Act or any of them shall not apply to all or any class of employees employed in any scheduled empoyment... ......".

माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत ही हम इसका नोटिफिकेशन निकालकर और मिनीमम वेजेज़ एक्ट का एप्लीकेशन एक पर्टीक्यूलर एरिया में लेबर के लिए, एक पर्टीक्यूलर क्लास ऑफ लेबर के लिए हम यह कर सकते थे और वहां लेबर डिपार्टमेन्ट ने किया। मगर मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें सदन के सोचने की एक बात है। हमेशा के लिए यह फिलासफी ऑफ फेमिन लेबर है और वह आर्डिनरी फैक्टरी एम्प्लायमेंट की तारीफ में लेते हैं या नहीं, यह फंडामेंटल प्रश्न है। उस प्रश्न पर दो विचार हो सकते हैं।...

श्री मुकुटबिहारीलाल : तो फिर कानून की आवश्यकता क्या पड़ गई ?

श्री मथुरादास माथुर : फैमिन एम्पलॉमेंट के प्रश्न को मैं सेपरेट मानता हूँ। नैचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से राज्य सरकार को काम कराने पड़ते हैं अन्डर सोशल कन्डीशन्स यदि लेबर लॉज को लागू किया जाय तो जो रिसोर्सेज राज्य सरकार के पास अवेलेबल हैं वह लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो सकते, सोशल यूटिलिटी नहीं हो सकती। नतीजा यह होगा कि कुछ सेक्शन के लोग फायदा उठायेंगे। आखिर जो कुछ भी वेल्फेयर एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम स्टेट करती है, तो उसके लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड पैसा होता है, अनलिमिटेड सोर्सेज़ नहीं हैं। आखिर यह राहत का कार्य है न कि राइट का कार्य।

श्री मुकुट बिहारीलाल : आप फिलेंथ्रेफिक दृष्टि से मत बोलिए।

श्री मथुरादास माथुर : आपने बहुत कुछ कह दिया। इसलिए हमारी फिलासफी को समझते हुए ओमीशन या कमीशन दोनों फिनामिनन की परव्यू में आते हैं। खास तौर से यहां कहा गया कि मिनीमम वेजेज़ का सेंट्रल एक्ट है उसके अन्दर नहीं कर सकते तो उनके

Page No.52

(श्री मथुरादास माथुर)

अन्दर भी प्रोवीज़न है । फिर भी राज्य सरकार ने आर्डिनेंस निकाला और यह बिल के रूप में आया है । इसलिए इसके महत्व को समझा जाय । इसमें कोई इल्लीगेलिटि नहीं है । राज्य सरकार पूरी तरह से काम्पीटेंट है । सेक्शन २६ लागू होता है, उसके अन्दर जो कन्करेंट लिस्ट है उसमें भी अधिकार है, हम लेजिस्लेट कर सकते हैं । इसलिए हम किसी भी सेंट्रल ऐक्ट को इन्फ्रिन्ज नहीं करते हैं । इसलिए बहस चालू रखी जाय ।

श्री अध्यक्ष : एडवोकेट जनरल मौजूद हैं, अगर वह कुछ कहना चाहें तो कहें ।

श्री गुलबचन्द कांसलीवाल (एडवोकेट जनरल) : मुझे ज्ञान नहीं है कि क्या विषय है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इससे पहले कि एडवोकेट जनरल राय जाहिर करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विधि मन्त्री ने जो कुछ भी कहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को नोट किया होगा कि संविधान के सप्तम अनुच्छेद की तृतीय लिस्ट को उठाकर देखें । हमारे विधिमन्त्री तो फौरन मिनीमम वेजेज़ की धारा २६ पर पहुंच गए ।

श्री मथुरादास माथुर : I only pointed out that the Central Act provides that the State Government is empowered The hon. Member pointed out that it is against the Central Act, so I say that the Central Act itself provides that the State Government is empowered.

धारा २४ के अन्तर्गत ही चल रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपकी ही मदद कर रहा हूं । आपने फौरन धारा २६ का हवाला दिया । उसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह किसी अतिरिक्त उद्योग पर जिस पर मिनीमम वेजेज एक्ट लागू है उसके बावजूद भी यदि गजेट में घोषित कर देते हैं कि फलानी तारीख से फलानी तारीख तक मिनीमम वेजज एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे । मैं विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मिनीमम वेजेज एक्ट में आपको इतनी बड़ी पावर दी गई है, जिसको आप स्वीकार करते हैं और जिसका ज्ञान आपकी सरकार को है तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी अकाल मजदूरों को अलग करने के लिये आपको इस विधान सभा की मदद के लिए आने की । मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार को ऐसी विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार है और अधिकार ही नहीं है बल्कि राज्य सरकार ने ऐसी विज्ञप्ति जारी की हैं और वह विज्ञप्ति ३० अप्रेल १९६४ को जारी की है और उसमें राज्य सरकार ने घोषित किया है कि एक वर्ष की अवधि के लिए अकाल मजदूरों पर मिनीमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होगा । मतलब यह है कि २९ अप्रैल १९६५ तक राज्य सरकार यह घोषित कर चुकी है कि मिनीमम वेजेज एक्ट के प्रावधान अकाल मजदूरों पर लागू नहीं होंगे । तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जबकि इस तरह की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तो आपको इस आरडीनेंस को जुलाई ६४ में लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? (वित्तमन्त्री की ओर) आप पर क्या वजन आया ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स मिनिस्टर हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३० अप्रैल को विज्ञप्ति जारी की गई, ८ जुलाई को आरडीनेन्स जारी किया गया और आज आपने बिल पेश किया है और आरडीनेन्स पर बहस हो रही है। जबकि मिनिमम वेजेज एक्ट की धारा २६ के तहत यह सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करती है कि अकाल मजदूरों पर मिनीमम वेजेज कानून लागू नहीं होंगे। इसके बावजूद इस आरडीनेन्स की और इस बिल की फिर आवश्यकता ही क्या पड़ी? वास्तव में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, पेमेंट आफ वेजज ऐक्ट है और मिनीमम वेजेज एक्ट है उसमें जो कुछ भी प्रावधान दिए हुए हैं उनमें जगह जगह प्रावधान हैं जिनके कारण इस बिल की आवश्यकता नहीं है। कल मुख्य मन्त्री जी को समस्त विरोधी दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने एक पत्र दिया था, उसमें निवेदन किया गया था कि दूसरे एक्ट्स के प्रावधानों को देखते हुए इस कानून को लाने की क्या आवश्यकता है और राज्य सरकार यदि किसी विशेष परिस्थिति में अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करना उचित समझे तो सफीशियेन्ट प्रोवीजन्स आलरेडी स्टैचूट बुक पर हैं। इसलिए यह कानून बेजा है। केवल एक इन्टेशन है इस कानून को बनाने का। क्योंकि मजदूरों को लेबर लाज से लाभ मिल सकता था, जिसके लिए वे एजीटेट कर रहे थे और आन्दोलन करने का अधिकार उन्हें मिला हुआ था, वह अधिकार छीनने के लिए सरकार ने यह आरडीनेन्स लाना चाहा।

एडवोकेट जनरल यदि इस सदन को एड्रेस करते हों तो वह इस बात पर भी प्रकाश डालें कि मेरा एक आब्जेक्शन है कि इस बिल में कहीं पर स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में वेलफेयर आफ लेबर या वेलफेयर आफ फेमिन लेबर का एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसमें जो main object बताया गया है वह यह है :—

"The application of labour laws to the employees of such works is likely to create problems and difficulties in providing employment to such persons in conformity with the statutory provisions of labour laws."

याने लेबर लाज के प्रोवीजन्स के अनुसार उनको एम्पलायमेंट देने में क्योंकि सरकार को दिक्कत हो सकती है, इसलिए यह कानून सरकार की दिक्कतों को हल करने के लिए लाया जा रहा है और दिक्कतें क्या होंगी? दिक्कतें सरकार को कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में होंगी। श्रमिकों का कल्याण लेबर लाज के एप्लीकेशन में होगा। उनको छीनने से और उनके प्रावधानों को समाप्त करने से कहीं भी श्रमिकों का कल्याण नहीं हुआ है। मैं मुख्यमन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिक कल्याण के जितने कानून बने हुए हैं वे ब्रिटिशर्स के मोडल पर बने हुए हैं और बहुत से एक्ट्स इस देश के अन्दर ब्रिटिश टाइम में इनेक्ट हो गए और उनके पीछे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मजदूरों के आन्दोलन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि मजदूरों ने आन्दोलन करके लेबर लाज को इनेक्ट करवाया और आज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हमारे मुख्य मन्त्रीजी इस १९६४ के साल के अन्दर फैमिन लेबरर्स, जिनकी संख्या वे बड़े गर्व से तीन लाख बताते हैं और तीन लाख लोगों की भलाई के श्रम कानून समाप्त हो जांय, इसलिए यह कानून लाया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि 'वेल-फेयर आफ फेमिन लेबर' इसमें कोई शब्द नहीं है इसलिए एडवोकेट जनरल महोदय इस बात पर प्रकाश डालें और अपनी राय दें कि यह कानून किस तरह से आइटेम नम्बर २४ के अन्दर इनेक्ट किया जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : इस विषय में दो समस्यायें हैं। एक तो इस कानून को पास करने के लिये लेजिस्लेचर काम्पीटेंट है या नहीं। लेजिस्लेचर को यह देखना पड़ेगा कि जिस कानून का निर्माण करने लेजिस्लेचर जा रहा है, उसके काम्पीटेंट होते हुए भी उसकी महानता या उसकी आवश्यकता कितनी हद तक होती है। इन दोनों प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात् लेजिस्लेचर को सोचना चाहिये कि यह कानून बनाने की कोई आवश्यकता हमारे सामने उत्पन्न होती है या नहीं। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस और रीजन्स को देखने से स्पष्ट हो जाता है और जब यह जाहिर हो जाय कि कुछ आवश्यक बातें ऐसी हो गई कि जहां अकाल पड़ गया, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए सहायता करने के दृष्टिकोण से कोई इन्डस्ट्री कायम करने की नहीं है। सहायता करने के दृष्टिकोण से एम्प्लाइज को एम्प्लायमेंट देने के लिए इस कानून को बनाने की आवश्यकता हुई या किसी प्रकार की कानूनी अड़चनें आई।

जब यह आपत्ति हुई कि स्टेट लेजिस्लेचर काम्पीटेंट नहीं है क्योंकि संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार कौनसा कानून बना सकती है और बहुत से ऐसे कानून हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ परिस्थितियों में बना सकती हैं तो इसके उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने बताने की चेष्टा की कि लेबर लाज सेंट्रल गवर्नमेंट के बने हुए हैं उसमें कुछ सेक्शन्स ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एक्सैप्शन्स की तारीफ में आते हैं और प्रत्येक राज्य सरकार को पावर्स दी गई हैं कि किसी भी परटीक्यूलर एरिया को, परटीक्यूलर इन्डस्ट्री को इनके प्रोवीजन्स लागू होने से एग्जैम्प्ट कर सकती है। अब प्रश्न यह रहता है कि जब कानून में प्रावधान है कि ऐसा नोटीफिकेशन सिर्फ सरकार निकाल सकती है एक्सेपशन्स के अन्दर डाल सकती है तो उसके बाद में स्पष्ट रूप से एक प्रथक कानून बनाने की कोई आवश्यकता भी रहती है या नहीं तो मेरा निवेदन है कि दोनों विषयों पर विचार करना है। एक प्रश्न यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर की काम्पीटेंस इस कानून बनाने की है या नहीं, और दूसरा प्रश्न है कि इस कानून को बनाने से पहले यह सोच लेना चाहिये कि वास्तव में इस कानून की कोई आवश्यकता भी रहती है या नहीं और इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं मान लीजिये इस कानून को बना देते हैं तो भयंकर भूल इससे हो सकती है और उस ओर मैं आपका

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस बिल के सेक्शन २ सब क्लॉज (ए) में कोर्ट को डिफाइन किया गया है । लिखा है कि :—

" 'Court' means a court, tribunal, Board or an authority constituted or appointed under any labour law for deciding or adjudicating upon any dispute or claims under any such law......"

उसके बाद

"......and includes a civil court or a Magistrate exercising jurisdiction under any law for the time being in force;"

तो कोर्ट के डेफीनेशन में आर्डिनरी लॉ ऑफ दी लैंड के तहत जितनी भी सिविल कोर्ट्स आती हैं उनको भी कोर्टस में डिफाइन करते हैं और इसके बाद में आगे जाकर प्रावधान आता है, उस पर उन्होंने कहा है कि—

"(1) As from the commencement of this Act, no court shall take cognizance of any matter in respect of an employee of the famine relief works under any labour law."

यह बात सही है कि किसी भी एम्प्लाई के किसी डिस्प्यूट को जहां तक लेबर कोर्ट से एग्जेम्प्ट करने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप एग्जेम्पशन दे सकते हैं और उस लेबर कोर्ट में उसका कोई क्लेम नहीं लिया जायगा या लेबर के बारे में कोई निर्णय देते है तो उसको निरस्त कर सकते हैं ये सारी बातें हो सकती हैं। आप अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संभवत: यह कानून बनाना चाहते हैं लेकिन मान लीजिए किसी लेबर ला के तहत किसी को दो ढाई रुपये देने पड़ते हैं वह न देकर केवल सहायता के रूप में आप एक रुपया देना चाहते हैं लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक मजदूर को आप एक रुपया भी देना चाहते तो संभवतया एक रुपये का दावा जो आरडिनरी कोर्ट आफ ला के अन्दर करते, तो वह नहीं हो सकेगा । इस बात को दृष्टि में रखकर कोर्ट को डिफाइन किया गया है । तो आप इस प्रकार इस कानून के अन्तर्गत आप मूलभूत अधिकारों का हनन करना चाहते हैं । इस प्रकार जो फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को मिले हुए हैं जिसके द्वारा वह अपने क्लेम को आरडिनरी कोर्ट आफ ला में एक्सरसाइज करा सकता है उनको छीनने के लिए आपने सेक्शन ४ रखा है (bar of cognizance of courts) उस सेक्शन के द्वारा जो मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, उनको भी आप हनन करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि दोनों बातों पर यह दृष्टिकोण विचार में रखते हुए राज्य सरकार को पूर्ण रूप से इस विषय पर विचार करना चाहिए और यदि उसके उपरांत राज्य सरकार यह समझती है कि राज्य सरकार को अधिकार है कि.......

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जो आलरेडी एग्जिसटिंग लाज हैं उनके तहत उस नोटीफिकेशन को निकालने के पश्चात् जिस भावना को राज्य सरकार लाना चाहती है, वह भावना पूरी हो जाती है इसके बावजूद भी इस कानून को बनाने की आवश्यकता समझते हैं तो इन

Page No.56

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

दोनों विषयों पर विचार करना चाहिये और उसके पश्चात् ही राज्य सरकार को इस प्रकार का/कानून लाने की चेष्टा करनी चाहिये।

एडवोकेट जनरल (श्री गुलाबचंद कासलीवाल) : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि प्रस्तुत विधेयक संविधान के अनुच्छेद संख्या ३ ..

श्री मुकुटबिहारी लाल : व्यवस्था का सवाल है....

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : संख्या ३ के अंतर्गत अनुक्रमण २४....

श्री मुकुटबिहारी लाल : एक व्यवस्था का सवाल (Point of order) है। प्रश्न यह है कि एडवोकेट जनरल को यहां बुलाया गया है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एडवोकेट जनरल को किन स्थितियों में बुलाया जाना चाहिये और क्या इस सदन ने स्पष्ट डाइरेक्शन्स उनकी ओपीनियन सीक करने के लिये....

श्री अध्यक्ष : उनको बुलाया नहीं गया है, उनको अधिकार है। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि वे अन्य कार्य से यहां आये थे। और उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इस विषय में संवैधानिक आपत्ति हुई है कि हमारी कांपिटेन्स है या नहीं अधिनियम बनाने की इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल को पर्याप्त समय मिलना चाहिये। पंचायत बिल और इस बिल को दोनों को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, एडवोकेट जनरल भी अपनी कंसीडर्ड ओपिनियन दे दें और दो तीन दिन बाद फिर यह सदन के सामने आवे तो समय भी बच सकता है और जल्दबाजी से भी बच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जो प्रस्ताव है प्रवर समिति के लिये उस पर भी विचार होगा।

श्री गुलाबचंद कासलीवाल : यद्यपि माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो गई है किन्तु फिर भी माननीय सदस्य ने मेरा यहां उपस्थित होने और बोलने का प्रश्न उठाया। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान संविधान के आर्टिकल १७७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। संविधान में है:—

"Every Minister and the Advocate General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote."

मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता कि एडवोकेट जनरल को कांस्टिट्यूशन ने यह अधिकार दिया है कि सदन में वह उपस्थित हो, स्वयं हो सकता है, सदन के बुलाने से तो उपस्थित होना उसका कर्त्तव्य है

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

हीं। स्वयं उपस्थित होकर राय प्रस्तुत करना संविधान में आवश्यक रखा है।

यद्यपि मुझे समय ज्यादा नहीं मिला और मैं अभी किसी दूसरे कार्य से सदन में उपस्थित हुआ था, एक और सिलेक्ट कमेटी के संबंध में मुझे बुलाया गया था। सदन के सामने यह जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उसके संबंध में मैं संविधान के शिड्यूल ७ की कोन्करेन्ट लिस्ट के आइटम नं. २४ की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आइटम नं. २४ कोन्करेन्ट लिस्ट में :—

"Welfare of labour including conditions of work, provident funds employers liability, workmens compensation, invalidity and oldage pensions and maternity benefits है।

प्रश्न यह है कि आया यह बिल इस संख्या में आता है या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ सेन्ट्रल एक्ट्स वैलफेयर ऑफ या लेबर के लिये ये उनकी परिभाषाओं से यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उन परिभाषाओं से, सीमाओं से जो लेबर फेमिन के काम में एम्पलॉय की जाय उसको हटा कर विशेष उसके लिये कानून बनाया जाय वह इसमें निश्चित रूप से आता है क्योंकि इस कानून की मंशा यह है कि ऐसे लेबर को एम्पलॉयमेन्ट दिया जाय, ऐसा कानून बनाने के लिये चूंकि मौजूदा सेन्ट्रल एक्ट्स के यह कंन्फिलक्ट में आता है इसलिये आर्टिकल २५४ कांस्टिट्यूशन में जो प्रावधान किया गया है उसके लिहाज से यदि प्रेसिडेन्ट की एसेन्ट ऐसे ऑर्डिनेन्स या बिल पर ले ली जाय तो ऐसा कानून स्टेट भर में सेन्ट्रल एक्ट के मौजूद होते हुए भी प्राथमिकता पायेगा। मैं आर्टिकल २५४ आपके सामने उपस्थित कर देता हूं :

(1) "If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed be fore or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void."

यह तो पार्लियामेन्ट के बनाये हुए कानूनों के लिये है और State Legislatures द्वारा नाये कानून के लिये है। इसका दूसरा हिस्सा :

"(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has receved his assent, prevail in that

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)

State" इसके लिये केवल एक ही आवश्यकता है प्रेसिडेन्ट की एसेन्ट लेना नितान्त अनिवार्य है। प्रेसिडेन्ट की आवश्यक एसेन्ट इस पर ले ली गई है इससे यह भी प्रतीत होता है कि सेन्ट्रल मिनिस्ट्री ने इसको एग्जामिन कर लिया है क्योंकि तभी प्रेसिडेन्ट की एसेन्ट दी जा सकती है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह कानून संविधान के अनुसार है। सदन को इस पर विचार करके पारित करने का पूर्ण अधिकार है।

(श्री मानिकचंद सुराणा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी दफा बोल चुके हैं मैं नहीं समझता हूं कि और बहस की आवश्यकता है।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो चुका है। मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं रही है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

श्री मानिकचंद सुराणा - मैं आर्टिकल २५४ का विरोध नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : समय ज्यादा दिया जा चुका है एक माननीय सदस्य दो तीन बार बोल चुके हैं। जो सदन के समक्ष विचार आये हैं उनको ध्यान में रख कर मुझे व्यवस्था देनी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि इस विधेयक को सदन में इस समय न लें और मुख्यतः इसलिये कि सदन को लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्स नहीं है इस कानून को पास करने की। इस बारे में कई विचार आये और अभी आखिर में श्री एडवोकेट जनरल ने भी अपने विचार इस संबंध में बताये। मैं इस समय केवल यह बताना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव कांपीटेन्स है या नहीं है यह प्रश्न सदन तय नहीं कर सकता। यह अदालत को अधिकार है कि कौनसा कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है इसलिये यह बहस हुई कई माननीय सदस्यों की रुचि थी, दिलचस्पी थी इसलिये उनको बोलने का मौका दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें यहां बैठ कर यह तय नहीं करना है, न कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कांपीटेन्स है या नहीं। हमें तो इस समय यह देखना है कि संविधान के अंतर्गत व नियमों के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं और जो प्रक्रियाएं आवश्यक हैं उनकी पूर्ति हुई है या नहीं ताकि सदन विचार कर सके। विधेयक पास किया जाय न किया जाय, मेरी व्यवस्था यह है, जैसा कि श्री एडवोकेट जनरल ने कहा, संविधान के अंतर्गत प्रेसिडेन्ट की अनुमति है या अन्य बातें उल्लिखित हैं उनकी सारी पूर्ति की गई है अतः इस सदन में आगे कार्यवाही की जाय। सब पाबन्दियों की पूर्ति करने के बाद यह बिल प्रस्तुत किया है इसलिये जो आपत्तियां माननीय सदस्यों ने की है मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं और जो आगे कार्यवाही होनी चाहिये उसके लिये आज्ञा प्रदान करता हूं। सबसे पहले स्टेच्युटरी रिज़ोल्युशन प्रस्तुत करेंगे फिर मुख्य मंत्रीजी प्रस्ताव रखेंगे, फिर आगे कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि इस ऑर्डिनेन्स पर स्टेच्युटरी रिज़ोल्यूशन पर बहस चले, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऑर्डिनेन्स को जारी करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की प्रीवियस सेंक्शन और इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जैसा कि ऑर्डिनेन्स में लिखा गया है कि यह ऑर्डिनेन्स अन्डर दि इन्स्ट्रक्शन ऑफ दि प्रेसीडेंट जारी किया गया है, लेकिन जहां तक मेरी सूचना है इस ऑर्डिनेस पर भारत के राष्ट्रपति की कोई प्रीवियस इन्स्ट्रक्शन नहीं ली गई है। मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन भी किया था और मैं यह आपत्ति सदन में उठाना चाहता हूं कि यह ऑर्डिनेन्स भारत के राष्ट्रपति की प्रीवियस स्वीकृति से जारी किया गया है इसलिए राज्य सरकार का यह फर्ज है कि वह इस बात को बताये कि उसने किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति की प्रीवियस सेंक्शन, प्रीवियस इन्स्ट्रक्शन इस ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में सीक की और भारत के राष्ट्रपति ने किस पत्र के द्वारा किस तारीख को इनको यह सेंक्शन या इन्स्ट्रक्शन दिये कि आप इस तरह का ऑर्डिनेन्स जारी करें हमारे संविधान के आर्टिकल २१३ के तहत। राज्यपाल को कोई अपनी मर्जी से इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने का अधिकार नहीं है जिस बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की प्रीवियस स्वीकृति आवश्यक है। यह खुशी की बात है कि एडवोकेट जनरल ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी और जब स्वीकृति मिल जायगी तभी यह कानून कानून का रूप लेगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रीवियस सेंक्शन जो राज्य सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की ऑर्डिनेन्स जारी करने के लिए प्राप्त की है, वह किस तारीख को और किस पत्र के द्वारा है और उसे इस हाउस की टेबल पर रखा जाय ताकि उसके बाद इस स्टेट्यूटरी रिज़ोल्यूशन पर बहस चालू कर सकें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : Sir, I have in my possession the letter from the Law Ministry dated 4th July, 1964. It is:—

"Sub:— Rajasthan Famine Relief Works Employees (Exemption from Labour Laws) Bill, 1964.

......Subject to the observation made in the preceding para, I am directed to communicate the approval of the President of India to the promulgation of the Bill."

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन है कि इसको हाउस की टेबल पर रखवाने की कृपा करें। इसमें हस्ताक्षर किसके हैं? यह भी मैं जानना चाहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : It is signed by the Secretary to the Government of India, Ministry of Law. I have read everything which I have in my possession.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें क्या है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सेक्रेट्री ऑफ गवर्नमेंट ने, किसने हस्ताक्षर किये हैं — यह आप बतायें।

श्री मथुरादास माथुर : बी. शुक्ला!

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह 'संवैधानिक एतराज है कि भारत के संविधान के तहत जो पॉवर्स पार्लियामेन्ट ने भारत के राष्ट्रपति को दी हैं वह पॉवर्स भारत के राष्ट्रपति किसी आफिसर किसी मिनिस्टर या किसी प्रधान मंत्री को डेलीगेट नहीं कर सकते। और यह मान्यता (ट्रेजरी बैंचेज़ के हंसने पर) मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंचेज़ हंसती हैं। लेकिन मैं अपनी मान्यता के आधार पर निवेदन कर रहा हूं. इसके लिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वक्त, बी. गजेन्द्रगडकर, जो हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वे भी बैठे थे, वे फैसले में शरीक थे। उसमें साफ तौर पर ऑब्जर्वेशन दिया है, स्पेशल पॉवर्स प्रेसीडेंट की हैं वे डेलीगेट नहीं की जा सकती हैं....

श्री मथुरादास माथुर : Powers have not been delegated. It is the President's approval which has been communicated. Mr. Shukla has not exercised the powers of the President. He has only communicated the approval.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सुन लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : I have heard your point. You always challenge the competence of Treasury Benches.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां ! आप सुन लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : I have heard you.

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इस आर्डर में बाई एण्ड आन बिहाफ ऑफ दि प्रेसीडेंट नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो दूसरी बात थी। लेकिन Position is otherwise.

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्स को प्रोमल्गेट करने की पॉवर संविधान की आर्टिकल १२३ के अन्तर्गत प्रेसीडेंट में वेस्ट की हैं। यह प्रेसीडेंट की पॉवर है। इसका साक्षी है हिन्दुस्तान का गजेटिअर। पहले ऑर्डिनेन्स जारी होते थे उनमें पहले के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुआ करते थे। उसके बाद जो ऑर्डिनेन्स जारी हुए उनमें डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हस्ताक्षर हैं। और उसके बाद सेक्रेट्री टू दि गवर्नमेंट हस्ताक्षर करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, १६६२ में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय कर दिया है कि जो भी पॉवर्स स्पेशली प्रेसीडेंट को डेलीगेट की हुई हैं वे उन पॉवर्स को डेलीगेट नहीं कर सकते और उन पॉवर्स को डाइरेक्टली एक्सरसाइज करना आवश्यक है। किसी भी सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेट्री ने कोई चीज कॉम्युनिकेट कर दी है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्टिकल २१३ के तहत कम्प्लायेन्स किसी प्रकार से नहीं मानी जा सकती। आर्टिकल २१३ की कम्प्लायेन्स तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति के खुद के हस्ताक्षर किये हुए आदेश राज्य सरकार के पास मौजूद हों और जो आदेश आपने पढ़ा है, इससे साफ जाहिर है कि किन्हीं सेक्रेट्री या डिप्टी सेक्रेट्री के हस्ताक्षर हैं। मैं निवेदन करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहूंगा कि यह पॉवर गवर्नमेंट को नहीं हैं, भारत के संविधान में यह नहीं किया है कि भारत सरकार से इन्स्ट्रक्शन लिये जायं। अगर ऐसा होता तो सेक्रेट्री टू दि गवर्नमेंट को हस्ताक्षर करने का अधिकार होता लेकिन आर्टिकल २१३ के तहत प्रीवियस इन्स्ट्रक्शन ऑफ दि प्रेसीडेंट शब्द हैं, उनके अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और उन्हें यह ऑर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा सेशन में नहीं हो, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो उस परिस्थिति में किसी एमर्जेन्सी की स्थिति को मीट करने के लिए इमीजियेट एक्शन लेने की आवश्यकता हो स्टेट को तो हैड ऑफ दि स्टेट और सेन्टर को पॉवर्स पार्लियामेंट ने रिजर्व की हैं और उसका कान्स्टीट्यूशन में उल्लेख किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है, वह आर्टिकल २१३ के मातहत जारी नहीं है और भारत के राष्ट्रपति की कोई सेंक्शन या इन्स्ट्रक्शन कन्सीव नहीं की जा सकती और इस पर विचार करने का उस वक्त तक अधिकार नहीं है जब तक प्रेसीडेंट अपने इन्स्ट्रक्शन कन्वे नहीं कर दें और खुद के हस्ताक्षर से इस स्टेट गवर्नमेंट को इन्स्ट्रक्शन नहीं दे दें, तब तक यह आर्डीनेन्स नल एण्ड वाइड है। और ऑर्डिनेन्स पर इस तरह के इन्स्ट्रक्शन प्राप्त नहीं होते हैं तब तक कोई ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति के दस्तखत....

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री बोलें उससे पहले रूलिंग के कोटेशन सुन लें ताकि गलतफहमी नहीं हो। अगस्त १२, १९६४ पेज ६५६ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पी. गजेन्द्रगड़कर जब आप हंस रहे थे तब मैंने निवेदन किया था, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे थे और फैसला दिया था। फैसला यह है, अध्यक्ष महोदय.... "That clause enables the President to entrust......"

यह आर्टिकल २५८ पर डिस्कशन है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें यह कहा गया है— प्रेसीडेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर यूनियन गवर्नमेंट को दे सकते हैं, इस बात पर डिस्कशन करते हुए उन्होंने कहा है : "That clause enables the President to entrust to the State functions which are vested in the Union and which are exercisable by the President on behalf of the Union. It does not authorise......"

नोट करिये विधि मन्त्री जी, "...It does not authorise the President to entrust to any other person or body the powers and functions with which he is by the express provisions of the Constitution as President invested. The power to promulgate Ordinances under Article 123, to suspend the provisions of Article 268 to 279 during an emergency, to declare failure of the Constitutional machinery in States under Article 356, to declare financial emergency under Article 360, to make rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to posts and services in connec-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

tion with the affairs of the Union under Article 309—to enumerate a few out of the various powers-are not powers of the Union Government, these are powers vested in the President by the Constitution and are incapable of being delgated or entrusted to any other body or authority under Article 258 (1)".

बहुत साफ तौर से उन्होंने कह दिया है। इसलिए किसी भी तरह से जो पोवर्स श्री पी. शुक्ला या डिप्टी सेक्रेट्री कोई भी हो, को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है और उन्होंने जो चिट्ठी पर दस्तखत किये हैं उसके लिए दस्तखत करने के उनको पोवर्स नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को मंजूर करते हैं कि "Delegation of powers" and "communication of the consent of the President" अलग अलग चीजें हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रपति ने किसी सेक्रेट्री को या मिनिस्टर को पोवर्स डेलीगेट कर दिये हैं। अगर हम पावर्स मांगें और जहां तक हमको मिल जावें, राष्ट्रपति पोवर्स डेलीगेट नहीं कर सकता यह वाजिब है। लेकिन यह प्रश्न डेलीगेट करने का नहीं है। यहां पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं जब उस बात को उनके सेक्रेट्री कनवे करें या वे खुद करें इसमें कोई डेलीगेट की बात नहीं आती। अपने यहां पर भी इस प्रकार का रूल ६० है

"Communication of sanction or recommendation of President or Governor.—The order of the President or the Governor granting or withholding the sanction or recommenda- to the introduction or consideration of a Bill shall be communicated to he Secretary by the Minister concerned in writing."

यहां पर भी गवर्नर के दस्तखतों से नहीं आते हैं—

The President communicates to the Minister in charge of the department. He communicates to the Secretary and it is communicated to us. This has been the practice and there is no illegality in it.

इसलिये यह डेलीगेशन ऑफ पोवर का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रपति ने खुद ने पोवर्स एक्सरसाइज किये हैं और उसके बाद राष्ट्रपति ने जो पॉवर्स एक्सरसाइज किए हैं उसको उनके सेक्रेटरी ने कनवे किया है।

श्री अध्यक्ष : अपने बिजनेस रूल्स के अन्दर है।

श्री मथुरादास माथुर : अपने यहां भी रूल्स बने हुए हैं और उसमें सेक्रेट्री को पोवर्स दिये गये हैं और वहां पर भी रूल्स बने हुए हैं उसमें सेक्रेट्री को पोवर्स दिये गये हैं। यहां पर भी यह जरूरी नहीं है कि सभी विधान सभा में जो आवे राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से ही आवें इसी प्रकार वहां पर पार्लियामेंट में भी रूल्स बने हैं और गवर्नमेंट ने बनाये हैं। और बराबर यही प्रैक्टिस चलती आ रही है। इसलिए यह स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा ही दी गई है। हमारे यहां पर भी रूल्स ऑफ बिजनेस में है। इसलिए जो

Page No.63

(श्री मथुरादास माथुर)

आपत्ति उठाई गई है वह ठीक नहीं है और निराधार है और अवैधानिक है। फिर भी अगर आप चाहें तो कोर्ट इसके लिये कोम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है। हमने जो कुछ किया है। वह प्रेक्टिस और कानून के मुताबिक किया है।

श्री मुकट बिहारीलाल : अभी जो लेटर पढ़ कर सुनाया, अगर उसमें यह होता कि :—

"I hereby" or "the President of India is pleased to communicate his consent"

ये कुछ भी होता या ओन बीहाफ होता।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने यह आपत्ति की है कि जो राष्ट्रपति की स्वीकृति है वह ठीक तरह से सदन के समक्ष नहीं आई है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि वे अपने जो अधिकार हैं वे किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट कर दें लेकिन जैसा कि विधि मन्त्री ने कहा है कि प्रश्न पोवर्स डेलीगेट करने का नहीं है लेकिन जो नियम हैं उनके अनुसार विज्ञप्ति को यहां पर कनवे किया गया है। इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं उनके अन्तर्गत यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(१०.५८ म. पू.)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): [परिनियता संकल्प इस प्रकार है :—

"यह 'सदन' राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) अाधयादेश, १९६४ (संख्या ७ सन् १९६४) को जो राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक ९ जुलाई, १९६४ को प्रस्थापित किया गया, अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने Statutory Resolution दिया है उसमें मांग की है कि राजस्थान फेमिन रीलीफ वर्क्स एम्पॉलइज़ (एग्ज़ेम्पशन फ्रोम लेबर लॉज़) ऑर्डिनेन्स १९६४ जो सदन में आ रहा है उसको आउट राइट रिजेक्ट कर दिया जावे। इसको कतई अस्वीकार कर दिया जावे। आउट राइट रिजेक्ट का मतलब है कि इसको कतई अस्वीकार कर दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, ऑर्डिनेन्स ९ जुलाई को ८ जुलाई को पास हुआ और आज बिल के रूप में ला रहे हैं और इस ४ तारीख को प्रेसिडेन्ट की कन्सेन्ट ले कर चार दिन बाद में ऑर्डिनेन्स का रूप लेता है और सदन में आ जाता है मैं यह कहूंगा कि यह बिल राजस्थान के उन तीन लाख लोगों के अधिकारों को कुचलता है जिन्होंने अकाल की गंभीर स्थिति में निर्माण कार्य किया। यह बिल अपनी किस्म का एक ही बिल है। भारतवर्ष के इतिहास में इस प्रकार का काला कानून पहले कहीं भी नहीं बनाया गया होगा जिसमें कि मजदूरी करने वाले लोगों से सभी अधिकार छीन लिये जो उन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में एक युग के संघर्ष के बाद प्राप्त किये थे, जिन्होंने मशक्कत करने वाले इन्सान को इन राहतों से महरूम कर दिया जिन्होंने इनको खून के जरिये प्राप्त

Page No.64

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किया था और जो उनका अधिकार था। जिसको उन्होंने संघर्ष से प्राप्त किया था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, प्रातः स्मरणीय श्री गंगाधर तिलक जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में महान योग दिया और वे संसार के महान व्यक्ति उनका संघर्ष जो १९२२ से उन्होंने अंग्रेजी राज्य में चलाया उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। फेमिन कोड के अन्दर माननीय श्री गंगाधर तिलक ने एक संघर्ष के बाद बहुत सी रियायतें प्राप्त कीं। फेमिन रिलीफ कोड के अन्दर अधिक मजदूरी दिये जाने का प्रावधान श्री गंगाधर तिलक ने प्राप्त किया और आज राजस्थान सरकार इस बिल के द्वारा उन अधिकारों को भी मजदूरों से छीन लेना चाहती है जो कि साधारण लेबर एक्ट की तहत उनको प्राप्त हैं, जो सेन्ट्रल लेबर एक्ट के द्वारा उनको प्राप्त हैं। जो ये उनको उस एक्ट की तहत १९३६ के एक्ट की तहत उनको प्राप्त हैं जो कि अंग्रेजों के राज्य मेंमजदूरों ने प्राप्त किये थे और १९४६ में जो लेबर लॉज़ बने उनको भी यह बिल खाना चाहता है जो अंग्रेजों के राज्य में अधिकार मजदूरों ने प्राप्त कियेउनको यह बिल समाप्त करना चाहता है। इस राज्य में मजदूरों ने जो राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान दिया है,

(१०.५६ म. पू.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत पदासीन)

यह बिल इन्डस्ट्रियल एक्ट, १९४७ को भी खतम कर देना चाहता है जो कांग्रेस के राज्य में आया है, और जो मिनिमम वेजेज एक्ट १९५८ में बना उस को भी यह बिल समाप्त कर देता है और इसके साथ साथ डिडक्शन ऑफ वेजेज, डिडक्टेड पेमेंट, और डिलेड पेमेंट मजदूरों को हो, जिसको राहत मजदूर वेजेज एक्ट के तहत प्राप्त करता है, किसी मजदूर को नाजायज तरीके से डिडक्ट कर लिया जाय, लेट पेमेंट किया जाय तो इस कानून के तहत मजदूर सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको भी यह बिल समाप्त कर देता है। अखबारों में समाचार आते हैं जगह-जगह से कि उनको वेजेज डिडक्ट कर लिये गये हैं, उनको लेट पेमेंट किया जाता है, चूरू से समाचार आ रहे हैं कि चार पांच सप्ताह तक पेमेंट नहीं किया जाता, पीपाड़ में तीन हजार मजदूर मुजाहिरा कर रहे हैं कि उन्हें पेमेंट नहीं हो रहा है। बाड़मेर में डिडक्ट पेमेंट, डिलेड पेमेंट किया जा रहा है, बीकानेर के १५ केम्प्स में काम स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि फावड़े नहीं हैं। बीकानेर जो भयंकर अकाल क्षेत्र हैं, वहां चार सप्ताह हो गये पर पेमेंट नहीं किया गया, कहीं से समाचार आये हैं कि जो आपका शिडूल है १ रुपया १२ नये पैसे उसके मुताबिक तहसीलदार ने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट मजदूरों को राहत देता था उसको आपने समाप्त कर दिया है। अब वह किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। किसी लेबर ट्रिब्यूनल में, किसी लेबर कोर्ट में दोहाई नहीं दे सकता। इससे आपने ३ लाख मजदूरों का डिलेड पेमेंट और डिडक्टेड पेमेंट के खिलाफ लड़ने का अधिकार समाप्त कर दिया। किसी लेबर ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट के अन्दर वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिये लड़ सकते थे, कम्पेंसेशन के लिये मज-

Page No.65

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दूर वेजेज एक्ट के तहत लड़ सकते थे, साल भर काम करते हुए हो गया हो तो १५ दिन की मजदूरी का वह हकदार हो जाता है, यदि किसी मजदूर को निकाला जाय तो वह बाकायदा एक महीने के नोटिस का हकदार हो सकता था, अगर निकालें तो एक महीने का वेतन देकर निकाल सकते थे, इन सब अधिकारों से भी आपने मजदूरों को वंचित कर दिया है । वह अपने हकों की रक्षा के लिये किसी ट्रिब्यूनल का, किसी लेबर कोर्ट का आसरा ले सकता था उससे भी उसे वंचित कर दिया, एक साल काम कर ले तो १५ दिन के वेजेज का अधिकारी होता है उससे भी आपने उसे वंचित कर दिया । सनडे की छुट्टी लाजमी ले सकता था, वह अधिकार भी आपने समाप्त कर दिया । ये अधिकार मजदूरों ने युगों के संघर्ष के बाद प्राप्त किये हैं, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद प्राप्त किये हैं उनको इससे खत्म कर दिया है । बूढ़ी औरतों को, बच्चों को काम दिया है पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सरकार कहती है कि अकाल में मजदूरों ने इतना काम नहीं किया, जिस तरह पी०डब्ल्यू०डी० करती है, दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं उतना काम नहीं किया मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सारे राजस्थान में मजदूरों ने अकाल में उससे अधिक और बढ़िया काम किया है । तो यह जो दलील दी जाती है वह दलील एक दम लचर और पोची दलील है और महज इसलिये यह दलील दी जाती है कि राजस्थान सरकार मजदूरों को पैसा नहीं देना चाहती ।

अकाल में किये गये काम की मैं नजीर दूंगा । पी. डब्ल्यू. डी. के शिड्यूल के मुकाबले में राजस्थान सरकार ने कितनी रकम मजदूरों की मार ली है, यह मैं पहले बता दूं । ७ मई, १९५९ में जो पी. डब्ल्यू. डी. का शिड्यूल जारी हुआ है, उसमें १ रु० ८ आना मेल, १ रु० ६ आना फीमेल, १ रु. ४ आना चाइल्ड मेल, १ रु० २ आना चाइल्ड फीमेल ।

इसके पेरेलल जो रेट्स राजस्थान सरकार ने अकाल कार्य में दी हैं वे हैं : ३७ नये पैसे १३ साल से कम बच्चे के ७५ नये पैसे १३ साल से ऊपर के बच्चे के, ८७ नये पैसे महिला के और १ रु० १२ नये पैसे पुरुष के। अगर दो लाख मजदूरों का केल्कुलेशन करें तो ४ करोड़ ३३ लाख रुपया इन मजदूरों की जायज मजदूरी का राजस्थान सरकार ने रख लिया ।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुल मजदूरी कितनी दी ? ४ करोड़ ३३ लाख के फिगर्स पर आप कैसे पहुंचे हैं । अगर इतना रुपया रख लिया तो कुल कितना रुपया दिया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुल जितना दिया उसमें से ४ करोड़ ३३ लाख कम दिया है । आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका मैं दो लाख वर्कर्स के हिसाब से कह रहा हूं । ३ लाख मजदूरों ने काम किया है तो उस हिसाब से केल्कुलेट किया जाय ।

वर्कर्स के बारे में निवेदन करूं कि चाणोद गांव में जवाई बांध से १० मील लम्बी नहर निकाली, उसका १६ हजार रुपया मजदूरों को मजदूरी का दिया । गौर फरमाइये, गंग केनाल की छोटी बड़ी सब डिस्ट्रीब्यूटरीज मिला कर ७५० मील लम्बी है, गंग केनाल की मजदूरी का कुल रुपया ३ करोड़ २५

Page No.66

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लाख है इस हिसाब से १० मील के टुकड़े पर ५० हजार रुपया एक्सपेन्डीचर आता है। अब आप अन्दाज लगा लीजिये कि एक वर्क ५० हजार में होना चाहिये वह भी २४–२८ की रेट्स हैं, वहां १० माइल पर केवल १६ हजार रुपया खर्च किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लम्बाई चौड़ाई बराबर ली है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सबका एवरेज निकाला है। यह १० मील लम्बा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौनसी केनाल का कह रहे हैं ? गांव वाले श्रमदान कर के खुद केनाल ले गये थे पानी का इन्तजाम करने के लिये उसके बारे में कह रहे हैं क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, जवाई बांध से चाणोद तक १० मील लम्बी नहर का कह रहा हूं। मैं पाली जिले में घूम रहा हूं और आप गंगानगर में घूम रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इर्रिगेशन की नहर है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां। इर्रिगेशन की है। १० मील लम्बी है, १६ हजार में बनी है, यह आपकी ऑथेंटिक न्यूज है। इसके अलावा, सभानेत्री महोदया,....

श्रीमती सभानेत्री: Please wind up.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी तरह से, सभानेत्री महोदया, मैं एक और नजीर उस जिले की रखूं। १५० मील लम्बी सड़क बनाई गई। उसमें तालाबों और कुओं के निर्माण का काम भी शामिल है। इन सब पर ६ लाख ५० हजार का पेमेंट किया। पी. डब्ल्यू. डी. के किसी भी एक्स्पर्ट से आप पूछ लीजिये कि एक मील पर मिट्टी डालने में कितना खर्चा आता है। १० मील के टुकड़े पर १० हजार से किसी तरह कम खर्चा नहीं हो सकता, इसमें तो तालाब और कुओं के निर्माण भी शामिल हैं। ३३ विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया गया, १५० मील लम्बी सड़क तैयार करवाई गई आपने मजदूरों को कुल ६ लाख ५० हजार रु० का पेमेंट किया है। अगर १० हजार के हिसाब से केल्कूलेट करें तो १५ लाख रुपया होता है। सभानेत्री महोदया, मैं सदन का कीमती समय इन आंकड़ों को रखकर वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैंने नमूने के तौर पर आंकड़े पेश किये हैं। अगर सारे १५ जिलों में केवल अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के निर्माण कार्य का एवरेज निकालें और पी.डब्ल्यू. डी., इर्रिगेशन विभाग द्वारा जो काम कराये गये हैं उन का एवरेज निकालें तो उससे अधिक काम हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसलिए राजस्थान सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का काला कानून लाये जो कि मजदूरों के अधिकारों को छीन ले। राजस्थान की सरकार ने राहत देने के नाम पर जहां ३० हजार टन अमेरिकन गेहूं में २ करोड़ २० लाख का प्रॉफिट कमाया है और ६० प्रतिशत तो जिसका भुगतान गेहूं के रूप में किया है और ४० पर्सेन्ट केश में किया है वहां राजस्थान की सरकार ने ३० लाख मजदूरों पर आघात पहुंचाया है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधर व्यास !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभानेत्रीजी, जो ऑर्डिनेन्स को अमान्य करने का प्रस्ताव है उसके लिए मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इसके अन्दर एम्स एण्ड आबजेक्ट्स के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि क्योंकि कुछ लोगों ने या राजनैतिक दलों ने यह मजदूरों की जो इस प्रकार की डिमाण्ड है इसका लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से कदम उठाया है उसको रोकने के लिए हमने यह ऑर्डिनेन्स जारी किया है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहस होने के बाद में फिर क्लाज़ बाई क्लाज़ पर बहस नहीं हो सकेगी क्योंकि अमेन्डमेंट्स ज्यादा नहीं हैं। लेकिन मूल मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ।........

श्रीमती सभानेत्री : काफी सदस्य बोलने वाले हैं और आप बोलने में किफायत-शारी बरतें।

श्री मुरलीधर व्यास : सभानेत्री महोदया, क्योंकि यह मामला हमारे क्षेत्र से सम्बन्धित है और इसको एक ही दृष्टिकोण से उठाया कि आज जिन परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं और जो काम करने वालों को वेतन मिल रहा है यह न्यायसंगत है या नहीं। आज सरकार की ओर से कहा जायेगा कि हम जो वेतन दे रहे हैं वह न्याय-संगत है। क्योंकि हमने स्पॉट पर जाकर देखा, वहां के हालात को देखा कि किस प्रकार से मजदूर काम कर रहे थे। वहां पर लोगों को केवल अपना ही जीवन नहीं बिताना था बल्कि उनमें से किसी के पास ऊंट था, जानवर थे, बच्चे थे सबको बचाने का सवाल था, और वह उनको उसी परिस्थिति में बचा सकते थे जबकि उनको पर्याप्त पैसा मिलता। वह अपने ऊंटों को, जानवरों को और अपने परिवार को किस प्रकार से बचा सकते थे यह मूल उद्देश्य था। आप अनुमान लगाइये। जिसके पास ऊंट हों, जानवर हों और परिवार में ५ आदमी भी खाने वाले हों उसको आप १ रु० २ आना दें और फिर कहें कि वह अपने आपको बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले, अपने ऊंट और जानवरों को बचा ले तो कैसे यह सम्भव हो सकता है? वह १ रुपये २ आने में किस प्रकार से बचा सकता था? इसका आप नैतिक दृष्टिकोण से जवाब दे दें। अगर आप उनको सहायता पहुंचाना चाहते थे और आपका यही लक्ष्य था तो चाहे आप महिलाओं को १२ आने या १४ आने देते हैं, मर्दों को १ रुपया २ आना देते हैं उतने पैसों में वह कैसे अपने आप को, अपने ऊंटों को, अपने जानवरों को बचा सकते थे? इसलिए हमने मांग की कि कम से कम मिनिमम वेजेज कानून के अन्तर्गत तो उनको वेतन मिले। मिनिमम वेजेज का मतलब यह है कि मजदूर के परिवार को इतना पैसा मिल जाये कि वह जिन्दा रह जाय। अब बताइये कि जिसको जिन्दा रहना है उसके लिए मिनिमम वेजेज कानून बनाया है। अगर मिनिमम वेजेज को देखें तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं। यह सारे लोग मानते हैं लेकिन, जो कुछ उनके हक का था वह भी नहीं दे रहे हैं। उसके सिवाय मजदूर जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिए हमने मांग की कि कम से कम मिनिमम वेजेज उनको मिलें और उसके

Page No.68

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऊपर भी आपने किस प्रकार का प्रहार किया वह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहें तो उसके संबंध में कह दें कि हमने इस प्रकार से किया है और सबके दृष्टिकोण से किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले के अन्तर्गत वह सारी परिस्थितियों को देखकर आयें और हमने इस बात को बिल्कुल नैतिक समझा और इसी बात पर नन्दाजी, लालबहादुर जी शास्त्री जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह तो राज्य का मसला है इसलिए मुख्य मंत्री जी से बात करो। मैं बतलाता हूँ कि मैंने मुख्य मंत्रीजी से बातचीत की क्योंकि उन्होंने हम पर चार्ज लगाया था कि राजनैतिक दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं मैंने कहा कि यह बात नहीं है हम किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से यह नहीं कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि यह नैतिक दृष्टिकोण है और कानूनी दृष्टिकोण से पैसा उनको मिलना चाहिये और यह उनका हक है। जहां तक नीति का सवाल है और कानून का सवाल है कि कानूनी दृष्टिकोण से यह पैसा मिलना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसका केस बनाकर मेरे पास भेजो तो मैं इसको रेफर कराऊंगा। या तो मुख्य मंत्रीजी इसके लिए इन्कार कर दें कि उन्होंने रेफर करवाने के लिए नहीं कहा। मेरे सामने मोतीलालजी चौधरी भी बैठे थे और उन्होंने उसके सामने कहा कि अगर यह रेफर हो सकता है तो हम इसको रेफर करेंगे–यह कहा गया। नैतिक तकाजा तो यह था कि जब उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि केस बनाकर भेजें और केस बनाकर भेजा तो उन्होंने उसको रेफर नहीं कराया। जब मुख्य मंत्रीजी ने अपने कानूनी सलाहकारों से राय ली तो उन्होंने कहा कि आपको तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसके बाद में यह ऑर्डिनेन्स जारी किया। आर्डिनेन्स आपने जारी कर दिया और जारी करने के बाद में भी हमने उन लोगों को जिनका अधिकार था, जितने दिनों का भी उनको मिल सकता था उसके लिए ऑर्डिनेन्स के पहले जो दावे थे वह लेबर कमिश्नर के पास पेश कर दिये। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपने रेफरेंस की बात को स्वीकार कर लिया और जब आपने उसको रेफर नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में हमने लेबर कमिश्नर के पास दावे पेश किये कि न्याय के दृष्टिकोण से यह चीज मिलनी चाहिये। जब उनके सामने दावे पेश कर दिये गये उसके बारे में वही मुख्य मंत्रीजी जो पहले यह कहते थे कि अगर कानूनी दृष्टिकोण से इनको मिल सकता है तो मैं रेफर करने के लिए तैयार हूँ। रेफर करवाने की बात तो अलग रही उसके बाद में जब आपने उसको रेफर नहीं करवाया तो हमने कानूनी दृष्टिकोण से लेबर कमिश्नर के पास ५ हजार दावे पेश कर दिये। उसके बाद में आपने ऑर्डिनेन्स निकलवाया। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी का नैतिक दृष्टिकोण कितना ऊंचा है ! मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे राजस्थान का मुख्य मन्त्री कोई भी हो और वह एक जिम्मेदार पद पर बैठकर कहे कि हम इसको रेफर कराने के लिए तैयार हैं और फिर रेफर नहीं कराये और वह भी सरकार को कोई लम्बी चौड़ी पूंजी नहीं देनी पड़ती थी–५ हजार दावों में २–४ लाख रुपया देना पड़ता है इसके बाद में आपने ऑर्डिनेन्स जारी करवाया। मैं कहना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी अपने जवाब में कहेंगे कि हमने इतना पैसा दे दिया और यह भी कहेंगे कि यह तो राजनैतिक दृष्टिकोण था लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह राजनैतिक दृष्टिकोण कतई नहीं था और न है और मुख्य मंत्रीजी इस बात से इन्कार करें कि मैंने रेफरेन्स की बात नहीं कही थी और कानूनी दृष्टिकोण से राहत पहुंचाने की बात भी नहीं कही तो। या तो मुख्य मंत्रीजी कह दें कि मैंने इसको नहीं कहा। मुझे दुख इस बात का है कि इतनी बातें होने के बाद भी वहां के लोगों को जो आप दे रहे हैं उससे उनका निर्वाह नहीं हो सकता। आप दूसरे राज्यों में चले जाइये। बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो उस समय भी वहां के लोगों को १ रुपया १२ आने दिये गये दूसरे राज्यों में इससे भी ज्यादा ज्यादा दिये गये हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हर आदमी को जिन्दा रखने के लिए मिनिमम वेजेज से आप किस प्रकार से वंचित कर सकते हैं ? और इन परिस्थितियों में करते हों। जब आप खुद वादा करते हो और खुद कहते हो रेफर करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर वादा खिलाफी करते हो। मुझे बड़ा दुख है इसका। राजस्थान सरकार को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ा। विदेशी गेहूँ जो सरकार को मुफ्त मिले, उसको उसका पैसा नहीं देना पड़ा, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए मिला है, पौने दो रुपया मजदूरी दे रहे हो और ३८ नये पैसे किलो से काट रहे हो, वह भी दे देते तो उन गरीब मजदूरों को राहत मिल जाती। जिन्होंने अनाज बाहर से भेजा उन्होंने यह देखा कि लोग भूखों मर रहे हैं उनके लिए अनाज भेजो। उन्होंने

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अनाज भेजा। हमारे राज्य को मुफ्त में अनाज मिला और उसमें भी आज पैसा मजदूरों की मजदूरी में से काट रहे हो। मुख्य मंत्रीजी आपका दृष्टिकोण कितना निम्न कोटि का रहा है। मुख्य मंत्रीजी या तो अपने उत्तर में यह कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है और कहते हैं तो मैं मानूंगा कि हिम्मत से चलेंगे। यदि नहीं कहते हैं तो चाहे आप कितने ही बड़े क्यों न हों लेकिन मेरे दिल में तो आप मुख्य मंत्रीजी एक निम्न दर्जे के हैं और सही माने में जो सही दृष्टिकोण रखना चाहिये वह नहीं रखते हैं। और अगर इस बात को मंजूर करते हुए, मेरी तो यह मान्यता है, परिस्थितियां हो गई हैं और ऑर्डिनेन्स जारी तो किया, मैं मांग करता हूँ इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्य मंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिये और जो कुछ किया है वह गलत किया है और मेरे हाथ से गलत हो गया है। इन मजदूरों के साथ कार्यवाही की वह ठीक नहीं की।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मजदूरों को मजदूरी दिलाने का सवाल है। सदन किसी प्रकार भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिये थी वह न मिले। यह विधेयक सदन कभी मंजूर नहीं कर सकता।

(श्री ज्वालाप्रसाद और श्री मानिकचन्द सुराणा के खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री : श्री सुराणाजी बोलेंगे।

Page No.70

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं बाद में बोल लूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : आपका ही नम्बर टर्न के अनुसार है । (श्री ज्वाला प्रसाद के खड़े होने पर) आपका नाम नहीं है माननीय सदस्य ! पहले सुराणाजी बोलेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आसन से कहूँगा कि आप इजाजत देना चाहें उन्हें तो मैं बाद में बोल लूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं कह रही हूँ आप बोल लें । नहीं चाहते हैं तो न बोलें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं इस ऑर्डिनेन्स को यह सदन अस्वीकार कर दे इस बात को निवेदन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं । सभानेत्रीजी, इस ऑर्डिनेन्स के बारे में जो भी वैधानिक आपत्तियां थीं वे अभी इस सदन में कुछ देर पहले उठायी गई हैं और मेरे से पहले भी दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं । जो निवेदन उन्होंने किया मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में देखा जाय तो इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने की कोई परिस्थिति राज्य सरकार के सामने नहीं थी । यह ऑर्डिनेन्स ८ जुलाई, १९६४ को जारी किया और उससे पहले, मैं निवेदन करना चाहता हूं ३० अप्रेल, १९६४ को न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधान के आधीन राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी थी, जो न्यूनतम वेतन, कानून के तहत रेट्स मुकर्रर हैं वे किसी प्रकार इन मज़दूरों पर लागू नहीं होंगी और १ साल तक नहीं होंगी । चूंकि ३० अप्रेल, १९६४ से न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार कोई वेतन चुकाना कानून की दृष्टि से बाकी नहीं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ८ जुलाई को इस प्रकार की कौनसी परिस्थितियां थीं, राज्य सरकार के सामने कौनसी ऐसी परिस्थितियां थीं कि जिसके कारण यह ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा ? जब कोई इमरजेन्सी हो तो ऑर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है और उसको मीट करने के लिए कोई आवश्यकता हो सकती है । मैं सही समझता कि राजस्थान में अकाल क्षेत्र के मजदूरों ने कोई इमरजेन्सी इस स्टेट में कायम कर दी हो । कोई हड़ताल कर दी हो । कोई बगावत कर दी हो । या इस सरकार को उखाड़ फेंकने का व्रत लिया हो या जहां फेमीन रिलीफ वर्क्स चल रहे हों वहां इस प्रकार की स्थिति मजदूरों ने पैदा कर दी हो, या इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई हो । कोई फोरी एक्शन पैदा करने की ठान ली हो । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी । ऑर्डिनेन्स को जारी करने की कोई परिस्थिति राज्य सरकार के सामने नहीं थी यह बात बिल्कुल साफ तौर पर हमारे सामने है । विधि मन्त्रीजी ने कहा था और मुख्य मन्त्रीजी भी जवाब देंगे । मैं सबसे पहले यह जवाब चाहता हूँ कि ८ जुलाई, १९६४ को यह ऑर्डिनेन्स जारी किये और ३० अप्रेल, १९६४ को यह विज्ञप्ति जारी कर दी कि न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, फिर ऑर्डिनेन्स जारी करने की क्या आवश्यकता थी ? सभानेत्रीजी, यदि स्टेट गवर्नमेंट पर कोई पांच सात लाख का देना आ जाय और उसकी समाप्ति के लिए इस प्रकार कोई कानून बनाना चाहते हैं तो यह कोई

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इमरजेन्सी की स्थिति नहीं है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और मेरी पार्टी के नेता ने कहा कि मजदूरों ने अपने ३।। हजार दावे लेबर कमिश्नर के पास उनको मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में पेश किये। लेबर कमिश्नर को राज्य सरकार के नौकर की हैसियत से दावे नहीं पेश किये गये किन्तु सिविल कोर्ट के जज और दिवानी अदालत के जज हैसियत से उसके समक्ष दावे पेश किये गये। स्टेट गवर्नमेंट को नोटिसेज गये। तारीख पर बुलाया और स्टेट गवर्नमेंट को मालूम हुआ कि ३।। हजार दावे बीकानेर जिले के मजदूरों ने राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधानों की खिलाफवर्जी की है इसलिए पेश किये लेकिन राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स निकाल दिया।

३० अप्रेल को कह चुके हैं अपनी विज्ञप्ति के द्वारा कि इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि मजदूरों ने ३० अप्रेल से मांगा है तो काट दीजिये लेकिन जो न्यूनतम वेतन कानून प्रावधानों में उनको वाजिब रूप से पैसा मिलना चाहिये वह तो चुका दीजिये। लेकिन इसके परिणामों से बचने के लिए राज्य सरकार ने ३ जुलाई को आर्डिनेन्स निकाल दिया। उसके उद्देश्य में भी यह लिखा है कि कुछ श्रमिक मांग कर रहे थे, लेबर लॉज में उनको राहत मिल सकती थी वह उन्हें दी जाय और आन्दोलन की धमकी दे रहे हैं उससे बचने के लिए आर्डिनेन्स निकाल दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभा नेत्रीजी, एक बनिया पांच दस लाख बचाने के लिए बेईमानी कर सकता है, दिवाला भी निकाल सकता है लेकिन सोसिलिस्टिक सरकार, जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है उसके प्रतिनिधि समाजवाद की भूवनेश्वर में शपथ लेते हैं, ३।। हजार मजदूरों के दावे हैं, उनमें किसी का सौ रुपया बकाया है, किसी का पचास रुपया बकाया है, उन मजदूरों की बकाया को बचाने के लिए, उनको नहीं चुकाई जाय इस कारण से कोई स्टेट गवर्नमेन्ट कोई इस प्रकार का आर्डिनेन्स ले आये जैसा कि यह समाजवादी सरकार लेकर आयी है, जिसमें कहा गया है कि १ जुलाई ६३ से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधान १ जुलाई १९६३ से लागू नहीं माने जावेंगे और उसको घोषित करती है ८ जुलाई १९६४ को, तो सभानेत्री महोदया यदि मैं इस तरह की सरकार को दिवालिया सरकार कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि एक दिवालिये के भी तौर तरीके होते हैं काम करने के। वह भी पेमेन्ट करता है। कोई दो आना पेमेन्ट करता है तो कोई चार आना पेमेन्ट करता है। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट साढ़े तीन हजार दावों को हजम करना चाहती है और केवल ७।। लाख रुपयों को हजम करने के लिए यह सरकार इस प्रकार के आॅर्डिनेन्स निकालती है। हमारे मुख्य मन्त्री अकाल सहायता मन्त्री भी हैं। पहले तो वे इसकी बहुत बहस करते रहे हैं। बीकानेर में १।। हजार मजदूरों ने इस बात की मांग की कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाय। इसके बाद मुख्य मन्त्री महोदय को एवं मुख्य सचिव को रिप्रेजेन्टेशन दिया गया, राजस्थान सरकार के दूसरे मन्त्रियों के पास चिट्ठियां भेजी गईं। सब मन्त्रियों ने सहानुभूति पूर्ण जबाब दिया,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मुख्य मन्त्री महोदय ने हमारी इस मांग को एडवोकेट जनरल की राय के लिये भेजा, उनकी राय आयी कि न्यूनतम वेतन कानून अकाल के मजदूरों पर लागू नहीं होता। यह उनकी तरफ से राय आयी। मुझे इस बारे में मुख्य मन्त्री से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्होंने एडवोकेट जनरल को हमारी बातें सुनने के लिये कहा। एडवोकेट जनरल ने हमारी बातें सुनीं और हमें इस बात की खुशी है कि एडवोकेट जनरल ने हमारी बातों को सुनकर हमारी दलीलों को सुनकर राज्य सरकार को यह राय दी कि पहले जो राय उन्होंने दी थी वह गलत थी, हमारी दलीलों को सुनकर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे। इस पर भी मिनिमम वेजेजे एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, राज्य सरकार की यह लाइबेलिटी है कि उनको न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन दे। जब उनकी राय इस प्रकार की आ गई कि अकाल में जो मजदूर काम करते हैं उन पर भी मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होता है तो स्टेट गवर्नमेंट इस लाइबेलिटी से बचने के लिये उपाय सोचने लगी, और उसी का नतीजा है यह आर्डिनेन्स राज्य सरकार ने जारी किया। हम राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय के रोजाना भाषण सुनते हैं उनका यह कहना है कि जनता को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। विरोधी दल के लोग जनता को रोज भड़काते हैं कि दुकानों को लूट लिया जाय इस प्रकार के भाषण विरोधी दल के लोगों को न देने चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपकी सरकार द्वारा जब से अकाल राहत कार्य शुरू हुए हैं ८ जुलाई १९६४ से पहले तक, जब आर्डिनेन्स लागू किया गया कानून को हाथ में नहीं लिया। मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट के नाते जहां एम्पलोयर की जिम्मेदारी मुकर्रर की गई साप्ताहिक पेमेन्ट चुकादे, क्या इस कानून को आपकी सरकार ने नहीं तोड़ा? आपने कानून को हाथ में लिया, क्या आप कह सकते हैं कि आपने सभी जगह मजदूरों को वीकली पेमेन्ट्स करवाये हैं? आप कानून की वैधानिक जिम्मेदारी से बचने के लिये आर्डिनेन्स ले आये।

श्री विश्नोई : आप यह कैसे कहते हैं कि कहीं भी साप्ताहिक पेमेन्ट नहीं हुए! हमारे जालौर, नागौर आदि के इलाके में बराबर वीकली पेमेन्ट हुए हैं।

श्री फूलचन्द्र जैन (सुजानगढ़) : सुजानगढ़, आदि एरिया में जहां भी फेमीन के कार्य हुए हैं वहां सब जगह वीकली पेमेन्ट हुए हैं।

श्री मानिकचन्द्र सुराणा : मुझे बड़ी खुशी है कि सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनके इलाके में जहां भी फेमीन के कार्य हुए, वहां बराबर साप्ताहिक पेमेन्ट होते रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कल ही सुजान गढ़ के लोग आये थे कह रहे थे हमारे यहां पेमेंट नहीं होता कल ही रो रहे थे।

श्री फूलचन्द जैन : आपके कहने से क्या होता है। वहां बराबर पेमेन्ट हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। वे जानते हैं कहां कहां पेमेन्ट नहीं होता था।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि वे एक भी जगह ऐसी बता दें जहां रेग्युलर और वीकली पेमेन्ट हुआ हो। जहां पर पेमेंट आफ वेजेज एक्ट का उल्लंघन न किया गया हो। मैं लिस्ट देना नहीं चाहता। मैं आप से ही पूछना चाहता हूं एक भी जगह आप ऐसी बताइये जहां साप्ताहिक पेमेन्ट बराबर हुआ हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाड़मेर, जालोर आदि सभी जिलों में हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे खुशी है कि आपके इलाकों में बराबर पेमेंट हुआ है। ऐसी स्थति में मैं अपना स्टेटमेंट विथड्रा करता हूं। लेकिन मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीकानेर जिले में, चुरू जिले में जहां–जहां भी मुझे जाने का मौका मिला है सैकड़ों कैम्प्स में मैं खुद गया हूं। मैं एक भी नाम नहीं बता सकता जहां वीकली पेमेन्ट रेगुलर किया गया हो। जिस तरह से वीकली पेमेंट करने का प्रावधान पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट में है उस तरह का पेमेंट, कही जहां भी मैं गया हूं, हुआ हो देखने को नहीं मिला। इन सारी जिम्मेदारियों से बचने के लिये पहले तो डिस्प्यूट करते रहे कि यह कानून लागू नहीं हो सकता। जब देखा यह कानून लागू होता है तो आर्डिनेन्स लेकर आगये। आप जो कानून को हाथ में न लेने की बात अन्य लोगों से कहते हैं वहां जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, विधान सभा में आपका बहुमत है, बहुमत के आधार पर आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, मनमाना कानून विधान सभा से बनवाना चाहते हैं तो यह क्या आपके हाथ में कानून लेना नहीं हुआ ? मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं विधान सभा में कांग्रेस पार्टी जो बहुमत में है अगर उसको इस बिल पर वोट देने की छूट हो, उस पर व्हिप लागू न हो तो निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया यह कानून पास नहीं हो सकता। आपकी पार्टी का व्हिप है, दूसरे मेथड्स हैं पार्टी में सदस्यों को कन्ट्रोल करने के उन तरीकों से आप ६० लाख रुपये की जिम्मेवारी से बचने के लिए आर्डिनेन्स ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां यह कहा जाता है कि इसको श्रम कल्याण के अन्तर्गत हम बना रहे हैं। किसी जज को यह अधिकार है कि वह फांसी मुलज़िम को दे सकता है इसका मतलब यह नहीं कि वह फांसी की ही सजा दे, विधान सभा को अधिकार कुछ भी हो, लेकिन जो समाजवादी समाज रचना के आधार पर रूल कर रहे हैं वे यह कहें कि अकाल राहत कार्यों पर श्रम कानून लागू नहीं होते। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में राजस्थान की विधान सभा पहली विधान सभा होगी जिसमें इस प्रकार का कानून बनाया जा रहा है। अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक यहां राज्य किया लेकिन इतने अरसे में भी वे इस प्रकार का कानून नहीं लाये, उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझी। अंग्रेजों को जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ी। राजस्थान की समाजवादी सरकार को इस बात की जरूरत पड़ गई कि वे इस प्रकार का आर्डिनेंस लायें जिसमें श्रम कानून लागू नहीं होते। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में काफी उपलब्धियां की होंगी, बहुत

(श्री माकिकचन्द सुराणा)

घोषणायें की होंगी। आपने सीलिंग एक्ट सर्व प्रथम लागू करने की घोषणा की थी, स्टेट ट्रेडिंग की आपने सर्वप्रथम घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस आर्डिनेंस द्वारा यह भी घोषणा कर रहे हैं कि समाजवाद की हत्या करने वाला कानून लाने में भी राजस्थान सर्व प्रथम है। समाजवादी सिद्धांतों का परित्याग करके कानून की धींगाधींगी को सर्वोपरि बनाना चाहते हैं। इसलिए बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस आर्डिनेंस को किसी भी तरह से कानून बनाना समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इससे जनतन्त्र के सिद्धांतों की हत्या होगी, इसलिये इसको रिजेक्ट करना चाहिये। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद : सभानेत्री महोदया,............

श्रीमती सभानेत्री : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। क्रम के अनुसार जब आपका नाम आये तब बोलें। श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

मुख्य मन्त्री जी पहले मोशन मूव कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फेमीन रिलीफ वर्क्स एम्प्लोईज़ (एग्जेम्प्शन फ्रोम लेबर लाज) बिल को विचारार्थ लिया जाय।

मैं इसके साथ ही कुछ शब्द भी कह देना उपयुक्त समझता हूं जिससे स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाय, विस्तार से कुछ कहने की बात होगी तो बाद में कहूंगा।

माननीय सभानेत्री महोदया, इस बात से सभी भली प्रकार से परिचित हैं किराजस्थान में हर वर्ष आमतौर पर कहीं न कहीं अकाल पड़ता ही रहता है। फेमीन कोड के नियमों के अनुसार अबतक हमेशा कार्यवाही होती रही है और उसी के अनुसार उन लोगों को वेजेज़ के बारे में काम होता रहा है।

इस वर्ष सवाल उठाया गया कि मिनी-मम वेजेज एक्ट और दूसरे कानून भी उन पर लागू होने चाहिए। उसके बाद इस बारे में कुछ लोगों का यह ख्याल था कि रिलीफ वर्क्स हैं इसलिए इन पर ये कानून लागू नहीं होते। बाद में जब यह मालूम हुआ कि किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो इस आर्डिनेंस के लाने की बात पैदा हुई।

अभी रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि हमने एक चाणोद में दस हजार रुपयों में लम्बी चौड़ी नहर तैयार करा ली। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की बातों को लेकर बहुत सी बातें सदन में कही जाती हैं। वे स्वयं भी जानते हैं कि केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिए चैनल के जरिये वहां के तालाब में पानी पहुंचा दिया गया है। वह कोई इर्रिगेशन की कैनाल नहीं है। वहां लोगों ने खुद ने ड्रिंकिंग वाटर के लिये बहुत कुछ काम काज किया और बाद में सरकार ने भी कुछ धनराशि देकर इस काम में मदद की। इस काम से गांव वालों को भी राहत मिली। तो इस तरह से सरकार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोई कम पैसा देना चाहती है उनको, ऐसी बात नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चाणोद की नहर के सम्बन्ध में राजस्थान पत्रिका का यह १८ तारीख का अंक है जिसमें आपका दिया हुआ स्टेटमेंट छपा है । उसे आप देख लें । मैंने तो उसमें से कहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा ऐसा स्टेटमेंट हो नहीं सकता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस मील लम्बी नहर आई है इसमें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह सही बात है । पीने के पानी के लिए आई है, सिंचाई के लिए नहीं आई । इस तरह से कुछ और जगह भी आई है । पर आई है सिर्फ पीने के पानी के लिए ।

अब जो सवाल खड़ा होता है वह यह है कि हमने फैमीन के काम काज में राजस्थान में जो भी कुछ किया है वह कितना है । जो भी फेमीन क्षेत्र के माननीय सदस्यगण आते हैं वे इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि हमने इस वर्ष कानून और कानून के अन्दर नहीं आने वाले भी राहत कार्य, जितने ज्यादा से ज्यादा सम्भव हो सके, वहां चलाने का प्रयत्न किया है ।

जब फेमीन के काम शुरू किये जाते हैं तो मिनिमम वेजेज के लिए आमतौर से जो कन्डीशन्स होती हैं उनमें और इन कामों में बहुत भेद ह ता है । कई जगह हम प्रोडेक्टिव काम हाथ में लेते हैं रोड का याइरिगेशन का । वहां के लिए हम स्टेण्डर्ड काम का तय करके जब काम लेते हैं उनसे तो ठीक बात है जो भी वेजेज़ होती हैं, देनी चाहिए । पर यहां पर राजस्थान में हम इस बात को लक्ष्य में रखकर चलें कि जैसे बीकानेर जिले में राजस्थान नहर जैसा बड़ा काम हो रहा है हमने वहां के लोगों से कहा कि आपके यहां जब राजस्थान नहर जितना बड़ा काम हो रहा है, जहां वेजेज भी काफी मिलते हैं तो वहां लोग जावें, हमने लोगों से भी जो वहां कार्यकर्त्ता हैं कहा कि आप वहां लोगों को जाने के लिए कहिए । वहां मिनिमम वेजेज ही नहीं, उससे ज्यादा जाकर वहां वे कमा सकते हैं । पर इसके लिए वे राजी नहीं हुए क्योंकि वहां स्टेण्डर्ड वर्क करना पड़ता था । लोग बागों ने वहां जाना पसन्द नहीं किया । वहां जाने के बजाय अपने घरों के पास ही पीने के पानी की नालियों के लिये, अपने घरों के पास सड़क की आवश्यकता हुई तो उसके लिए, वे कहते रहे, उनकी तरफ से इस तरह की मांगें आती रहीं तो शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण सामने रखते हुए, उनकी कठिनाइयों को और सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए यहां भी हम जितना काम उनको दे सके, देने का प्रबन्ध किया गया और यह सुविधा भी उनको पहुंचाई गई । खास तौर से बीकानेर जिले में निश्चित तौर से वहां ज्यादा तनख्वाह पाने के साधन बहुत दूर नहीं थे, ज्यादा तनख्वाह पाने के लिए एम्पलॉयमेन्ट वहां था, पर यह निश्चित बात थी कि उनके घरों के पास ही रिलीफ वर्क में उन लोगों को ज्यादा सुविधायें थीं । घर पास होने से काम करते करते भी कम समय के लिए घर चले जाते थे, वहां का भी काम कर के लौट आते थे । तो ये सुविधायें उनको हमने दीं ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं निवेदन करूं कि हमने जानकारी की कि जो पी. डब्लू. डी. के स्टेण्डर्ड के मुताबिक काम करवाया जाता है, प्लान वर्किंग में, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट और पी. डब्लू. डी. वालों की मार्फत प्लान वर्क के अगेन्स्ट में रिलीफ का काम हाथ में ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इस पर उन्होंने यह कहा कि रिलीफ के लेबर के जरिये जो आउटपुट होता है और जो उनको हम पेमेंट करते हैं, और वही काम हम कन्ट्राक्ट के जरिये या पी. डब्लू. डी. के डिपार्टमेन्टल स्टेण्डर्ड के मुताबिक लें और पेमेन्ट करें तो काम अधिक होगा और पेमेन्ट कम करना पड़ेगा। आज काम कम होता है और पेमेन्ट उनको ज्यादा देना पड़ता है। तो इस पर हमने इस फार्मूले को माना कि जो ऑफीसियली माना गया है कि जो इस तरह से लौस काम का और पैसे का होगा रिलीफ के काम में उस को रिलीफ डिपार्टमेंट उनको सबसीडाइज कर देगा ताकि रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर को कम कर सकें और एडजस्ट कर सकें प्लान को।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of clarification Sir, आपने कोई कमेटी अपॉइन्ट की थी जिसके आधार पर ये निर्णय लिए गए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप सुन लें। मैं वही कह रहा हूं।

इसके बाद जो काम–काज हुआ और उसकी जो जानकारी आंकड़ों के रूप में हमारे सामने आई उसमें पी. डब्लू. डी. ने बताया कि अगर डिपार्टमेन्टल वर्क किया जाता और डिपार्टमेंट के स्टेण्डर्ड के मुताबिक किया जाता तो कई जगह जहां पर कि रिलीफ वर्क में काम करने से ३ रु. २० नये पैसे के करीब १०० क्यूबिक फीट के ऊपर दिया गया, वहां शिड्यूल और स्टेण्डर्ड रेट के मुताबिक १) ६० नये पैसे ही देने पड़ते। अब इसमें थोड़ा फर्क भी हो सकता है। पर यह तो डबल का फर्क बताता है। डबल को छोड़ भी दें तो भी डेढे का अन्दाज लगाकर चलें तो आजकल सरकार को इतना देना पड़ता है और रायसिंह-नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि करोड़ों रुपया सरकार ने उनके हक का ले लिया, जब कि ऑर्डिनरिली खर्चे से ज्यादा खर्चा सरकार ने किया। मैं इस में वह खर्चा एड नहीं कर रहा हूं जो सरकार को पानी वहां तक ले जाने के लिये करना पड़ता है। क्योंकि इसमें जो भी काम करने के लिये आते हैं सारों के लिये हमें देना पड़ता है हालांकि उतना काम उनके लिये वहां हो या न हो। तो इसमें रूल्स में रिलेक्सेशन देकर भी उन को काम देते हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि लोग बागों को काम मिलना चाहिये। मैं इस बात को निश्चित तौर से कह सकता हूं, मैं घूमा हूं वहां, मेरे साथ साथ हमारे गवर्नमेन्ट के डिप्टी मिनिस्टर एक एक जिले में कई कई जगह लगातार दौरा करते रहे हैं, कि जो वहां काम करते रहे हैं हरेक की जबान से आवाज उठती थी कि राजस्थान के इतिहास में जैसा काम आज लोगों को दिया गया है, यहां हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है पर आज जैसा काम पहले कभी नहीं दिया गया। बीकानेर में जिनको लाया गया यह कहकर लाया गया कि तुम वहां पर आओ, तनख्वाह बढ़ेगी। उनसे पूछा गया क्यों आये तो कह रहे थे कि तनख्वाह बढ़ाने के लिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आये हैं। उनको गलत बताया गया। अगर उनको मालूम होता कि सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं तो वे यहां नहीं आते। रिप्रेजेन्टेशन के नाम पर खास तौर से यह कहा जावे कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाने वाली है तो एक दो चार दस बीस नहीं, लाखों आदमी आ सकते हैं। लेकिन उन इलाकों में जो काम काज में मदद दी गई है आज उनको काफी बड़ी मात्रा में राहत पहुंची है। और उनके बारे में दूसरे माननीय सदस्यों से भी जिनके क्षेत्रों में रिलीफ का वर्क हुआ है वे भी जानते हैं और २५ सौ लोग जानते हैं कि उनके क्षेत्रों के काम में और वहां के काम में कितना अन्तर है। जहां दूसरी जगह ८ घंटे काम के होते स्टेण्डर्ड वर्क होता, वहां हमने इस एरिया में इनमें रिलेक्सेशन किया है। उनको काम मिल सके और दुर्भिक्ष के समय में वे अपनी किसी तरह आजीविका चला सकें इस दृष्टिकोण को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखकर यह सब किया गया है।

कहने वालों ने यह भी कहा कि बहुत से खर्चों को बचाया जा सकता था। काम कम हुआ। पर मिनिमम वेजेज के हिसाब से भी पेमेन्ट करते हैं तो जैसा मैंने बताया डबल खर्चे का हिसाब बैठता है, डेढ़े का बैठता है तो जहां डेढ़ा और डबल खर्चा हुआ है तो हमें इस दृष्टिकोण को सामने रखकर चलना होगा।

कई काम काज ऐसे हुए हैं जिनको रिटर्न के पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखा जावे तो नहीं बैठेंगे पर फिर भी हमने किये हैं। जैसे पी० डब्लू० डी० की रोड बनती है तो यह समझकर बनती है कि इस पर इतना आवागमन होगा और इससे इतना रिटर्न मिलेगा। पर इन सब कामों को करने का परिणाम यह होता है कि हमारे असेट्स बढ़ते हैं। बहुत से इसमें काम ऐसे थे परमानेन्ट नेचर के, उनमें ढील देना अच्छा नहीं। इससे मानसिक कमजोरियां आती हैं। इसके बजाय कुछ मेहनत कराकर दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण की भावना को कायम रखने के लिये चारों तरफ काम किया जा रहा है। मैं समझता हूं जहां ५१–५२ में राजस्थान में ज्यादा व्यापक अकाल था राजस्थान भर में फैला हुआ था तब भी एक लाख से ऊपर मजदूरों की तादाद नहीं बढ़ी, जब कि इस वक्त उस वक्त से कम क्षेत्र में अकाल का असर होते हुए भी तीन लाख व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है और राहत का काम दिया गया है।

मैं समझता हूं कि इस बात को समझकर हम अन्दाजा लगायें तो इस बात से स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि जो कुछ काम किया गया है उसमें शोषण की वृत्ति नहीं बल्कि इस दृष्टिकोण से किया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए हम कामकाज दें। मैं आपसे चेयरमैन महोदया, निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह लोग सामने आते थे और कहते थे कि हमारे बच्चों को काम पर लगाइये। हम उनको कानून से काम पर नहीं लगा सकते थे। वह इसलिए कहते कि उनके घरों की थोड़ी सी आमदनी और बढ़ जाये और इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर इस लक्ष्य की ओर हम बढ़े। ऐसे भी फिर कुछ लोग थे जो कि ज्यादा काम नहीं कर सकते थे तो

Page No.78

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किसी को पानी पिलाने के लिए बिठा दिया, किसी को हाजिरी लगाने के लिए बैठा दिया और हर तरह से इस दृष्टिकोण से काम किया गया कि उन लोगों को मदद पहुंचाई जाये और किसी तरह से यह संकट का समय निकल जाये। इन बातों को खास तौर से ध्यान में रखकर चला गया।

अभी कहा गया कि अमेरिका का गेहू आया था उसका रुपया सारा का सारा सरकार हजम कर गयी। मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन गेहूं के साथ में हमारे क्या वेजेज़ होंगे उसको सामने रखते हुए रेशियो फिक्स किया था और क्योंकि इतने वेजेज़ हमें देने पड़ रहे हैं इसलिए उसमें ६० पर्सेन्ट देने की बात की गई थी। अगर वह नहीं देते तो भारत सरकार से हम सब्सिडी के लिए कह सकते थे। तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और यू० एस० ए० के बीच में एक एग्रीमेन्ट हुआ और उसके मुताबिक उन्होंने हमें रिलीफ दी।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको ३० हजार टन फ्री दिया और आपने उसका पैसा लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमको यह लाभ हुआ कि वहां पर आम तौर से जिनको मिनिमम वेजेज़ देते हैं उनके वेजेज़ के साथ आज के दिन जिस भाव के ऊपर हमने गेहूं सप्लाई किया उसके ऊपर सरकार न तो कमी करती है और न कर सकती है। लेकिन यहां पर....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ २ पैसे का फर्क है। दो पैसे के लिए इतना बड़ा अहसान नहीं जता सकते हैं आप।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें जो कुछ किया गया है इस बात को लक्ष्य में रखकर किया गया है कि राजस्थान सरकार के रिसोर्सेज़ को भी हमने अपनी अमाउन्ट्स को गोंग करके जो हमारी फाइनेन्शियल कन्डीशन्स थीं उनका एक तरफ असर पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में न लाते हुए जो लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता की जानी चाहिए इसको लक्ष्य में रखकर चला गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऑर्डिनेन्स को लाने के पीछे कोई हमारी यह मन्शा नहीं थी। जहां आप मिनिमम वेजेज़ की बात करते हैं वहां हमें सारे कानून लागू करने होते। सारे कानूनों को लागू करते और स्टेन्डर्ड वर्क लोड को फिक्स करते कि पी० डब्ल्यू० डी० का क्या वर्क लोड है उसको भी लागू करते और दूसरे कानूनों को भी लागू करते जिसमें बच्चों और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट नहीं मिलता—अगर इन सब चीजों को कहने जायेंगे तो जो लाखों मजदूरों ने काम किया है वही मजदूर कहेंगे कि हमारे साथ मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू न करके जो सहूलियतें और रियायतें दी जा रही हैं वह जारी रखी जायें। अगर हम चारों तरफ से जो रियायतें दी गईं उनको असेस करें तो यह मिनिमम वेजेज़ से भी कहीं ज्यादा जाकर पड़ता है। अगर हम मिनिमम वर्क में रियायत लेकर चलते हैं तो इसका दूसरी ओर भी असर पड़ता है। कुल मिलाकर उन लोगों को रिलीफ पहुंचाई गई है। इसलिए मैं इस विधान सभा के माननीय सदस्यों से यह निवे-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दन करना चाहूंगा कि उन्हें कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी को कम देने के लिहाज से और गवर्नमेन्ट ने इस केलेमिटी का लाभ उठाने के लिए और ज्यादा सस्ते में असेट्स बनाने के लिए यह कदम उठाया है । यह नहीं है । स्टेन्डर्ड को देखते हुए जिस प्रकार का ग्रुप वहां पर काम करने के लिए गया उसके लिए प्रेक्टिकली क्या काम हो सकता उसको निगाह में रखते हुए जब वर्क लोड और दूसरी चीजों को फिक्स करके चलना चाहते हैं तो फिर काला कानून कहने का या और कुछ कहने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हजारों, लाखों आदमियों ने जिनको काम दिया गया है आज उनसे जाकर पूछें उनके दिलों से पूछें वह कहेंगे कि सरकार ने इस मौके पर उनकी कितनी मदद की है । सब एक स्वर से कहेंगे कि सरकार ने इस मौके पर हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद की है । वह लोग इसको समझते हैं । हम केवल यहां बैठकर काला कानून कह दें और सब कह दें वह अलग बात है । जिनको राहत मिली है वह दिल से जानते हैं । इसलिए मैं चेयरमैन महोदया, निवेदन करना चाहूंगा कि जो यहां पर बिल उपस्थित किया गया है उसे माननीय सदस्य हमारी इन भावनाओं को समझते हुए मान्य करेंगे । हम इस काम के जरिये ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकें इस बात को सामने रखते हुए हमने यह किया है । जैसा माननीय सदस्यों ने शुरू में एतराज उठाया कि वह कान्करेन्ट लिस्ट में है और भारत सरकार और राष्ट्रपति जब तक इस कानून के बारे में, जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून हैं उनसे कान्ट्राडिक्ट करता है, स्वीकृति न देदे तब तक ऐसी चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते । हमने भारत सरकार के सामने जब इस दृष्टिकोण को रखा तो उन्होंने रियेलाइज़ किया । तभी यहां यह कानून आया है । कई माननीय सदस्य जानते हैं कि कई जगह जहां पानी नहीं मिलता था वहां पर ट्रकों से पानी ले जाना ऊंटों से ले जाना इतना करके मैंने जो वर्क आउट करके फिगर्स दिये कि १०० क्यूबिक फिट पर क्या वेजेज़ मिलने चाहिए इन सबका कम्पेरीज़न किया है और दूसरे इन्तजामों पर भी खर्चा हुआ वह और भी अलग चीज है । इसलिए इन सब बैकग्राउन्ड्स को देखकर पारित किया जाये, यही मुझे निवेदन करना है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने जो कहा था उसके बारे में भी तो स्पष्टीकरण कीजिए । आप कानूनन बात करते हैं आपने वायदा किया था कि हम इसको रेफर करायेंगे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बात ही बात हुई थी, खत्म हुई बात । फिर उसको बारबार रोने से क्या होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : दावे भी उन्होंने पेश किये और दावों के बाद ही आपने ऑर्डिनेन्स पेश किया है....

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

आप पहले यह प्रश्न रखें कि जो ऑर्डिनेन्स रखा गया है उसे मान्य किया जाये या अमान्य किया जाये ।....

श्रीमती सभानेत्री : श्री उमरावसिंह जी ! आप अपना अमेन्डमेन्ट पेश करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order Sir, This Ordinance should be put to vote.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभानेत्री जी, सूची संख्या १ में पहला प्रस्ताव मेरा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सभानेत्री जी, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस ऑर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने के लिए, अस्वीकृत करने के लिए स्टेच्युटरी प्रस्ताव पेश किये गये हैं उन पर बहस हो चुकी है इसलिए पहले स्टेच्युटरी प्रस्ताव पर वोटिंग लिया जाये। उसके बाद इसको विचारार्थ लिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि स्टेच्युटरी रिज्योल्यूशन को स्वीकार किया जाये? जो पक्ष में हों "हां" कहें हां की ध्वनि जो विपक्ष में हों "ना" कहें 'ना' की ध्वनि ना पक्ष जीता।

कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

श्रीमती सभानेत्री : मैं फिर से दोहराती हूं।

प्रश्न यह है कि स्टेच्युटरी रिज्योल्यूशन को स्वीकार किया जाये?

जो पक्ष में हों "हां" कहें हां की ध्वनि जो विपक्ष में हों "ना" कहें 'ना' की ध्वनि ना पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

श्रीमती सभानेत्री : ना पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : We claim division Sir.

(मत-विभाजन घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि ...

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन प्रस्तुत हुआ है उसको पारित किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें।

(विपक्ष की ओर से "हां")

जो इसके पक्ष में नहीं हों वे "ना" कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से "ना")

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एवं **श्री विजयसिंह झाला** : Ayes have it Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to Ayes Gellery and Noes to Noes Gallary.

(मत-विभाजन)

(श्री हरदत्तसिंह, श्री नत्थीसिंह : गोविन्दगढ़ : और श्री मोहरसिंह सदन में ही बैठे रहे)

(मत विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : Order please. The result is like this :

हां पक्ष २६

ना पक्ष ६३

संकल्प गिर गया।

"हां" पक्ष की सूची

श्री ए. जब्बार

श्री अभय सिंह

('हां पक्ष')

श्री चौसरसिंह बावेल
श्री दुर्गालाल बादढार
श्री फतेहसिंह
श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)
श्री गोपीलाल गोठवाल
वैद्य श्री गोविंदसहाय
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हरफूल
श्री हीराभाई
श्री जावन्दसिंह
श्री केदारनाथ
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री मानिक चन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
राजा श्री मानसिंह (डीग)
श्री मावा
श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नाना राठौड़
श्री शिवनारायण छाछिया
श्री मान्धातासिंह
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयसिंह झाला
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

"ना पक्ष"

श्री अलदाराम मीणा
श्री बालकृष्ण कौल
श्री मगराज चौधरी
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छुट्टनलाल
श्री दलपत सिंह
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्री गंगाराम चौधरी
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा)

('ना पक्ष')

श्री हनुमानसिंह चौधरी

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिकिशन

श्री हरिश्चन्द्र

श्री हरलाल

श्री जगनसिंह

श्री जयकृष्ण शर्मा

श्री जेठमल बरवड़

श्री जुगलाल

श्री जुझारसिंह

श्री ज्वालाप्रसाद

श्रीमती कमला बेनीवाल

श्री कानाभाई नुवाल

श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)

श्री किशनसिंह बाटड़

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री लालाराम

श्री मनफूलसिंह

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

श्री मोहनराज

श्री मोतीलाल चौधरी

श्री मुक्तिलाल मोदी

श्रीमती नगेन्द्रबाला

श्री नाथूराम (बागीडोरा)

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री निरंजननाथ आचार्य

श्रीमती निर्मलादेवी नाहर

श्री परसराम मदेरणा

श्री फूलचन्द जैन

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री प्रतापसिंह

राव श्री रघुवीरसिंह (वाड़ी)

श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रविशंकर याज्ञनिक

श्री रावत राम

श्री रूपाराम पंवार

श्री शंकरलाल जाट

श्री शीशराम ओला

श्री बिरधाराम फुलवारिया

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस के सामने राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १६६४ विचाराधीन है ।

[संशोधन इस प्रकार है:—"राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १६६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"]

अभी इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सैद्धान्तिक बातें इस हाउस के सामने रखीं जिनको सुनकर हम लोगों ने यह सोचा था कि जो कुछ भी वे कहने वाले हैं और जैसा उन्होंने कहा, जो लोग फेमीन एरिया के अंदर मजदूरी करने के लिये आये हुए थे उनको रिलीफ़ देने के लिये कोई बात कहेंगे। उन्होंने जितनी बातें इस विधेयक को पास करने के पक्ष में कहीं उन्हें मैं इस हाउस के सामने यहां रखना चाहता हूं। जैसा उन्होंने बीकानेर के मामले में उदाहरण देकर यह कहा कि बीकानेर में ऐसी भी जगह थी जहां वे गये और उन्होंने यह महसूस किया कि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वे सरकार की तारीफ करते हैं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के अंदर भी, भीलवाड़ा में काफी गांव जो हैं अकाल से पीड़ित हैं और कुछ जिलों के अंदर भी काफी जगह अकाल का काम चल रहा है। आज यह विधेयक जिस आधार पर इस हाउस के सामने रखा गया है उसके अंदर यह है कि अकाल क्षेत्र में जितने भी काम चलाये जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। क्योंकि समय कम है और संशोधन काफी हैं इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सीमित समय ५ मिनिट या ८ मिनिट लें।

श्री मानसिंह महार : बिल पर सीमित समय नहीं होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : एक ही तरह का दृष्टिकोण आ रहा है। वे भी हमारी बात सुन लें। वे अपनी ही अपनी गाते हैं।

श्री मानसिंह महार : हमने उधर वालों को इन्कार नहीं किया। यह तो उनकी निष्क्रियता है जो अपने विचार व्यक्त नहीं करते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अर्ज कर रहा था कि जो दृष्टिकोण उन्होंने बीकानेर के मामले में रखा कि वहां के श्रमिक लोगों ने सरकार की बहुत तारीफ की, मैं यह कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से, वे अभी हाउस में नहीं है, पूरे जोर से कि बहुत से लोगों को बीकानेर में इसलिये लाया गया कि उनके द्वारा वहां प्रदर्शन कराया जाय यह कह कर कि तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ जायेंगी, तुमको पैसा दिया जा रहा है इसलिये बीकानेर में आ जाओ। मैं बहुत अदब के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का सम्मान करता हुआ उनसे कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भीलवाड़ा जिले के अन्दर इस तरह के हथकन्डे खुद ने काम में नहीं लिये हैं? जिस समय चुनाव के समय में बदनोर के अन्दर मुख्य मन्त्री जी मीटिंग करने के लिए गये, जब वहां पर संसद् के लिए चुनाव हुआ था, तो उस इलाके में जितने लोग अकाल के कामों में काम कर रहे थे उनको बदनोर में इसलिए बुलाया गया कि उन्हें वहां पर पैसा दिया जायगा, तनख्वाह दी जायगी ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह असत्य है, निराधार है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप मुझे इन्टरप्ट नहीं करें। मैं एक २ बात साबित कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के पेपर्स लाकर बता सकता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : इर्रिलेवेन्ट है।

Page No.84

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय सदस्य इसे साबित करें । अगर साबित नहीं कर सकें तो आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं दे दूंगा ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मैं साबित करके बतला दूंगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : On a point of order Sir...

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरप्ट नहीं करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप मेरी बात सुनें । मुख्य मन्त्री जी सामने आ जायं तो मैं बता दूंगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप गलत बात क्यों कहते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गलत नहीं कहता हूं । आपने गलत बातें कहीं हैं वे हमने सुनीं हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं चैलेंज देता हूं, अगर आपकी बात सत्य होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : No Interruptions please. आप प्रारम्भ रखिये ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने किस किस तरह के काम किये हैं । राजस्थान सरकार ने, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा, उन लोगों को, जो अकाल से पीड़ित हैं, सहायता देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए काम चलाये हैं ताकि उनको काम मिले और पैसा भी मिले । यदि यह आदर्श उनके सामने है तो मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता का कोई आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता । मैं सदन को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि अकाल क्षेत्र घोषित करने में राजनैतिक पाइन्ट आॅफ व्यू इन्होंने काम में लिया है । और वहां जो काम करने वाले मजदूर हैं । उन्हें तनख्वाह देने में राजनैतिक दृष्टिकोण रखा गया है । मैं इस सब को साबित कर सकता हूं क्योंकि अकाल कमेटी का मैं भी मेम्बर हूं और मैं उसकी मीटिंग्स में गया हूं । जो महानुभाव यहां पर बैठ कर जोर से बोल रहे हैं, उन्होंने खुद ने भी यह कहा था कि इन लोगों को जो तनख्वाह का पैसा दिया जाता है वह बहुत कम दिया जाता है इसलिए ज्यादा पैसा देना चाहिए । इसके साथ ही इन लोगों को हफ्ते में पैसा नहीं चुकाया जा रहा है इसलिये हफ्तेवार चुकाया जाना चाहिए........

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात अब भी कहता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके साथ ही मैं बताऊं कि फेमिन कोड के अन्दर कुछ संशोधन करने की बात वहां पर कही थी........

श्री विजयसिंह झाला : अब कहते हैं तो बोलें ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मुख्य मन्त्री जी अपने आपको बहुत प्रोग्रेसिव

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

समझते हैं और बहुत ज्यादा सिद्धान्त की बात करते हैं और अपने आपको सेवा भावी समझ कर काम करने की बात करते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अगर वे ऐसे शानदार आदमी हैं तो मजदूरों, खास तौर से वे मजदूर जो पहले ही प्रकृति के प्रकोप से दुखी हैं, का और अधिक नुकसान करने का इस तरह का कानून इस सदन के अन्दर क्यों लाकर रखा है ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

क्या अपने आपको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं ? यह काला कानून है। यह सही है कि हम राज्य की जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन इसका जनता से सम्बन्ध है इसलिए मैंने यह कहा है कि इस परिस्थिति में इस कानून को जनता की राय जानने के लिए राजस्थान में प्रसारित किया जाय तब आपको मालूम हो जायगा कि जिन लोगों से आप वोट लेकर आये हैं उन लोगों की इस विधेयक के लिए क्या राय है। इसलिए इसको राय जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए। अंग्रेजों के समय में और राजा महाराजाओं के समय में इस तरह का कानून, जो कि किसी के पेट पर पट्टी बांधता हो, नहीं बनाया गया। तो यह सोशियलिस्टिक पैटर्न पर चलने वाली सरकार इस तरह के कानून को रख कर अपने आपको साबित कर रही है कि वह कितनी रिएक्शनरी है। किस तरह से लोगों

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

को वह सरकार दबा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : Orderplease.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। मैं पुरजोर शब्दों में माननीय सदस्यों को प्रार्थना करता हूं कि इसको मंजूर करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, उधर से जैसा कि ज्वाला प्रसाद जी ने कहा, उनके शब्दों के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : I will request the hon. Member...

श्री विजयसिंह झाला : उधर के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपना रोना प्रारम्भ कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the hon. Member not to refer to particular names as far as possible.

श्री विजयसिंह झाला : न तो असेम्बली में रोया जाता है और न गाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह परम्परा ठीक नहीं है, गलत है।

श्री विजयसिंह झाला : [संशोधन इस प्रकार है:—

"राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

तो, उपाध्यक्ष महोदय अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से इस सदन के

Page No.86

(श्री विजयसिंह झाला)

अन्दर अपना भाषण दिया उससे ऐसा मालूम होता था कि जैसे कर्ण ने अपनी उदारता दिखाई थी महाभारत काल में वैसी उदारता हमारे मुख्य मंत्री ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ करके दिखाई है बीसवीं शताब्दी में। मुझे समझ में नहीं आया कि महाभारत काल का कर्ण इस बीसवीं शताब्दी में कैसे उतर कर आ गया। उनका जो भाषण था, वह जो कार्य उन्होंने किये हैं उनके बिल्कुल विपरीत था। यह हो सकता है कि भीलवाड़ा के अन्दर चुनाव के दिनों में उन्होंने उदारवृत्ति दिखाई हो, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर साढ़े तीन रुपये प्रति व्यक्ति कुछ समय के लिए दिये गये और वह केवल चुनाव के दिनों में दिये गये....

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिल्कुल गलत है।

श्री विजयसिंह झाला : कर्ण जैसी वृत्ति भीलवाड़ा में दिखाई हो लेकिन जो अमेंडमेंट इस सदन में लाया जा रहा है इसके पीछे जो उद्देश्य है उससे तो उदारवृत्ति दिखाने के बजाय मजदूरों के अधिकारों पर आघात करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनके विपरीत यह कानून है जब कि ऐसा कानून बनाने का हमें अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है और कोई कानून इससे रोक नहीं सकता लेकिन इसके अन्तर्गत साढ़े तीन हजार मजदूरों ने जो दावा कर रखा है, अपने क्लेम्स का दावा दायर कर रखा है, उनको इसके द्वारा रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एक समाजवादी सरकार के लिए इससे अधिक शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस सरकार, समाजवादी सरकार ने समाजवाद का नारा लगा कर यहां तक कहा है कि जो प्राइवेट लोग मकान बनाते हैं, उनमें जो मजदूर काम करते हैं उन पर मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू किया जाय, लेकिन जो सरकार काम करती है उस पर वह कानून नहीं चलता है। आप केवल दूसरे लोगों को आदेश और उपदेश देना चाहते हैं। आज समाजवादी सरकार होने के बाद भी जो सरकार काम करती है उसमें समाजवादी विचार नहीं है। एक तरफ जिस काम में सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है, जहां सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करती है जो काम मकान मालिक कराते हैं उन पर यह कानून लगाना चाहते हैं लेकिन जो सरकार राहत कार्य करती है उन पर आप लेबर लॉज कायम नहीं करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधि मंत्री ने कहा था कि हम मजदूरों के कल्याण के लिए, मजदूरों के फायदे के लिए कानून ला रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि १९१८ का जो फेमिन कोड अजमेर मेरवाड़ा का बना हुआ था उस समय रेट मजदूरी की थी वही की वही आज दिन तक चली आ रही है। उस समय....

श्री परस राम मदेरणा (उप-मंत्री) : क्या रेट थी ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : बदल गई है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : वह इतना प्रोग्रेसिव कानून है कि आप आज नहीं बना सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अजमेर मेरवाड़ा के फेमिन कोड के पेज २९ पर है : मेल एण्ड फिमेल-डिगर्स–१८ छटांक। आज भी आप १८ छटांक दे रहे हैं। मेल एण्ड फिमेल–केरियर्स–१४ छटांक। एक छटांक आपने ज्यादा करके १५ छटांक कर दिया है। चाइल्ड–१० छटांक। आपने १२ छटांक किया है, उसमें २ छटांक ज्यादा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है कि समाजवादी सरकार ने यह दृष्टिकोण रखा है जब कि जैसा आपने पढ़ा होगा रुपये की कीमत आज १७ पैसे हो गई है। १९१८ के अन्दर जो फेमिन कोड अजमेर मेरवाड़ा का बना था उसके अनुसार जो रेट्स उस समय दी जाती थीं, अगर एक रुपया देते थे तो उसकी कीमत १७ पैसे होने के बाद भी क्या वजह है कि हम मजदूरों को वही रेट्स दें। इतना होने के बाद भी जब मजदूर आवाज उठाते हैं तो उसको रोकेंगे। समय का अभाव होने के कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि फेमिन कोड में मजदूरों की सुविधा का प्रावधान था, उनके कल्याण के लिए और भलाई के लिए फेमिन कोड है–लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए सुविधायें पूरी नहीं दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कि जो रिटर्न गवर्नमेंट को मिलता है मजदूरों के द्वारा किये गये वर्क से, वह पूरा नहीं मिलता है। और जो पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा अंदाज लगाया जाता है उससे कम मिलता है इसलिए मजदूरों को मजदूरी कम मिलनी चाहिए। अगर रिटर्न्स पूरे नहीं मिलते हैं तो इसमें मजदूरों का दोष नहीं है, इसमें तो पी.डब्ल्यू.डी. की रेट्स का दोष है। जो मजदूर काम करने आते हैं वे बैठे रहे हों और काम नहीं किया हो, ऑफिसर्स की आज्ञा नहीं मानी हो तो सवाल उठ सकता है कि जो रिर्टन्स पूरे मिलने चाहिए वे नहीं मिले इसलिए मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए लेकिन यदि आपने जो फेमिन कोड के अनुसार समय निर्धारित कर रखा है, उसके अनुसार काम किया है इसलिये लेबर लॉज उस पर लागू होते हैं और आप यह चाहते हैं कि उस पर लेबर लॉज लागू नहीं हों। ऐसी हालत में मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि यह काला कानून है, यह समाजवादी समाज के सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है अगर आपका यही समाजवाद है तो मैं यह कहूंगा कि ऐसा समाजवाद जहन्नुम में जाए, इससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकता। ऐसे समाजवाद को कुए में डाल दिया जावे तो अच्छा होगा। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जन-मत जानने के लिए भेज दिया जावे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक–विधियों से मुक्ति) विधेयक, १९६४ को तीन माह के अन्दर जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले के बारे में वैधानिक दृष्टि से व कानूनी दृष्टि से बहुत अच्छी तरह बहस हुई है। जब मैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर का इसके बारे में जवाब सुन रहा था तो मेरे दिमाग में यह चीज आई

(श्री केदारनाथ)

कि राजा और महाराजाओं के समय में जब अकाल पड़ते थे या फिलेनथ्रोफी की बात हमारे सामने आती थी तो हम उनका विरोध करते थे। मगर समाजवादी सरकार में सेन्टर ने पहले इसके सम्बन्ध में कानून बनाये और हमारे यहां स्टेटों में उन कानूनों को लागू किया गया। हमारी स्टेट में जब वे कानून लागू हुए और उन्हीं सरकार के मुख्य मंत्री के मुख से यह दलील सुनते हुए मुझे कुछ पसन्द नहीं आया। अगर हम पिछले इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि मजदूरों ने बड़ा संघर्ष इसके लिये किया और बड़े भारी संघर्ष और बड़े इतिहास के बाद यह कानून लागू हुआ और आज हम फेमिन कोड से यह चाहते हैं कि वह कानून लागू उन पर नहीं हो। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया और लागू करने के बाद यह नेशनल कानून में लिखा है कि हर एक जगह मिनिमम वेजेज एक्ट इन्डस्ट्री में लागू किया जावे जो पांच साल के बाद रिवाइज हो। इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई। लेबर एडवाइजरी बोर्ड में हमारे मिनिस्टर, इन्डस्ट्रीज के मिनिस्टर और मुख्य मंत्री हाजिर थे। उन्होंने इस मिनिमम वेजेज एक्ट को स्वीकृत करके, मान कर अपनी रिपोर्ट सबमिट गवर्नमेंट को कर दी। १९–२–६४ को लेबर एडवाइजरी बोर्ड ने सारी की सारी सिफारिशों को मान लिया। भारत वर्ष में इसके लिये Tripartite Conferesce होती है जिसमें मजदूर, एम्प्लॉइज आदि के नुमायन्दे शामिल होते हैं। १९५७ में नैनीताल में कान्फ्रेन्स हुई थी। उन्होंने लिविंग स्टेन्डर्ड कायम किया। इसकी रिपोर्ट पेश है उन्होंने यह किया कि हर फेमिली के लिये कम से कम कितना वेतन होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि एक फेमिली में तीन तीन कन्जम्प्शन युनिट्स मान लिये जावें तो एक फेमिली को अनाज, कपड़े आदि पर कितना खर्चा करना चाहिये। अगर उसको देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार १२५ रु० माहवार बनते हैं। अगर हम उसको मान कर चलें और आज के हालात को देखें तो मैं यह कहूंगा कि इस समय में उस समय के १२५ रुपये के बजाय १५० रुपये बनते हैं। फेअर वेजेज की बात छोड़िये लिविंग वेजेज की बात करता हूं। राजस्थान सरकार ने जो यहां पर किया है वह ४५ रुपया बनता है उसको भी आप नहीं देना चाहते। रिवाइज किया है उसके मुताबिक ६० रुपये बनते हैं। इसको आप लागू करने जा रहे हैं, तो मेरा यह कहना है कि अगर आप लेबर लॉज़ को लागू नहीं करते हैं तो मैं यह कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हमारी सरकार ऐसी होती जा रही है तो राजा और महाराजाओं के बारे में तो हमको कुछ कहना ही नहीं चाहिये। राजा महाराजाओं के समय में इस प्रकार की बात कही जा सकती है, आज आप लोगों को ज्यादा देने की बात कहते हैं लेकिन आप खुद को यह मिनिमम वेजेज की बात पसन्द नहीं। आप खुद उसको नहीं मानते। आप यह कहते हैं कि यह फेमिन का रोज मर्रा का काम है। यह ठीक है कि अकाल तीन साल के बाद में आया। हम मानते हैं कि आये तो जो लेबर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जो ऑर्गेनाईज होकर आपसे लड़ सके वहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो जाते हैं।

Page No.89

(श्री केदारनाथ)

इसलिए यह सारी बात इस बात को साबित करती है कि जिस तरह से यह सारा काम हुआ और यह विज्ञप्ति की गई वह ठीक नहीं। यह ऑर्डिनेन्स कब आया और इसके पहले विज्ञप्ति ३०–४–६४ को निकाली गई और ऑर्डिनेन्स नें आपने कारण दिया है कि कोई पोलिटिकल पार्टी मजदूरों में असंतोष लाकर अवसर का फायदा उठाना चाहती है इसलिये हम इसको लागू करते हैं। मैं समझता हूं कि यह ऑर्डिनेन्स लागू करने की तारीफ में नहीं आता और सरकार के हाथों को मजबूत नहीं करता।

इसके बाद आप यह बिल लागू करने जा रहे हैं जो ऐसा बिल है जिसके जरिये आज तक लेबर लॉज़ बने हुए हैं उन सबको रद्द करना चाहते हैं। इस बिल से मैं नहीं समझता कि आप डेमोक्रेसी के प्रति किसी प्रकार की वफादारी साबित करते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रस्ताव का काफी विरोध हो चुका है और इस बिल को जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, एक प्रकार के काले कानून की संज्ञा दी जावे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस मांग से, जिस भावना को लेकर सरकार इस बिल को पास करना चाहती है, मैं समझता हूं कि आज के युग में वह मजदूरों के अधिकारों के साथ एक कुठाराघात होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी चीफ मिनिस्टर उत्तर दे रहे थे और उन्होंने उसमें बहाना लिया कि खास मजबूरियों के कारण और मंहगाई को ध्यान में रखते हुए किसी मजदूर को काम करते हुए और नहीं करते हुए भी मजदूरी दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मुख्य मंत्री का यह कथन किसी भी प्रकार से आज के उद्योगपतियों से कम नहीं है। अगर इसी बहाने को लेकर उद्योगपति चलें कि मैंने जो रुपया उद्योग में लगाया है उसका ब्याज भी मुझे नहीं मिल सकता है और इस कारण से मैं मजदूरों को लेबर एक्ट के अनुसार पैसा नहीं दे सकता अतः मुझ पर लेबर लॉज़ लागू नहीं किये जावें। क्या इसी प्रकार का बहाना एक इन्डस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति नहीं ले सकते जब कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर लेते हैं। आज के युग में चीफ मिनिस्टर इस प्रकार का भाषण दें, यदि आज के युग में यह दलील रखी जावे तो मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है। आज के युग में हर एक मजदूर और हिन्दुस्तान के नागरिक को १५० रु० मिलने चाहिये इसकी मांग है। उनका अधिकार है कि सरकार उनको काम दे। यदि सरकार उनको काम दे देगी तो बेकारी मिट जावेगी। आज सरकार उनको काम नहीं दे सकती है इसलिए हजारों और लाखों व्यक्ति भिखारी बने हुए फिरते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने उस व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं दिये हैं। जहां पर सरकार को लोगों को अपने अधिकार देने चाहिये थे, उनको काम देना चाहिये था उसको न देकर इस प्रकार का काला कानून पास करके हमेशा के लिये मजदूरों को अपने हकों से वंचित करना चाहती है और ऐसा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करके सबसे अच्छा खिलवाड़ उनके साथ किया है और जो होशियारी बर्ती है उस पर हमें विचार करना होगा। अच्छा तो यह होता कि श्रम मंत्रीजी इस बिल को पेश करते मगर सरकार ने श्रम मंत्रीजी के द्वारा पेश नहीं करके चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर इन्चार्ज बन कर इसको पेश किया। इसके लिए अगर सरकार यह कहे कि श्रम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, मगर बिल को चाहे श्रम मंत्री पेश करें चाहे मुख्य मंत्रीजी पेश करें यह बिल आपके द्वारा पेश हुआ है। मजदूरों के लिए जो यह कानून आप बनावें तो उनके खिलाफ होगा, खिलवाड़ करने के लिए इस प्रकार का बिल आप पेश करते हैं, इससे बुरा बिल राजस्थान में नहीं आ सकता। यही बिल है जो मांग करता है कि सरकार अपना इस्तीफा दे, जो सरकार न्यूनतम वेतन नहीं दे सकती है, उनको नागरिक हकों से महरूम रखना चाहती है, उनके हकों को कुचलना चाहती है, उस सरकार को कोई हक नहीं है कि वह गद्दी पर बैठे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जावे। सरकार को चाहिये कि इसको लेकर अपना इस्तीफा दे दे और बाद में चुनाव करके देख ले, उनको मालूम हो जावेगा कि जनमत क्या है। वास्तव में आज सरकार इस प्रकार का काला कानून पास करना चाहती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, दी राजस्थान फेमीन रिलीफ वर्क्स एम्प्लोईज़ (एग्ज़ेम्प्शन फ्रोम लेबर लॉज़) बिल, १६६४ के तहत राजस्थान सरकार इस असम्बेली के जरिये यह पॉवर्स लेना चाहती है कि वह चाहे जिन लेबर लॉज़ को जो कि यहां प्रचलित हैं उनको सैट असाइड कर के, ध्यान में नहीं रख कर, इस शिड्यूल में दिये कानूनों को ताक में रख दें। इसके तहत राजस्थान सरकार वह पॉवर्स लेना चाहती है कि जो नोर्मल लेबर लॉज़ हैं वे फेमीन के पेमेन्ट में लागू नहीं किये जायं। जहां तक इन लेबर लॉज़ का सम्बन्ध है, यह बात भलीभांति सबको मालूम है कि हमारे भारत में जो लेबर लॉज़ बने हैं वे इस दृष्टि से बने हैं कि कम से कम कितनी राहत मजदूरों को दी जा सकती है। इनमें मजदूरों के हक हैं, वह इस दृष्टि से नहीं बने हैं कि मजदूर लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकें, इसको ध्यान में रखा जाय; बल्कि इनके बनाने का ध्येय यहीं तक सीमित रहा है कि मजदूरों को कम से कम कितनी राहत दी जा सकती है। इनकी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर हो सके इस भावना को इन लॉज़ के बनाने में दृष्टि में नहीं रखा गया है। वैसी सूरत में जब कि लेबरर्स अपना काम कर रहे हैं, चाहे अकाल के समय में करें चाहे अकाल न हो उस समय करें, उस हालत में कम से कम जो उसके लिये राहत मुकर्रर की हुई है, उसको किसी भी सरकार को छीनना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। और मैं महसूस करता हूँ कि अकाल के समय में भी यही राहत मिनिमम वेजेज़ एक्ट के तहत ही इन्हें मिलनी चाहिए। पर सरकार इस बिल के जरिये मजदूरों का यह

(श्री गंगासिंह राठौड़)

हक लेना चाहती है यह बहुत अनुपयुक्त और अनुचित है ।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लेबर के सम्बन्ध में शिड्यूल में दिया है, सरकार इन सारे लेबर लॉज़ को रहने दे तो भी आपके फाइनेन्सेज़ पर विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है । जो भी कार्य आप लेबर से करवाना चाहते हैं, उस रेट से भी वह कार्य बड़ी अच्छी तरह से चल सकता है, यदि आपकी मशीनरी ओनेस्टली कार्य करती रहे । इस अकाल के समय में यह महसूस हुआ कि जहां अकाल के कार्य चालू किये गये वहां आपके कर्मचारियों ने दो-दो मस्टर रोल रखे हैं, एक मस्टर रोल असली और दूसरा मस्टर रोल फर्जी और इस तरह से लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सारे लेबर लॉज़ इन मजदूरों पर लागू रहें तो भी आपके फाइनेन्सेज़ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यदि आपकी मशीनरी ठीक तरह से, ईमानदारी से काम करे । लेबरर्स को इन अधिकारों से वंचित करने की आवश्यकता नहीं, आपको अपनी मशीनरी को ठीक करने की आवश्यकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह की गड़बड़ियें इस अकाल में किये गये कार्य में देखी गई हैं कि गैंग्स दस-दस जगह काम करते थे तो एक ही आदमी की, उसी नाम के एक आदमी की, अलग अलग जगह उस दिन में दसों ही कैम्प्स में हाजरी हुई है । इस तरह से जो धन-राशि का घोटाला हुआ है, उसको आप अपनी मशीनरी को ठीक करके हजारों रुपया बचा सकते थे, वह आप नहीं बचा सके और न वह रुपया लेबरर्स को ही दिया गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम चौहान

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह जो बिल हमारे सामने पेश हुआ है वह किन हालतों के अन्दर पेश हुआ है । एक तरफ सारे देश के इस तरह के हालात हैं, बढ़ी हुई मंहगाई से जनता कराह रही है, राजस्थान के अन्दर आज इस तरह के हालात हैं कि कहीं कहीं सवा सेर का आटा मिलता है, कहीं अनाज मिलता ही नहीं है, काफी दूर दूर से लोग अनाज लाते हैं । कपड़े के भाव बड़े तेज हैं, तेल के भाव बड़े तेज हैं और जितनी जरूरत की चीजें हैं, उन तमाम चीजों के भाव बढ़े-चढ़े हैं और राजस्थान के अन्दर कुछ जिलों के अन्दर तो सरकार ने अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां की सरकार के पास रिपोर्ट नहीं आई या गलत रिपोर्ट आई पर हकीकत यह है कि सारे राजस्थान में बड़ी परेशानी है, राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र अकाल ग्रस्त है और लोग पूरे परेशान हैं । वहां कुछ जगह राहत का कार्य हो रहा था, इतनी मंहगाई में जब सरकार यह दावा करती है कि हम अकाल क्षेत्र में

(श्री हरिराम चौहान)

लोगों को काम देते हैं, लोगों को भूखों नहीं मरने देते तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब हिसाब लगा कर क्यों नहीं देखते कि इस मंहगाई के समय में जब कि बहुत ज्यादा मंहगाई बढ़ी हुई है, एक मजदूर को अपना पेट भरने के लिए कितना आवश्यक है। जो राजस्थान सरकार सालाना बजट बनाती है, अपने अलग अलग विभागों का बजट बनाती है, तो वह अकाल क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के बजट का ख्याल क्यों नहीं रखती कि ५ आदमियों के एक मजदूर परिवार का बजट कितना है, कितने में ठीक खाना मिल सकता है, जिससे कि वे जिन्दा रह सकें। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि यह ऐशो आराम करें, कारों के अन्दर, गाड़ियों के अन्दर घूमा करें। जरूरत इस बात की जरूर है कि आज के इस भयंकर मंहगाई के जमाने में सरकार से उम्मीद करें कि यह सरकार ५ आदमियों के परिवार का एक बजट बनाये और ऐसा कौन सा बजट है जिसके अन्दर एक रुपया फी आदमी को मिले, १४ आना मिले, आपने तो पहले १० आना ही रखा था, पर लोगों ने संगठन करके आवाज उठाई १२ आना, १४ आना कर दिया। ये कानून भी इन्हीं के बनाये हुए हैं, पुराने नहीं हैं, इनमें यह रखा है कि एक आदमी को कम से कम ४५ रुपया महीना मिलना चाहिये। यह कानून भी इनके द्वारा ५७ में बनाया गया था, उस समय से तो मंहगाई आज कितनी बढ़ गई। मजदूरों के लिए ये चार कानून हैं, मजदूरों ने हड़तालें करके, जलूस निकाल कर, जनसंगठन बनाकर, सरकार से लड़ कर अधिकार प्राप्त किये थे, वे अधिकार भी काफी दिनों से प्राप्त किये हुए हैं, जिनको सरकार ने काफी दिनों बाद लागू किये हैं। उन अधिकारों को समाप्त करने के बारे में हमारे सामने यह बिल आया है। ये चार कानून जिनके द्वारा मजदूरों ने संघर्ष करके अधिकार प्राप्त किये, यह एक ही कानून उन चारों कानूनों की जान निकाल देता है। यह कानून क्या है ? किसी ने कहा कि यह काला कानून है, किसी ने कहा गैर-कानूनी तरीकों से लाया गया है, लेकिन मैं कहूं कि इसे काला कानून न कह मजदूरों की जेब पर डाका डालने वाला कानून कहना चाहिये। यह हकीकत है कि यह कानून मजदूरों की जेब पर डाका डालता है। मजदूरों ने महनत की है, संघर्ष से प्राप्त की है, सैकड़ों सालों का इतिहास है मजदूरों के आन्दोलन का, चाहे वह अमेरिका का मजदूर हो, चाहे ब्रिटेन का मजदूर हो, चाहे फ्रांस का मजदूर हो, चाहे हिन्दुस्तान का मजदूर हो, जिसने अपने काम के घंटे मुकर्रर करवाये हैं, तनख्वाहें मुकर्रर करवाई हैं, जिसने, किसी की अंगुली कटे तो कितना पैसा मिलेगा, यह तय करवाया है। इस सरकार की हिम्मत नहीं कि इन तमाम अधिकारों पर इस प्रकार का कानून बना कर पानी फेर दे।

मुझे अफसोस है कि जिस वक्त में मुख्य मंत्री राजस्थान के मोहनलालजी सुखाड़िया जो तकरीर कर रहे थे तो मुझे यह ताज्जुब हो रहा था कि यह किसी फैक्ट्री का मैनेजर बोल रहा है या राजस्थान का मुख्य मंत्री बोल रहा है।

(विपक्ष की ओर से, हियर, हियर)

मैं यह सोच रहा था और मुझे यह समझने में बड़ी कठिनाई पैदा हो रही थी कि इनको राजस्थान का मुख्य मंत्री मानें या बिड़ला की

(श्री हरिराम चौहान)

फैक्ट्री का मैनेजर मानें। जिस तरह की घटिया किस्म की तकरीर जो हमें मुख्य मंत्री, राजस्थान की सुनने को मिली और एक बिड़लाजी की फैक्ट्री का मैनेजर जो काम करता है उसके अन्दर कोई फर्क नहीं था। वह रहम करते हैं, वह दया की बात करते हैं। उन लोगों के ऊपर वह गौरव करते हैं कि राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा तो लोगों ने हम से भीख मांगी। हमने तीन लाख लोगों को काम दिया। बिड़लाजी की फैक्ट्री का मैनेजर भी यही मानता है कि बिड़लाजी हिन्दुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति हैं और बिड़लाजी ने हिन्दुस्तान के मजदूरों को काम देने के लिए कारखाने खोलें हैं। बिड़लाजी ने कितने लोगों को अपनी फैक्ट्रीज़ में काम दिया है। यूनियन वाले क्या बात करते हैं। यूनियन वाले चाहते हैं कि उनको उखाड़कर फैंक दिया जाय, तो इस तरह के जितने काम हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा बुनियादी सवाल है। बड़े संघर्ष का सवाल है। यह श्रम नीति का सवाल है। इस पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप इसके लिए इजाजत देंगे। क्योंकि ३ लाख लोगों को काम देने की बात खुद करते हैं तो तीन लाख की जिन्दगी से इस कानून का सम्बन्ध है। उससे जिसका सम्बन्ध है उस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। उधर बैठने वाले (सरकारी पक्ष) जितने लोग हैं चाहे वे दिखाने के लिए, वफादारी के लिए चाहे कुछ बात करते हों लेकिन मजदूरों के प्रति उनके दिल में भी दर्द है। उनके दिल के अन्दर दर्द है; उनके दिल के अन्दर जगह है। उनको भी वहां पर जाना पड़ता है। उनको भी इस कानून पर बोलने की इजाजत दी जाय।

मैं आपके सामने यह अर्ज कर रहा था कि जिस तरह का कानून हमारे सामने आया है उस कानून से क्या स्थिति मजदूरों की होने वाली है....

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री हरिराम चौहान : मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूँ।

(शोरगुल-व्यवधान)

चार हजार के करीब आदमी जाकर न्यायालय में न्याय की मांग करते हैं। आज हमारी सरकार यह कहती है कि हम न्याय सस्ता करना चाहते हैं। जो सरकार समाजवादी समाज का नारा देती है, वही आज यह कहती है कि हम मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। जब उनके बकाया पैसों की मांग करते हैं, जब उसकी चार हजार आदमी मांग करते हैं तो निहायत बेशर्मी के साथ यह सरकार यह कहती है कि हम मालिकों की रक्षा करेंगे। श्रम मंत्रालय के श्रम मंत्रीजी की मैं समझता हूं कि कुछ चली नहीं। इस तरह का श्रम मंत्री उनको नहीं होना चाहिये। यह श्रम मंत्री की जिम्मेवारी है। श्रम मंत्रालय उनके हाथ में दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अब काफी समय ले लिया है।

(श्री हीराभाई)
आवश्यक वस्तुओं के भाव और खाद्य पदार्थों के भावों पर ठीक ढंग से कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा देश बरबाद हो जायगा।

आपने ५३ रु० और ६४ रु० अधिकतम भाव निर्धारित किए हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम आप ५० रु० करदें या ४५ रु० करदें ताकि जो छोटा आदमी है उसे पेट भर रोजी मिल सके। इसके लिए आप एक रुपया या दो रुपया सैंकड़ा मुनाफा रखें। यदि आप जमाखोरी को खत्म करके यह काम चलाओगे तो ठीक है वर्ना बहुमत के आधार पर यह काम चलता रहेगा और भ्रष्टाचारियों को इस तरह से सहारा आप देते रहेंगे तो में समझता हूँ कि कोई जगह आपके लिए नहीं है, या तो फिर आप खेती करना अभी से हीं शुरू कर दें। इस भारत को आजाद करने में हमारे पूर्वजों ने काफी कुर्बानी की है और आप अपने मतलब के लिए देश को डुबोने जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। या तो सरकार २-४ महिने में सुधर जाय और अपनी नीति ढंग पर लाये और यदि ४-६ महीने में वह न सुधरी तो हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आपके कहने से हम देश को डुबोने नहीं देगे और भ्रष्टाचारियों, रिश्वतखोरों, जमाखोरों और दलालों की सरकार को हम हटाकर ही छोड़ेंगे। यह नीति हमारी स्पष्ट निर्धारित है। इस पर मन्त्री महोदय ध्यान देकर विचार करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): सभापति महोदया, आज तो खाद्यान के सम्बन्ध में जिस प्रकार से बहस प्रारम्भ हुई उससे तो इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में अपोजिशन कोई विचार हमारे सामने नहीं आए यह तो सिर्फ इस प्रकार की भावना बहस पैदा की गई है कि किस प्रकार से सरकार को गालियां दी जायं। अभी-अभी जो दो महानुभावों ने जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए और जिस प्रकार से खाद्य समस्या के बारे में उन्होंने जो बातें कहीं उनसे कहीं भी यह प्रतीत होता है कि खाद्यान्न की समस्या किस प्रकार से हल की जाय और किस प्रकार से ऐसे अच्छे विचार सरकार के समक्ष रखे जायं जिनसे हमारे देश की खाद्यान्न की समस्या हल हो और जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं उनको किस प्रकार से हल करें और उनमें किस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो। खाद्यान्न की समस्या केवल राजस्थान की समस्या नहीं है बल्कि सारे देश की समस्या है और इसका समाधान सारे देश पर निर्भर करता है। आज देश में हर जगह जहां पर देखो, राजस्थान के भाव दूसरे प्रांतों के भावों से काफी कम हैं और राजस्थान में किसी प्रकार से खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। जहां तक प्रश्न है कि खाद्यान्न समस्या किस प्रकार से हल की जाय वह सारे देश पर निर्भर है। आज खाद्यान्न की समस्या सिर्फ राजस्थान प्रांत ही हल करना चाहे तो राजस्थान प्रांत इस बात पर निर्भर करता है कि देश में किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की स्थिति है? आज देश में सब जगह, पन्जाब को छोड़कर सब स्थानों पर राजस्थान से ज्यादा ऊंचे भाव हैं। और ऊंचे भावों का असर हमारे प्रान्त पर भी पड़ता है।

जहां तक राजस्थान की उपलब्धियों का ताल्लुक है, जहां तक हमारी पैदावार

Page No.95

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पिछले साल हुई है, जो नोट हम को दिया गया है उसमें बताया गया है कि हमारे यहां ८ लाख टन के करीब की कमी है। उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने समय समय पर भारत सरकार से विदेशी गेहूं जो आ रहा है उसको मंगा कर पूर्ति करने की कोशिश की है। भारत सरकार ने पूर्ति करने में जैसी मदद की है वह भी हमारे सामने है। मांग जितनी थी उसकी आधी पूर्ति की है। इसलिये यह हमारे सामने जटिल समस्या होती जा रही है। जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए हमें सुझाव देने होंगे और सुझाव नहीं देंगे तो केवल टीका टिप्पणी करने से और बुराई करने से कोई समाधान नहीं हो सकता।

जहां तक जमाखोरों का ताल्लुक है, जो खाद्य समस्या को हल न करके दिन ब दिन उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शील्ड करना अच्छे लोगों का काम नहीं है। आज जगह जगह लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो वे ही लोग बैठे हैं जो जमाखोर खुद हैं या जो खाद्यान्नों का व्यापार करते हैं या जिनको शील्ड करते हैं। अन्य लोग ऐसे लोगों के ऊपर वरदहस्त रखकर जो जमाखोर हैं उनको शील्ड करने के लिए सरकार को बदनाम करके जमाखोरों की वृत्ति को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहें हैं, सरकार को केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जनता को भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदया, यह किसी राजनैतिक पार्टी की समस्या नही है। यह तो एक देश-व्यापी समस्या है और सब मिल कर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे तब जाकर समस्या का निराकरण होगा। नहीं तो जगह जगह हड़तालें करके, भूख हड़तालें करके सरकार को दबा कर अपनी बात करना चाहते हैं। राजस्थान की असेम्बली में बातें हुई हैं, खाद्यान्न का लाइसेन्सिंग आॅर्डर है, जो व्यापारी हैं, जो अनाज का व्यापार करते हैं उस सम्बन्ध में किसी २ पार्टी के लोगों ने क्या २ बातें कही हैं यह छिपी हुई बात नहीं है। सारा राजस्थान जानता है और असेम्बली के सदस्य जानते हैं कि जो जमाखोर लोग हैं उनको शील्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह बात छेड़ी है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हम लोगों को मिल कर काम करना चाहिये।

जमाखोर लोग जमा करके देश के गरीब लोगों को मारना चाहते हैं। वे लोग समृद्धिशाली हो रहे हैं जिनके पास जमाखोरी का माल भरा हुआ है। जमाखोरी करके समृद्धिशाली हो रहे हैं। जो, चना वगैरह छिपा कर जमा रखा है और गरीब लोगों की बड़ी मुश्किल हो रही है। उन लोगों ने हड़ताल नहीं की और वे सरकार की ओर आंख लगाये बैठे हैं कि सरकार इन जमाखोरों को हटायेगी और जो समस्या पैदा होगई है उसको दूर करेगी। ऐसे लोग हड़तालें कर रहे हैं जो जमाखोरी ज्यादा से ज्यादा करते है या करना चाहते हैं। देश की गरीब जनता जहां ठीक प्रकार से पेट-पालन करना चाहती है, व्यवस्था में रहना चाहती है, यदि उस जनता को ठीक प्रकार से जिन्दा रखना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से उनको अनाज खाने के लिए देना चाहते हैं तो ऐसे जमाखोर लोगों के खिलाफ काफी कठोर

(श्रीगिरधारीलाल व्यास)

होकर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी।

आपने देखा होगा कि ६१-६२, ६२-६३ में जो पैदावार हुई है उसके मुकाबले में ६३-६४ में कम पैदा हुई है जिसके कारण ये कीमतें बढ़ी हैं। दूसरा कारण यह है कि राजस्थान के जो पड़ोसी प्रान्त हैं, हिन्दुस्तान के जो राजस्थान के निकट के प्रान्त हैं उनमें गेहूँ आदि दूसरी चीजों की कीमतें काफी ऊंची हैं इसलिए उनका असर राजस्थान के भावों पर भी पड़ा है। बाहर के प्रान्तों में अधिक कीमतें होने के कारण एक दूसरे से आपस में व्यापारी समझौता कर लेते हैं और उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों ने भी इस समस्या को विकट रूप दिया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गरीब लोगों को अनाज कम मात्रा में मिल रहा है उनकी समस्या समय रहते हल नहीं हुई तो आपको निकट भविष्य में ही एक खतरा मोल उठाना पड़ेगा इसलिए पहले से ही सचेत होकर काम करना चाहिये और जमाखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

सरकार के द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उनके द्वारा समस्या हल हो सकती है। सरकारी दुकानें भी ऐसे जमाखोर लोगों के हाथ में आगई हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे महाजनों के हाथों में ये दूकानें आगई हैं जो अपना गेहूँ मिलाकर दूसरा आयात किया हुआ गेहूँ मिला कर महंगे भावों में बेच रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): ऐसा कहां हो रहा है? उस जगह का नाम बता दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह करीब करीब सब जगह हो रहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: कौन लोग ऐसा करते हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे?

श्री गिरधारीलाल व्यास: जहां तक मेरी जानकारी थी ऐसी समस्या सब स्थानों पर हो रही है और उसको हल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। अगर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो समस्या विकट होती जावेगी।

जहां आवश्यक है वहां सप्लाई ज्यादा होनी चाहिये और जहां आवश्यकता कम है वहां कम होनी चाहिये। इसके आंकड़े सरकार के पास होने चाहिये। आज तो खल और गुड़ एक भाव बिक रहे हैं। जहां आवश्यक है वहां भी सरकारी दूकानें और जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी सरकारी दूकानें हैं। इस कारण से ब्लेक मार्केटियर्स ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इस लिए इस बात की जांच होनी चाहिये कि किन लोगों को सस्ते गेहूं की आवश्यकता है? किनको नहीं है? जब तक आपको इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

राजस्थान में आधा फेमीन एरिया है और उन स्थानों पर पैदावार नहीं के बराबर हुई है। वहां पर सस्ते अनाज की दूकानें, राशन की दूकानें अधिक होनी चाहिये। फेमीन भीलवाड़ा जिले में दो तहसीलों में

Page No.97

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एरिया है और तहसीलों में नहीं है। तो जहां नहीं है फेमीन वहां भी बराबर उतना ही गेहूं सप्लाई हो रहा है। फेमीन एरिया में जहां पैदावार कम हुई है भगवान के प्रकोप से तो वहां राशन की दूकानें अधिक होनी चाहिये। वहां उन लोगों को खास तौर से निगरानी रख कर, उनकी जांच करवा कर, अपनी एजेन्सी से जांच करवा कर, पटवारी लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि किन किन के पास कितनी कितनी पैदावार हुई है, अनाज देना चाहिये। सरकार से अनुरोध है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से खाद्यान्न की सप्लाई की जा रही है और पूर्ति फिर भी नहीं हो रही है। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की फुड पॉलिसी एक तरह की है जिससे हमारे खाद्यान्न दूसरे प्रान्तों में चलें जायं और हमारी जितनी खपत है उससे हम को कम दिया जाय तो सरकार द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहिये कि जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए सैन्ट्रल सरकार अधिक से अधिक दे। राजस्थान लाइसेन्सिंग ऑर्डर ६४, लागू हुआ। उसके द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो जमाखोर हैं, व्यापारी हैं होर्डर्स हैं उनको लाइसेन्स लेकर काम करना होगा और उसके लिए उनको सिक्योरिटीज़ जमा करानी होगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सी बातें लाइसेन्सिग ऑर्डर में नहीं रखनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ नहीं रखनी चाहिये, मान अपमान की बात है। यह जो व्यापारी काला बाजार करते हैं, होर्ड करते हैं दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, भूखों मारते हैं, यह तो ऐसे लोगों की हिमायत करना है।

श्री जयनारायण सालोदिया (नवाई): ऐसे सेठजी विधान सभा में बैठते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (सांचोर): ऐसे लोगों की सिक्योरिटी न ली जाय........

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): ऐसे लोग कौन हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसे व्यापारी जो होर्डिंग करते हैं, दूसरों की गर्दन पर छुरी चलाना चाहते हैं, जो लोग ब्लेक करते हैं वे कैसे समाज के रेस्पेक्टेबल आदमी हो सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या आपकी निगाह में सभी व्यापारी दोषी हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिक्योरिटीं का प्रोवीजन सब पर लागू है। मैं सब को दोषी नहीं मानता लेकिन काफी मात्रा में व्यापारियों का दोष है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अच्छे आदमी हैं उनको बचाया जाय। जो लोग ब्लेक नहीं करते, होर्ड नहीं करते बहुत कम मुनाफा लेकर बेचते हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिये लेकिन इस प्रकार के ईमानदारी से काम करने वाले कम ही मिलेंगे। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले महानुभाव ने कहा सरकार को अपनी कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं रखनी चाहिये जिसकी वजह से आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़े। किसी नीति को चलाना है तो वह नीति ठीक होनी चाहिये और उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिये। कमजोरी की वजह से आज व्यापारी वर्ग नाजायज फायदा उठा रहा है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और लोगों को कहने का मौका मिला है कि इस प्रकार की व्यवस्था से गड़बड़ हुई है। मेरा खास तौर से निवेदन है कि जिन लोगों ने अनाज को दबाकर रखा है, जिनके पास आवश्यकता से अधिक स्टॉक है, चाहे वे लोग व्यापारी हों या अन्य कोई हों अगर उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है उनको इसके लिए पाबन्द किया जाना चाहिए कि वे लाइसेन्स लें। इन सारी बातों की पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो इन्तजाम नहीं हो सकेगा।

आज हमारे यहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। नाज की कमी है, लेकिन मक्का को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर लोगों के खाने के लिए अन्न का अभाव हो वहां मक्का को स्टार्च बनाने के लिए एक्सपोर्ट किया जाय, यह बहुत ही गलत चीज है। आज जिसकी वजह से इन्सान मरता है वहां इन्सान को खाने के लिए मक्का न दी जाकर स्टार्च बनाने के लिए बाहर भेजते हैं यह अच्छी चीज नहीं है। स्टार्च बनाना जरूरी नहीं जितना कि आज मनुष्य को जिन्दा रखने की आवश्यकता है। इसलिए स्टार्च के प्रोडक्शन को रोककर हमें मक्का का एक्सपोर्ट बन्द कर देना चाहिए इससे भी कुछ समस्या का हल हो सकता है।

सभापति महोदया, हमारे यहां पर २५ क्विंटल और ५० क्विंटल तक रखने की छूट दी गई है। उससे ज्यादा जिनके पास है उनको अपना स्टॉक डिक्लेअर करने का सवाल आयेगा। मैं तो यह समझता हूं यह लिमिट है वह ज्यादा है। आज राजस्थान में ऐसी फेमिलीज बहुत कम है केवल गिनती मात्र की होगीं जिनको घर की आवश्यकता के लिये पचास क्विंटल अनाज की आवश्यकता हो। इस प्रकार के दस बीस परिवार ही मिलेंगे जिसको पचास क्विंटल अनाज सालाना की आवश्यकता हो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पचास क्विंटल तो प्रोड्यूसर के लिये रखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको इस बात की जानकारी नहीं है। पचास क्विन्टल जो अनाज रखा है वह बहुत ज्यादा है इसको कम किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भावों का निर्धारण किया गया है वह दूसरी जगहों के भावों को देखते हुए ज्यादा नहीं हैं। मक्का, जौ, चना आदि के क्या-क्या भाव होंगे वह शिड्यूल में दिया गया है। जो भाव निर्धारित किये गये हैं वे भाव काफी ऊंचे हैं इससे कन्जूमर को काफी कष्ट उठाना पड़ेगा। अतः इन भावों में कमी की जाय। ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा जो भाव है दोनों में तब्दीली होनी चाहिये। जो भाव काश्तकार से खरीदने के तय किये गये हैं उस पर काश्तकार देने में कभी तैयार नहीं होगा। इन दोनों बातों का समन्वय होना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रोड्यूसर कन्जूमर को सस्ते भाव में समान मुहैया कर सके।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में जो जगह जगह पर चिल्लाहट हो रही है कि हमारे यहां पर अनाज नहीं मिलता, लोगों को वाजिब कीमत पर नहीं मिलता, उसकी व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिये। ऐसे जमाखोरों और ब्लेक मार्केट

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करने वालों का पता लगाकर उनके स्टॉक को जल्दी से जल्दी सरकार अपने हाथ में ले और उसको बाजार में बिकवाये। कहीं पर कलेक्टर के पास जब इस बात को लेकर जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार से कानून की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जमाखोरों को पकड़ कर उनके अनाज को बाजार के अन्दर ला सकें। ऐसे लोगों से जल्दी से जल्दी निपटना है। अगर इस प्रकार से इन जमाखोरों को पकड़ने और इनको सजा देने की व्यवस्था नहीं की गई तो आप जो व्यवस्था चाहते हैं वह कभी नहीं हो पायेगी। इस ढिलाई की नीति पर अगर चलते रहे तो व्यापारी और जमाखोरों के दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। इसलिये आज समय तो इस बात का है कि सरकार को एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में पत्थर लेकर चलना होगा। जहां भी लड्डू पर हाथ डाले उसको पत्थर से सबक दिया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था हम करवायेंगे तभी काम चल सकेगा वरना काम नहीं चल सकता।

इसलिये मेरा सरकार को भविष्य के लिए भी निवेदन है कि पिछली दफा भी किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे गये कि कौन कौन लोगों ने होर्ड कर रखा है। इन सब बातों की जानकारी सरकार को पूरे तौर से होनी चाहिए। अगर पिछले अरसे में नहीं की गई तो मेरा सरकार से निवेदन है कि अब जो दो महीने बाद अनाज आने वाला है किस किस की कितनी फसल हुई है, किसके पास कितना अनाज है उसकी सारी जानकारी सरकार को होनी चाहिये। आपके पास रेवेन्यू की एजेन्सी है आप अच्छी तरह में पता चला सकते हैं कि किसने कितना कितना प्रोड्यूस किया, ताकि सब लोगों को भी जानकारी हो जायगी और आप भी हिसाब रख सकेंगे। इसी तरह से जो स्टॉक के डिक्लेरेशन का फार्म है उसको पूरी तरह से भरवाया जाना चाहिये। इसके लिए पूरी सख्ती बरती जानी चाहिये। अगर सख्ती से इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो यह व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगी। इससे जनता को यह मालूम पड़ेगा कि राज्य सरकार में इन लोगों से निपटने की क्षमता नहीं है।

जहां तक अनाज के प्रबन्ध का सवाल है हमारी राज्य सरकार ने अन्य प्रान्तों की सरकार से काफी अच्छी व्यवस्था की है और इस ओर काफी ठोस कदम उठाये है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आने वाले समय के लिए भी हमें सावधानी पूर्वक कदम रखने चाहिये ताकि इस समस्या का स्थायी हल हो सके।

(श्री मुरलीधर व्यास एवं श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा दोनों बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्रीमती सभानेत्री : अब एक बजने आया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अभी दो मिनिट बाकी हैं शुरू कर दूं कल प्रारम्भ रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधर जी आरम्भ करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभानेत्री जी, अभी मेरे से पूर्व

(श्री मुरलीधर व्यास)

तीन-चार माननीय सदस्यों ने इस खाद्य स्थिति पर प्रकाश डाला इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप कल आरम्भ रखिये। सदन का समय हो गया है, सदन की बैठक कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती हैं।

(तदन्तर १ बजे सदन की कार्यवाही दिनांक १२-८-६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

LIST OF SMALL SCALE UNITS THAT EXPORTED THEIR FINISHFD PRODUCTS DURING THE YEARS 60-61 TO 62-63

S. No.	Name of the Units.	Articles exported.	Value of the articles exported Years. 1960-61	1961-62	1962-63	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Behari & Sons. Balotra	Goat & camel Hair Manufactured Patties	222,090-62 nP.	1,32,626-57 nP.	4,27,738-68 nP.	
2.	,, Abdul Suleman & Co., Head Office Bombay. Balotra Branch Office.	-do-	300,000-00 App.	300,000-00 App.	3,00,000-00 App	
3.	,, Elahi Bux & Sons. Jodhpur	Lac bangles & soap cases	...	22,604-00 1812-00 soap cases	...	
4.	,, Rajasthan Calluloid Industries Jodhpur.	Lac Bangles.	...	...	3,900-00	
5.	,, Hira Crushing (P.) Ltd. Jodhpur.	Bone powder.	28,21,000-00	37,84,000-00	35,26,000-00	

1	2	3	4	5	6	7
6.	M/s Rajasthan Electric Ind. I. E. Jaipur.	Electric wires	...	...	3128-00	
7.	" Mahabir Financials Proprieter Jaipur Bone & Gless Works Jaipur.	Bone Powder.	...	...		Figures not available.
8.	" Bisau Gawar gum factory Jhunjhunu	Gawar Gum	...	...	100 Tons. (Rs. 25000/-App.)	Started in December 1963.
9.	" Nath Marble Industries Makarana.	Marble slabes.	...	...	Rs. 25,000/-(all in 3 years)	
10.	" Germany stone manufacturing Co. Kuchaman Road.	Flour in Mill stone etc.	...	...	28,215/-	-do-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२ का उत्तर देखिये)

सूची (३)

तारांकित प्रश्न संख्या २४ पी० डब्लू० एल० दिनांक ६-७-६४ के उत्तर में ।

सड़क निर्माण कार्य की सूचि सन् १९६१-६२

क्रम संख्या	काम का नाम	सड़क की कुल लम्बाई	१९६०-६१ तक बनी सड़क	नई सड़क १९६१-६२ में बनी	कुल लम्बाई बनी
१.	बाड़मेर चितलवाना सड़क	७० मील	६८ मील	२ मील	७० मील
२.	बाड़मेर-बालोतरा	७१ मील	२२ मील	२९ मील	५१ मील
३.	बाड़मेर-पामासर सड़क	८२ मील	५४ मील	११ मील	६५ मील
४.	नावा-फलपुर सड़क	५२ मील	३८ मील	२ मील	४० मील
५.	बाड़मेर-हरसानी सड़क	५२ मील	१३ मील	५ मील	१८ मील
६.	बाड़मेर-सरीन सड़क	२७ मील	२४ मील	२॥ मील	२६॥ मील

सड़क निर्माण कार्य १९६२-६३

१.	बाड़मेर-बालोतरा	७१ मील	५१ मील	१० मील	६१ मील

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

निम्न काश्तकारों की भूमि नीलाम की गई है :

१. सालू पुत्र हरका विश्नोई सा० मालवाड़ा तहसील सांचोर ख० नं० १४४ रकबा ११।३

२. हरचन्द पुत्र रायमल माली सा० इसरोल तहसील सांचोर ख० नं० ३६४ रकबा ,१६।।२

३. हुकम राम गुरडा सा० जाखल तहसील सांचोर ख० नं० ६१६ रकबा ।४३

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बस यात्रियों को सुविधाएं चित्तौड़गढ़

१६७. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चित्तौड़गढ़ नित्य प्रति कितनी बसें आती हैं और कितनी यहां से जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यहां यात्रियों को सुविधा के लिए बसों के प्रोग्राम, स्टेन्ड्स, बुकिंग ऑफिस आदि की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक हो जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के किले पर जाने के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

उत्तर

(१) ३३ बसें नित्य प्रति आती जाती हैं।

(२) जी नहीं। यात्रियों की सुविधा के लिये बस स्टेन्ड है, बुकिंग बसों पर होता है। यात्रियों के ठहरने के लिये बस स्टेन्ड के सामने ही शेड बना हुआ है। टाइम-टेबल का बोर्ड बस स्टेन्ड पर लगा हुआ है।

(३) जी हां। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है व कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के सुझावा अनुसार ७ सीट की टैक्सी कार व २० सीट की छोटी बस लगाये जाने के लिये आर० टी० ए० द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये हैं। इनके प्राप्त होने पर आर० टी० ए० विचार कर निर्णय देगी।

किशनगढ़-परबतसर रूट की बसों का समय निर्धारित

१६८. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि किशनगढ़ से परबतसर जाने वाली बसें २ घण्टे का समय लेती हैं जब कि परबतसर केवल २४ मील है और सड़क डामर की है ? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों के समय की बचत करने के लिये कम समय निर्धारित करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह सही है। किशनगढ़ से रूपनगढ़ १६ मील डामर की सड़क है। और रूपनगढ़ से परबतसर ८ मील डामर की सड़क नहीं है। इस सड़क पर ७ स्टोपेजेज है और रूपनगढ़ से

परबतसर सड़क की हालत अच्छी नहीं है। रूपनगढ़ बसों का जंक्शन है जहां पर नावां व सांभर से बसें आती हैं अतः यहां स्टोपेज २० मिनट का है। जब तक रूपनगढ़ से परबतसर तक सड़क अच्छी नहीं हो जाती समय कम किया जाना सम्भव नहीं है

कपासन-चित्तौड़ रोड पर रेल्वे क्रोसिंग पर सड़क निर्माण कार्य

१७०. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि चित्तौड़ सैनिक स्कूल के पास कपासन-चित्तौड़गढ़ के रेल्वे क्रोसिंग पर सड़क नहीं बन पाई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ? और वह कब तक बन जायगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) रेल्वे लेविल क्रोसिंग के अभाव में निश्चित नहीं कहा जा सकता। मामला रेल्वे विभाग के विचाराधीन है।

टोपीदार बन्दूकों की लाईसेन्स की किताबें तहसील झालरापाटन

१७२. श्री जुझारसिंह (चेचट): Will the Home Minister please reply:—

(1) Is it a fact the Muzzle loading guns of the licence holders in Jhalarapatan Tehsil have been got deposited in the police on the plea that the weapons would be returned to the licence holders after the 'licence-books' have been prepared and entries of guns made in them ?

(2) Since how long the guns have been collected and when are they likely to be returned ? Please also state the total number of guns collected by the police to register them in the licence books ?

उत्तर

(१) पुलिस स्टेशन झालरापाटन में उन व्यक्तियों को टोपीदार बन्दूकें जमा कराई गईं जिनके पास उन बन्दूकों को अपने पास रखने के लिये लाइसेन्स नहीं थे अथवा जिन्होंने सन १९५८-५९ के पश्चात् लाइसेन्स का नवीकरण नहीं कराया था। जो व्यक्ति मर गये उनके उत्तराधिकारियों से भी ऐसी बन्दूकें जमा करवाई गईं हैं और उन्हें यह कहा गया है ये इन बन्दूकों के लाइसेन्स अपने नाम बनवा लेवें। नये लाइसेन्स बनाने व पुरानों को नवीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) लाइसेन्स बनवाने की तारीख १०-६-६३ तक थी। इसके बाद जिन लोगों ने लाइसेन्स नहीं बनवाये उनकी बन्दूकें जमा कराई गई हैं आगे मियाद बढ़ाने के लिये भारत सरकार को लिखा गया है। अब तक १६१ टोपीदार बन्दूकें जमा कराई गई। नये लाइसेन्स बनने पर अथवा पुराने लाइसेन्स नवीकरण होने पर यह बन्दूकें लौटा दी जायेंगी।

अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सांचोर

१७३. श्री रघुनाथ विश्नोई (साचोर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सांचोर में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये एक होस्टल शीघ्र खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं। इस वर्ष में नये राजकीय छात्रावास खोलने का प्रावधान शेष नहीं है।

गर्ल्स हाई स्कूल झालावाड़

१७४. श्री गोविन्दसिंहद्द (पिड़ावा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही कि नगरपालिका झालावाड़ में गर्ल्स स्कूल में दो शिफ्ट में पढ़ाई होती है ?

(२) यदि हां, तो यह पद्धति कब से लागू हुई और शिफ्ट रोजाना किस किस समय पर चलते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह शिफ्ट चलने के पहले लड़के और लड़कियां प्राइमरी शिक्षा साथ साथ लेते थे ?

(४) क्या वह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के आदेश से लड़के और लड़कियां प्राइमरी, मिडिल कक्षाओं की शिक्षा साथ नहीं पा सकते हैं ?

(५) यदि हां, तो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने ऐसा आदेश क्यों निकाला ?

(६) उपरोक्त आदेश से पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी ? आदेश निकलने से पहले उक्त पाठशाला में कितनी कन्याएं थीं और आदेश के बाद कितनी कन्याओं ने कन्या पाठशाला में दाखिला लिया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह पद्धति सत्र १९६३–६४ के प्रारम्भ से लागू हो गई थी। पारी (शिफ्ट) का समय सुबह ६–४५ से ११–३० तक तथा १२ से ५ तक है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। इस प्रकार की कोई आज्ञा निरीक्षक, शिक्षणालय, झालावाड़ के यहां से नहीं दी गई और न निरीक्षिका शिक्षणालय ने ही दी हैं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेवाड़ शुगर फैक्ट्री भोपाल सागर की भूमि अलाटमेन्ट

१७५. श्री मानकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मेवाड़ शुगर फैक्ट्री भोपाल सागर किस सन् में स्थापित हुई ?

(२) मेवाड़ सरकार ने शुगर फैक्ट्री को भोपाल सागर तहसील व सलूम्बर तहसील में कुल कितनी जमीन किस शर्त पर दी ? एलाटमेन्ट आर्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या मेवाड़ शुगर फैक्ट्री व मेवाड़ सरकार के बीच फैक्ट्री के मालिकाना हक के बारे में कोई इकरारनामा व शर्तनामा हुआ था ? यदि हाँ, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) भूतपूर्व भोपाल सागर तहसील में कृषि योग्य भूमि जो शुगर फैक्ट्री को दी गई उसमें से उसने कितनी बेच दी व किस अधिकार से ?

(५) उक्त बेचवान नामें किस किस तारीखों में किस किस व्यक्ति को कितने कितने क्षेत्रफल के किये गये ?

उत्तर

(१) सन् १९३६–३७ में।

(२) मेवाड़ सरकार ने भोपालसागर तहसील में १२५७॥)२ बीघा जमीन दी। तहसील सलूम्बर में मेवाड़ सरकार की तरफ से कोई भूमि नहीं दी गई। इस सम्बन्धी फाईल काफी पुरानी होने से बीकानेर पुरालेख विभाग में चली जाना बताया जाता है जो समय की कमी होने प्राप्त से नहीं की जा सकी।

(३) सम्बन्धित फाइल के उपलब्ध नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में तहकीकन नहीं कहा जा सकता।

(४) शुगर फैक्ट्री भोपालसागर ने अपने खाते की कुल भूमि २६६)३ बेची हैं व भूदान यज्ञ में दी है।

(५) सूचि सदन की मेख पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

---

* शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ७ अगस्त, १९६४)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३	१	श्री हाराभाई	श्री हीराभाई
५	३,४	Order please	Order please !
		शोरगुल)	(शोरगुल)
११	शीर्ष.	(श्री विजयसिंह झाला)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
२१	शीर्षक	तारंकित	तारांकित
२६	,,	७ अप्रस्त,	७ अगस्त,
३८	२२,२३	(गिरवा) : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) :	(गिरवा) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया]:
४१	शीर्ष	(श्री दलपतसिंह)	(श्री दलपतसिंह)
४७	२३	श्री जुभारसिह्	श्री जुझारसिंह
५१	११	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष
५४-५५	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
६२	,,	अतारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन-प्रस्ताव
७१	७	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष
७५	१	संबंधी स्थगन-प्रस्ताव	
,,	अन्तिम से ३ व २ के बीच में		अन्य स्थगन प्रस्ताव
७७ से ८८	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव -७ अगस्त, ६४- अनाज के भाव	अन्य स्थगन -७ अगस्त, ६४- प्रस्ताव
८८	अन्तिम से ४ के नीचे		याचिका की प्रस्तुति
८६ से ६०	शीर्षक	बहरोड़ (अलवर) में भ्रष्टाचार -७ अगस्त, ६४- संम्बधी स्थगन प्रस्ताव	याचिका -७ अगस्त, ६४- की प्रस्तुति

१	२	३	४
६१ व ६२	शीर्षक	प्रवर समिति के प्रतिवेदनो –७ अगस्त, ६४– का उपस्थापन	यचिका की प्रस्तुति –७ अगस्त, ६४– प्रवर समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि
६१	१७,१८	संशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक
६२	१	,, ,,	,, ,,
१११	११	श्री गुलावचन्द कासलीवाल	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
११२	८	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
११७	१	श्री मानिकन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१२०	३	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
१२५	७	,, ,,	,, ,,
१२६	शीर्षक	काय	कार्य
१३६	१	श्री मनिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१४४	१५	श्री फूलचन्द्र जैन	श्री फूलचन्द जैन
१४६	१२	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
१५७	शीर्षक	अगत्रत	अगस्त
१६०	५.६	(श्री उपाध्यक्ष पदासीन) (१२.०० मध्यान्ह)	(१२.०० मध्यान्ह) (राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)
२१५	अन्तिम से ४	वैद	वैद्य
२१७	१४	पुनग्रहण	पुनर्ग्रहण

* नोटः—विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।